खण्ड-460, अंक-7
गुरुवार, 23 भाद्रपद, शक संवत् 1928
(14 सितम्बर, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2006)

खण्ड 460 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	2-51
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	51
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्याम लाल, श्री मोहम्मद नवी, श्री होती लाल दास, श्री राम स्वरूप मिश्र "विशारद", श्री श्रीचन्द्र, श्री नारायण दीन बाल्मीकि, श्री रामेश्वर प्रसाद, श्री बलवन्त सिंह, श्री हरीश चन्द्र अस्थाना, श्री हुकुम सिंह परिहार, श्री नन्दराम तथा श्री प्रेम चन्द्र शर्मा के निधन पर शोकोद्गार	51-55
जनपद लखीमपुर के निघासन थानान्तर्गत एक गांव में गोहत्या के सम्बन्ध में इकट्ठी हुई भीड़ पर पुलिस द्वारा फायरिंग किये जाने सम्बन्धी सूचना ...	55-56
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	56-57
कुर्शानगर के रामकोला क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण एवं स्वीकृत धन आवंटित होने के बाद भी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अभी तक कार्य प्रारम्भ न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	57
आर0 पी0 रस्तोगी इण्टर कालेज, मलाम हरहर, इलाहाबाद के प्राचार्य के अपहरण की सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57-58
जौनपुर नगर क्षेत्रान्तर्गत मदेही गांव में वर्ष 2001-2002 में लेपन स्तर तक स्वीकृत लगभग 900 मीटर सड़क का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	58
गाजियाबाद जनपद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रताप बिहार कालोनी में दिनांक 27-8-2003 को किये गये 100 भूखण्डों के आवंटन-पत्र शीघ्र जारी करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	58-59
समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन के कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत समीक्षा अधिकारी के कार्य कलापों के जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
लखनऊ कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में आवासीय भवनों में चल रहे व्यवसायिक दुकानों को दिल्ली की तर्ज पर नियमितीकरण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	59-60
वर्ष 2005-06 में बांदा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	60

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सुल्तानपुर में बेसिक शिक्षा के वित्त एवं लेखा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	60-61
अम्बेडकर नगर के न्याय पंचायत क्षेत्र ऐंनवां एवं बसन्तपुर में लगभग 40 गांव की विद्युत आपूर्ति महरी प्र0 फीडर टाण्डा अथवा केदार नगर (कलेसर) फीडर से किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	61
कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत बसफोर (डोम) जाति के जानवरों (सुअर) के बीमारी से मर जाने की जांच कराकर मुआवजे की राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61-62
नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत लगड़ी पम्प कैनाल के उच्चीकरण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत इस्टीमेट की धनराशि अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
भदोही जनपद के निर्माणाधीन नरपतपुरचौरी 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को तत्काल धन मुहैया कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	62
गोण्डा के कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत करनैलगंज मलौना घाट मार्ग पर टेढ़ी नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	63
जनपद गौतमबुद्ध नगर अन्तर्गत दादरी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि पर अविलम्ब निर्माण आरम्भ कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक पूरनपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	63-64
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	64-67
संस्थागत वित्त कर निबंधन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं)	68
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (19वां संशोधन) नियमावली, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	68
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, भण्डारण भवन, न्यू हैदराबाद, लखनऊ के स्थित पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा 2004-2005 (सदन के पटल पर रखा गया)	68-69
डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	69
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	69
उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	69
सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	69-70

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	70
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	70
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	70
उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 2006 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	70
उत्तर प्रदेश निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	71
प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 150 हैण्डपम्प लगाये जाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री की घोषणा के बावजूद अभी तक शाहजहांपुर एवं मेरठ में आवश्यक धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	71-72
'स्टिंग आपरेशन' सम्बन्धी जांच समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	72
पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में मस्तिष्क ज्वर से लगभग 1411 मौतें होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	72-74
प्रदेश की नहरों, रजबाहों एवं माइनरों की सफाई, मरम्मत एवं रख-रखाव में हुए धन के दुरुपयोग सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न	74
दो वर्ष पूर्व श्री सलिल विश्नोई द्वारा दी गयी तथा विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द की गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर अभी तक कोई कार्यवाही न होने पर आपत्ति	74-75
जनपद बुलन्दशहर के थाना अगौता में डकैतों द्वारा फौजी जसवीर के घर पर डकैती डालने एवं उनकी हत्या किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	75-76
डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित)	76
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित) ...	76-77
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 ..... (पुरःस्थापित) ...	77-78
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	78-127
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	127-129
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	129-130

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद देवरिया अन्तर्गत दुग्धेश्वर नाथ मंदिर और पोखरा पर न्यायालय के निर्णय के बाद भी अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ...	131
लखनऊ स्थित देवस्थान नामक आवासीय कालोनी पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य..... ...	132-133
जनपद आजमगढ़ स्थित सेतु निगम द्वारा पुलों के निर्माण कार्य में उदासीनता के सम्बन्ध में श्री आलमबदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य.....	133-134
जनपद आगरा में पेयजल हेतु अनुसूचित जाति एवं सामान्य क्षेत्र में शासनादेश के अनुरूप धनराशि आवंटित कराने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह परमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन....	134
सिंचाई विभाग के अन्तर्गत प्रोजेक्ट कारपोरेशन नामक संस्था को धन आवंटित किये जाने के कारण प्रदेश के नहरों के रख-रखाव एवं मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य.....	134-136
विभिन्न वक्तव्यों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण एवं जानकारी	136-139
जनपद फैजाबाद के अहियावां ऊंचे गांव निवासी श्री शफीक अहमद की जमीन का फर्जी बैनामा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य...	139-141
जनपद झांसी स्थित स्थानीय निकाय केन्द्रीयत सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य.....	141-142
जनपद सुल्तानपुर में सांसद निधि की छः वर्ष से अधूरी सड़क का निर्माण पूर्ण कराये जाने एवं कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य.....	142
प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के कारण मजदूरी की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवीर सिंह राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम मंत्री का केवल वक्तव्य... ...	143

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गौतमबुद्धनगर के गांव जारचा में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	144
जनपद इलाहाबाद में पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत बाघम्बरी गद्दी अल्लापुर में सीवर का काम पूर्ण कार्य कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य...	144-146
प्रदेश में सीनियर बेसिक विद्यालयों को अनुदान सूची में न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शिव तपस्या पासवान द्वारा, नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	146-147
जनपद आगरा की प्रमुख क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	147
राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं इलाहाबाद को स्नातकोत्तर स्तर का बनाये जाने विषयक दिनांक 30 अगस्त, 2006 की कार्यसूची के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-4 के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन	147
नत्थियां	148-151

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, 14 सितम्बर, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-306

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किशन लाल बघेल, श्री	आगरा
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर

केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अर्जीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
जंग बहादुर सिंह, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं

उत्तर प्रदेश सभा

प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला), श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल चौधरी, श्री	आगरा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र प्रताप सिह, कुंवर एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
भगेलूराम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौधरी, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदास नगर, भदोही
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर

राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
राम पाल यादव, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा", श्री	ललितपुर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा

शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर	सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा	सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी	सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज	सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई	सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद	सुरेश कुमार खन्ना,श्री	शाहजहांपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर	सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल		सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
(कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर	हरिओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
समरपाल सिंह, श्री	बागपत	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सियाराम सागर, डा0	बरेली	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :- परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन),
औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम) तथा
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आज ही नाईजीरिया से लौटे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सबकी शुभकामनायें ले करके गया था, वहां की जनता की सद्भावनायें और शुभकामनायें आपके उत्तरोत्तर विकास की ले करके आया हूं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मेरी नियम 311 में सूचना है, मैं चाहता हूं कि उसको आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी नियम 311 की सूचना गन्ना मूल्य के बारे में है, उसको नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है, उसमें आपका, माननीय हुकुम सिंह व डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की सूचना है। जब नियम 56 आयेगा तो आप बोल लीजियेगा।

श्री लालजी टण्डन-

इसे आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम 56 आयेगा तो पहले आप बोल लीजियेगा। जब आपका नाम है तो आपको प्राथमिकता है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, गन्ना मूल्य के विषय में आपने व्यवस्था दी है। गन्ना मूल्य के बारे में एक बात आ चुकी है कि शत-प्रतिशत भुगतान है। लेकिन खाद का संकट इस समय पूरे प्रदेश में है। यूरिया खाद कहीं नहीं मिल रही है। डाई खाद की स्थिति यह है कि किसान पर लाठियां बरस रही हैं, लोग खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब अभी प्रश्न ले लेने दीजिये, जब नियम 56 आयेगा तब अपनी बात रखियेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, स्वयं आपके विधान सभा क्षेत्र के पड़ोस में सोहरतगढ़ और कलवारी में किसानों पर लाठी चार्ज हुआ।

श्री अध्यक्ष-

आपने इस संबंध में सूचना नियम-56 में दिया है, जब वह मद आयेगा तो आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सूखे से निपटने के लिये उपाय

**1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवर्षण के कारण उत्पन्न सूखे से किसानों की फसल चौपट हो गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस समस्या से निपटने के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी नहीं।

स्थिति पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने अवर्षण के कारण फसल पर हानि के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जी नहीं। मैं केवल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व अवर्षण पर चर्चा हुई थी तो माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि मेरठ, सहारनपुर और झांसी मण्डल में औसत से कम बारिश हुई है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि वर्षा के ज्यादा होने या कम होने से फसल पर प्रभाव पड़ता है या नहीं और अगर पड़ता है तो तीन मण्डलों में औसत से कम बारिश की बात सरकार इस सदन में स्वीकार कर चुकी है। जब मैंने पूरे प्रदेश के बारे में यह प्रश्न पूछा तो क्या वे तीन मण्डल प्रदेश में नहीं आते, इन तीन मण्डलों के सम्बन्ध में औसत से कम वर्षा होने की बात सरकार स्वीकार कर चुकी है उसके सम्बन्ध में वहां की फसल की क्या स्थिति है ? सामान्य से कम है या नुकसान हुआ है। दूसरे यह जानना चाहता हूं कि सरकार के औसत बारिश के जानने का तरीका क्या है ? हजरतगंज में बारिश होती है, माल एवेन्यू में नहीं होती है, जिला हेडक्वार्टर पर बारिश होती है पता नहीं देहात में हुई या नहीं, जहां फसल बोई जा रही है। तो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि औसत बारिश के अनुमान का तरीका क्या है और इन बदली हुई परिस्थिति में सरकार ने औसत बारिश का होना या न होना और उस पर फसल के लाभ हानि का आकलन किस प्रकार से किया है, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने जो बात कही है उसका एक अंश सत्य है कि औसत बारिश के सम्बन्ध में जब सूखे पर चर्चा हो रही थी उस चर्चा के समय जानकारी दी गई थी कि प्रदेश में कहां-कहां बारिश कम हुई है, उसके आंकड़े मेरे पास हैं, मैं आपको आंकड़े दे देता हूं लेकिन आंकड़ों के पहले यह बता दूं चूंकि आपने कहा है कि औसत बारिश, आपका मूल प्रश्न यह है कि अगर बारिश कम होती है तो फसल पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसके दोनों उत्तर हैं, प्रभाव पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है। आपने बुन्देलखण्ड की बात कही, मैं झांसी की बात कहना चाहता

हूं कि वहां औसत से कम बारिश हुई और औसत से कम बारिस के बावजूद प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। कारण यह है कि पहले से ही लोगों ने दूसरी फसल बोई। 10 हजार हेक्टेयर में औसतन तिल की खेती होती है लेकिन वहां पर तिल की खेती साढ़े 74 हजार हेक्टेयर में हुई और कम बारिश के बावजूद भी तिल की खेती की जो औसत उपज है उससे 20 प्रतिशत अधिक फसल होने का अनुमान है। मूंगफली की फसल ज्यादा खराब होती है उसको लोगों ने कम बोया, उसमें थोड़ा नुकसान है। सोयाबीन की फसल को ज्यादा नुकसान होता है उसको लोगों ने कम बोया है। इन तीनों फसलों का जब ओवर आल प्रभाव आप निकालेंगे तो नुकसान नहीं है। जहां तक धान की फसल है यदि अवर्षण की स्थिति है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको किसान यथानुसार उगाता है और उससे काम चल जाता है। दूसरी बात जो आपने कही कि औसत से कम बारिश हुई कि नहीं तो पुनः यह बात स्वीकार करता हूं कि औसत से कम बारिश हुई मेरट मंडल में। आपने कहा कि बारिश के नापने की विधि क्या है तो अगर मोहल्ले-मोहल्ले की पूछेंगे तो उसकी जानकारी है, आप किसी मोहल्ले का पूछेंगे तो आपको आंकड़े दे देंगे। मान्यवर, कभी-कभी संकट होता है-अबकी सावन में शरारत यह मेरे साथ हुई कि मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई तो आपका आंगन ऐसा हो जाय कि सारे शहर में बरसात हो और आपके आंगन में न हो तो उसे देख लेंगे। लेकिन मान्यवर, हर जगह से मौसम विभाग से औसत वर्षा के आंकड़े आते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जिस जनपद का चाहिये हम आपको दे देंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, यह अत्यन्त गम्भीर और संवेदनशील विषय है। मान्यवर, मैं आकड़े देख रहा था, बहुत जगह दर्शाया गया है 48 प्रतिशत, 49 प्रतिशत और सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा किसी जनपद में क्षति होती है तो उसे सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है। 28, 49 और 50 प्रतिशत के बीच मान्यवर, केवल एक या दो प्रतिशत का ही फर्क है। जब यह सूचना आयी है उसके बाद से कहीं बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लम्बे दौर से बारिश नहीं हो रही है और अगर हो रही है तो सामान्य से कम हो रही है। पूर्वांचल के बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम वर्षा हुई है। माननीय मंत्री जी ने उदाहरण दिया कि झांसी में लोगों ने तिलहन बो लिया। लेकिन पूर्वांचल में ज्यादातर धान की फसल होती है, पूर्वांचल में कोई विधि विकसित नहीं हुई है, यदि विलम्ब से पानी आता है तो पौध की लम्बाई कम हो जाती है, लम्बाई कम हो जाती है तो धान की बाली कम हो जाती है और बाली कम होने से धान की यील्ड कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। तो यह मानना पड़ेगा कि अगर समय से बारिश न हो तो उत्पादन कम हो जाता है। उन्होंने तो शेरो शायरी की लेकिन मुझे याद आ रहा है कि-का बरसा जब कृषी सुखानी। वर्षा में विलम्ब हो गया तो फसल को तो क्षति हो गई। मेरा सीधा सा प्रश्न आपके माध्यम से है कि वह जिले जहां 40-48-49 प्रतिशत के ऊपर क्षति हुई है तो इस 50 प्रतिशत की परम्परा को शिथिल करते हुए राजस्व मंत्री जी सूखाग्रस्त घोषित होने के लिये 50 प्रतिशत का मानक है मेरा आपसे आग्रह है कि 50 प्रतिशत की जगह मानक 40 प्रतिशत करवाकर व 40 प्रतिशत मानते हुए क्या सरकार इन जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित करने की घोषणा करते हुए तत्काल सूखा राहत कार्यक्रम चलायेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जैसा कि प्रमोद कुमार जी ने कहा मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वर्षा के प्रतिशत पर सूखा ग्रस्त घोषित किये जाने का प्राविधान नहीं है। सूखाग्रस्त घोषित किये जाने का प्राविधान फसलों के नुकसान के प्रतिशत पर है। अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा फसलों को नुकसान किसी जनपद में हो जाय तो उस जनपद को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है लेकिन मैं आप सबकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज ही निर्देश दे दूंगा कि अगर पूरा जनपद सूखाग्रस्त घोषित न भी हो लेकिन किसी तहसील में भी सूखे का प्रभाव हो और वहां 50 प्रतिशत से अधिक फसलों को नुकसान हो गया हो तो हम उस तहसील को अलग से चिन्हित करके उसे सूखाग्रस्त घोषित करके जो भी कृषि अनुमन्य अनुदान है, छूट है वह सब हम देने को तैयार हैं इसके निर्देश आज ही हम कर देंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मैं अपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी सूखे पर इस सदन में बहस हुई थी उस समय से लेकर इस समय तक वर्षा नहीं हुई है। जिस दिन सवाल लगा था उसके बाद थोड़ी बहुत बरसात हुई थी लेकिन जिस दिन मंत्री जी ने उत्तर दिया था उसके बाद लगातार आज की तारीख तक बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई है। जब कम वर्षा हुई तो निश्चित रूप से फसलों को नुकसान हुआ है। जैसा कि प्रमोद कुमार ने कहा पूर्वांचल में अधिकांश जिलों में धान की फसल होती है विशेष रूप से मैं अम्बेडकर नगर के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां धान की फसल उगाई जाती है। निश्चित रूप से कम वर्षा होने के कारण वहां फसलों को काफी क्षति हुई है। क्या मंत्री जी अम्बेडकर नगर जनपद को, कम वर्षा के कारण जो फसलों को क्षति हुई है सूखाग्रस्त घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जैसा कि मैंने निवेदन किया यह सच है कि अम्बेडकर नगर में जो औसत 50 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है वहां पर औसत 48 प्रतिशत बारिश हुई है जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी तहसील में भी 50 प्रतिशत से अधिक फसलों को नुकसान की रिपोर्ट जनपदों से आयेगी आप अपने जनपद में देख लें अगर कोई कटिनाई हो तो अवगत करा दें। हम निर्देशित कर देंगे अगर किसी तहसील में भी 50 प्रतिशत से अधिक फसलों को नुकसान हुआ है तो हम उसे सूखाग्रस्त घोषित करके उसके बाद की कार्यवाही करेंगे। इस बार वर्षा कम हुई है लेकिन फसलों की सिंचाई का बराबर प्रबन्ध किया गया, बिजली दी गई, ट्यूबवेल्स चलाये गये, नहरों में पानी दिया गया हमारे पास सारे आंकड़े हैं, आप कहें तो जनपद वार हम उपलब्ध करा दें।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''-

अभी कुछ दिन पहले राजस्व मंत्री जी बनारस के आस-पास के कुछ जिलों में गये थे उस समय जब यह प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा था कि अभी सूखे की स्थिति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर 50 प्रतिशत से अधिक फसलें खराब हो जायेंगी तो वह क्षेत्र सूखा पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जायेगा। मैं लगातार पांच दिनों तक बनारस, चंदौली के बगल के भदोही जिले के आस-पास के गांवों में गया था जिस समय मंत्री जी ने ऐलान किया था वह बनारस के अखबारों में

छपा था उस समय धान के दानों में दूध आ गया था आप जानते हैं दूध आने के बाद अगर 4-5 दिनों तक धान को पानी नहीं मिलता है तो वह धान सूख जाता है और फसल को नुकसान हो जाता है। मैं चार पांच दिनों तक बनारस, चन्दौली, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, सुल्तानपुर में घूमा और लोगों से मिला। इन सब जिलों में मान्यवर, धान में जो दूथ पड़ गया था वह सूख गया और ऐसी स्थिति में भी आप कह रहे हैं कि यदि 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होगा तब उसको सूखाग्रस्त करेंगे। आप ब्लाक के हिसाब से घोषित करेंगे, जनपद के हिसाब से करेंगे किस तरह से करेंगे। मेरा कहना है कि जहां पर इस तरह से फसल का नुकसान हुआ है, फसल सूख गई है वहां इन सारी गम्भीर परिस्थितियों को देखते हुए उन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि यद्यपि जनपद के सूखाग्रस्त घोषित किये जाने का मानक पूरे जनपद की 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल के नुकसान हो जाना है। एक जिले में भी चूंकि सूखा इसका व्यापक आधार होना चाहिए सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के लिये। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि जहां कहीं 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, दो भाग में मेरा प्रश्न है। एक तो यह कि जनपदवार जो सामान्य बरसात होनी चाहिए वह कितनी हुई है ? बरसात औसत से कम हुई है या ज्यादा हुई है। कितने जनपद ऐसे हैं जहां बरसात औसत से कम हुई है ? दूसरा प्रश्न यह है कि दो मुख्य फसलें खरीफ की हैं। एक तो गन्ना और दूसरी धान। दोनों में ही पानी की आवश्यकता होती है। 25 लाख हेक्टेयर गन्ना इस वर्ष पूरे प्रदेश में है। उसके बाद धान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं पूरी जानकारी के आधार पर बता सकता हूं कि गन्ने की फसल में जब बरसात की आवश्यकता थी तब बरसात नहीं हुई और बहुत देर से बारिश हुई। जिस समय गन्ने की बढ़त का सीजन था बरसात नहीं हुई और उससे नुकसान हुआ। बढ़त के समय बारिश न होने के कारण से किसान तो नुकसान में आ गया है मैं खास तौर से जुलाई और अगस्त की बात कर रहा हूं। यह दो महीने ऐसे हैं जिसमें इन दानों फसलों को पानी चाहिए। यह दोनों महीने सूखे के गये हैं। बरसात नहीं हुई है। सितम्बर में बारिश हुई है जिसकी वजह से कह रहे हैं कि सूखा नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं। किसी उत्तर का क्या अर्थ निकाल लें। मैंने यह नहीं कहा कि सितम्बर में बरसात हुई है इसलिये नुकसान नहीं हुआ। फसलों का नुकसान एक व्यापक तथ्य है। वर्षा का कम या ज्यादा होना सूखे का आधार नहीं है। सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के लिये मैंने कहा कि 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है तो उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जायेगा। जहां तक गन्ने की बात है कहीं पर भी 50 प्रतिशत फसल नष्ट नहीं

हुई है। यद्यपि प्रभावित अवश्य हुई है परन्तु नष्ट नहीं हुई है। यह सही है कि बढ़त के समय पर जब पानी की आवश्यकता थी तो बरसात नहीं हुई है जिस वजह से फसल स्वाभाविक रूप से प्रभावित हुई है लेकिन नष्ट नहीं हुई है उसको हम सूखाग्रस्त की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं क्योंकि सिंचित क्षेत्र में ही फसल होती है और सिंचन के साधनों का इस्तेमाल होता है। यद्यपि आसमान से बरसात का पानी मिलता है लेकिन सर्वाधिक सिंचाई के लिये ट्यूबवेल भी लगाये गये हैं। 235 निजी नलकूप स्थापित किये गये। नहरों में भी पानी की व्यवस्था की गई इसलिये फसलों को नुकसान कम हुआ है। बढ़त पर प्रभाव पड़ा है बरसात न होने से लेकिन पूरे प्रदेश में गन्ने की फसल नष्ट नहीं हुई है। जहां कहीं भी 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ होगा वहां सूखाग्रस्त घोषित कर देंगे।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

क्या माननीय मंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है कि कहां पर कम और कहां पर अधिक वर्षा हुई है और कहां कितना नुकसान हुआ है। कहां बचाया जा सकता है अभी भी नुकसान, इसके बारे में अब तक आपको जिलाधिकारी से रिपोर्ट मंगवा लेनी चाहिये अगर सब नष्ट हो गया उसके बाद कोई लाभ देंगे उससे कोई लाभ नहीं है। गेहूं के बारे में आप देख चुके हैं। प्रदेश में गेहूं के कारण मंहगाई बढ़ गई है। धान की फसल नष्ट हुई तो चावल के दाम कहां पहुंचेंगे। इसके भी दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। इसमें तत्काल रिपोर्ट मंगाकर कार्यवाही करें।

श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मान्यवर, दो तरह की फसल है। दलहन की जो फसल होती है इसमें कम पानी लगता है। धान की फसल में निहायत गम्भीर विषय है पिछले वर्ष से कम वर्षा हमारे जनपद में हुई है। माननीय मंत्री जी इससे अवगत हैं नहरों के अगल बगल डेढ़ सौ मीटर तक धान बचा है। जो धान ट्यूबवेल से होने हैं वह नहीं बचा है। कहीं बिजली नहीं मिल रही है। सिंचाई नहीं हो पा रही है इस सच्चाई से प्रदेश सरकार अवगत है। मान्यवर, हमारे जिले में शारदा नहर जाती है रसड़ा तहसील के अधिकांश भागों को पानी देती है। एक बूंद पानी वहां नहीं पहुंच रहा है ....।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पूछें। सूखे पर एक घण्टे की चर्चा हो चुकी है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो धान वाला एरिया है। बेसिकली रसड़ा, बिसरा रोड सिकन्दरपुर तहसील है यह सूखाग्रस्त घोषित करेंगे और किसानों को राहत दिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह दिया है जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा सूखाग्रस्त है वहां राहत दी जायेगी। मा0 नेता विरोधी दल ने कहा है रिपोर्ट मंगा ली जाये। रिपोर्ट आ जाए अगर 50 प्रतिशत से अधिक है और उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है तब कहें। मा0 मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया

है अगर 50 प्रतिशत से अधिक होगा तो विचार कर लेंगे। फिर क्यों आप बढ़ा रहे हैं। सूखे पर एक घण्टे की चर्चा हो चुकी है। दूसरा प्रश्न लेने दीजिये।

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी-

जिलों का और तहसील का मंगवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

सूखे पर चर्चा हुई है। इस विषय में प्रश्न आ गया है।

श्री सुखदेव राजभर-

एक प्रश्न मुझे भी पूछना है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं अवर्षण की स्थिति से सूखाग्रस्त घोषित करने का मानक तय करते हैं लेकिन यह भी सच है कि अगर बारिश कम होती है तो निश्चित तौर पर फसल प्रभावित होती है तो अवर्षण की स्थिति से खरीफ और धान की फसल प्रभावित हुई है। मा0 सदस्यों ने जो सूखाग्रस्त घोषित करने की बात कही गई है, मंत्री जी ने कहा तहसील स्तर पर भी करा लेंगे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन मान्यवर, जिस समय सूखे पर चर्चा हुई उस समय यह कहा गया जून में 13 प्रतिशत, जुलाई में 21 प्रतिशत, अगस्त में 25 प्रतिशत बारिश हुई। मान्यवर, जितनी सामान्य बारिश चाहिये 225, 227 मि0मी0 थी उसके सापेक्ष कम बारिश हुई। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बस्ती जनपद में कृषि विभाग ने 49 प्रतिशत क्षतिग्रस्त दिखाया है आपके जनपद में 48.5 प्रतिशत है तो क्या सदन की कमेटी बनाकर एक जिले में टेस्ट करायेंगे ? यह गम्भीर प्रश्न है पूरब का एक जिला ले लें। पश्चिम का एक जिला ले लें और क्या हाउस की एक कमेटी बनायेंगे जो वह चेक कर लें।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया है। बात आ गई है।

श्री अम्बिका चौधरी-

जगदम्बिका पाल जी ने, जो चर्चा हुई थी उसमें भाग लिया और बात बताई थी लेकिन जब मैं चर्चा में उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ तो पाल जी किसी आवश्यक कार्यवश चले गये थे। इसलिये कदाचित उत्तर नहीं सुन पाये। मैं कार्यवाही की कापी भिजवा देता हूं। उस दिन भी मैंने विस्तृत उत्तर दिया था, आज भी मैं विस्तृत उत्तर देने को तैयार हूं उस दिन भी दिया था। अगर सदन का समय नष्ट न हो तो। मैं उत्तर भिजवा दूंगा।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

उत्तर सुन लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, चर्चा इतनी गम्भीर थी और यह इसी से जाहिर हो जाता है, मैंने उल्लेख किया था, संयोग से पाल साहब उस दिन अपनी बात कहकर चले गये थे, जून में 13 प्रतिशत, जुलाई में 17 प्रतिशत, ऐसा नहीं है, अवर्षण की जो स्थिति हुई, जून और जुलाई में बारिश कम नहीं हुई लेकिन जुलाई के बाद अगस्त में पूरा लम्बा सूखा चला गया इसलिये अगस्त में अवर्षण की स्थिति पैदा हुई। फिर अगस्त में 22-23 तारीख के बाद बारिश होने लगी। इसलिए जो आंकड़े दिये हैं, वह मैंने नहीं दिये हैं, वह इनके दिये हुए आंकड़े हैं। जहां तक सूखाग्रस्त घोषित करने के लिये कमेटी बनाये जाने की बात है, हमारे पास सारे आंकड़े हैं, इसके लिये कमेटी बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कि हम जिले को ही नहीं बल्कि तहसील को यूनिट मान लेंगे, यदि आप कोई स्पेशिफिक बता दें तो मैं उसकी जांच करा लूंगा। नेता विरोधी दल ने जो बात कही है, हम रिपोर्ट मंगवा लेते हैं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सारा उत्तर आ गया है अब अलग से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस समय वास्तव में बरसात कम हुई है और किसानों को अपनी फसलों की रक्षा करने में उसकी लागत बढ़ गई है, डीजल का भी दाम बढ़ गया है, वह नये ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं, उसकी भी लागत बढ़ गई है, मंत्री जी परिभाषित कर रहे हैं कि सूखे का बरसात से आंकलन नहीं होगा बल्कि फसलों के नुकसान से सूखे का आंकलन वह करते हैं। मान्यवर, हमारे यहां नीलगाय फसलों को खाये जा रही है तो क्या मंत्री जी उसको सूखाग्रस्त घोषित करेंगे और जो किसान नलकूप लगाना चाहते हैं क्या मंत्री जी उनको सब्सिडी दिलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह इससे सम्बन्धित नहीं है। सुसंगत प्रश्न पूछा करिए, आप संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नीलगायों के खाने पर या बहुत से मेहमानों के आ जाने पर यदि नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सूखे में करना सम्भव नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हमने सब्सिडी की बात कही है।

श्री अध्यक्ष-

वह नहीं दे रहे हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, यदि मंत्री जी बिजली और डीजल पर सब्सिडी नहीं देंगे तो हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री सुखदेव राजभर बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अवर्षण के कारण फसलों की हानि के सम्बन्ध में मंत्री जी ने तिल का उदाहरण दे दिया। मैं जानना चाहता हूं कि जिन जनपदों में औसत से कम बारिश हुई है, उन जनपदों में अवर्षण के कारण फसलों को कितने प्रतिशत हानि हुई है ? मंत्री जी ने बुन्देलखण्ड का उदाहरण दिया कि वहां तिल का औसत से 20 प्रतिशत से अधिक उत्पादन हुआ है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि वहां पर तिल का क्षेत्रफल भी तीन गुना बोया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि यह 20 प्रतिशत औसत से जो अधिक उत्पादन हुआ है वह प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अधिक हुआ है या तीन गुना क्षेत्रफल बढ़ने के कारण हुआ है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, मैंने कहा कि प्रति हेक्टेयर जो औसत उत्पादन है, उससे 20 प्रतिशत अधिक है। जो औसत उपज है उससे 20 प्रतिशत अधिक तिल की उपज है, यह संयोग है। श्रीमन्, यह इतना गम्भीर विषय है, मैंने यह बात इसलिये कही कि कहीं-कहीं अवर्षण का प्रभाव पड़ा है और कहीं-कहीं नहीं पड़ा है, मैंने उदाहरण के लिये यह बात कही है। मान्यवर, यह पूरे प्रदेश की स्थिति नहीं है। यह सत्य है कि पूरे प्रदेश में कम बारिश और अवर्षण होने से फसलें प्रभावित हुई हैं कुछ जगहों पर नुकसान ज्यादा हो सकता है इसलिये जो ओवरआल ज्यादा नुकसान है वह झांसी में है। पूरे प्रदेश की बात नहीं कही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय प्रमोद कुमार जी ने जो बातें कही हैं हम उनका संज्ञान लेते हुए इसको अब तहसीलों में भी दिखवा लेते हैं और जहां कहीं भी 50 प्रतिशत हानि होगी वहां पर तत्काल सूखाग्रस्त घोषित करेंगे और लगान को स्थगित करेंगे और हमारे नियमों में जो भी मदद है हम देंगे। हमने दैवीय आपदा की राहत दिये जाने के लिये प्रत्येक जनपद में पर्याप्त राशि की व्यवस्था कर दी है। उसमें कोई कमी नहीं है। हम इसे पूरी गम्भीरता से देख रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नेता विरोधी दल और श्री प्रमोद कुमार जी के आग्रह पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इसमें विशेष निर्देश देकर रिपोर्ट मंगायेंगे । मेरा कहना है कि जो जनपदवार आंगणन इस निर्देश के बाद आये उस आंगणन को सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दें। ताकि हमें भी वह देखने को मिल जाये।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य सदन में वापस आ गये।)

(श्री ओम प्रकाश पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पाण्डेय जी, इस पर सूखे पर एक घण्टा चर्चा हो चुकी है। फिर आप इसमें क्या पूछेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर माननीय मंत्री जी से हां या न तो करा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमारे पास जितनी सूचनाएं हैं वह सभी माननीय सदस्यों के लिये उपलब्ध हैं। माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जिसको कहेंगे उसको हम उपलब्ध करा देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आज जो विशेष निर्देश देंगे उसके बारे में भी तो हां या न कहला दें।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, उन्होंने कहा है कि हम उपलब्ध करा देंगे।

प्रदेश में केन्द्र की तरह छठे वेतन आयोग के गठन पर विचार

**3-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार केन्द्र की तरह छठे वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)-

जी हां।

वर्ष 1986 से प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों को केन्द्र के समान वेतनमान अनुमन्य कराये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा गठित वेतन आयोगों की संस्तुतियों पर लागू वेतनामानों के अनुरूप प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान पुनरीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया जाता है। जैसे दिनांक 1-1-1986 से चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियां केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1988 में समता समिति का गठन किया गया था तथा पांचवें वेतन आयोग की संस्तुतियां केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त अक्टूबर, 1997 में राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया था। इसी प्रकार छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियां केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इसमें मेरा कहना है कि 5वें वेतन आयोग की जो संस्तुतियां थीं उसमें जो केन्द्र द्वारा 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को वेतन में देना था। उसके लिये कर्मचारियों को लगातार आन्दोलन करना पड़ा और आन्दोलन के फलस्वरूप राज्य सरकार ने उस महंगाई भत्ते को वेतन में जोड़ा लेकिन आज तक नगर प्रतिकर भत्ता और अन्य अनुमन्य चीजों को वेतन में नहीं जोड़ा गया है। जिसके लिये कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों भी किया गया और प्रदेश व्यापी स्तर पर लखनऊ में किया गया। तो पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करने के बाद नगर प्रतिकर भत्ता और अन्य सुविधाएं को लेकर कर्मचारी आन्दोलनरत हैं, तो क्या हमारी राज्य सरकार इन्हें देने पर विचार करेगी और कब तक लागू करेगी ?

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अध्यक्ष जी, समिति द्वारा जो सिफारिशें आयी थीं उसी के आधार पर यह भत्ता दे रहे हैं। जिसमें पैरिटी नहीं पायी गयी उसे इससे अलाहिदा रखा गया है। जो नगर प्रतिकर भत्ता है और कुछ भत्ते हैं उसको इस समिति की सिफारिश में नहीं रखा गया है। उसी के आधार पर अलग-अलग कर दिये गये जिसमें पैरिटी है भी नहीं। जो केन्द्र सरकार में है और हमारे यहां नहीं है तो उसी वजह से उनको इससे अलाहिदा रखा गया है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अन्दर लाखों कर्मचारी और शिक्षक हैं। पंचम वेतन आयोग लागू करने से पहले जो केन्द्र सरकार वेतन घोषित करता था, महंगाई भत्ता देता था टोटली वह उत्तर प्रदेश में लागू होता था। लेकिन पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां आयीं उसी के बाद पचास प्रतिशत महंगाई भत्ता मूल वेतन में जोड़ने का निर्णय केन्द्र सरकार ने किया। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों ने लम्बा संघर्ष किया वह जोड़ तो दिया, लेकिन जो अन्य लाभ मिलते थे वह लाभ नहीं दे रहे हैं। तो इससे पहले तो दोनों जगह समानता रही है उसमें भिन्नता क्यों हो रही है ? दूसरी बात केन्द्र सरकार ने पहली जुलाई से पांच प्रतिशत महंगाई की किश्त देने का निर्णय लिया लेकिन अभी तक वह उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो पाया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार कब तक इसको क्रियान्वित करेगी ?

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अध्यक्ष जी, एक जुलाई से जो महंगाई की किश्त दी गयी है, हमेशा से यह होता रहा है कि वहां से सिफारिश आती है, उस पर विचार करते हैं और संसाधन के अनुसार कर्मचारियों को दिया जाता है। जहां तक कर्मचारियों को कुछ देने का ताल्लुक है पूरा प्रदेश जानता है कि अपने कर्मचारियों को, नागरिकों को जितना मैक्जिमम यह प्रदेश सरकार कर सकती है वह करने की कोशिश करती है जहां तक कर्मचारियों का सवाल है जैसी ही सिफारिश आयेंगे हम उसको लागू करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, 88-89 में यह तय हुआ था कि समान कार्य के लिये समान वेतन लागू किया जाय और वह लागू हुआ था। इसी के आधार पर जो केन्द्र सरकार में वेतन दिया जाता है वही वेतन उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को लागू किया गया। तब से सारी सरकारें इसे मानती चली आ रही हैं। एक बात इधर देखी गयी हैं कि जब तक वेतन आयोग की संस्तुतियां आती है और जब तक प्रदेश सरकार लागू करती है, तब तक वहां पर दूसरा वेतन आयोग गठित करने की नौबत आ जाती है। यानी चार-पांच साल का विलम्ब हो जाता है। तो मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो यह कि क्या सरकार सदन को आश्वस्त करेगी कि जैसी ही छठे वेतन आयोग की सिफारिशें केन्द्र से आती हैं उसी के अनुसार एक निश्चित अवधि के अन्दर, तीन महीने या जो वह फिक्स करे, प्रदेश सरकार में लागू कर दी जाय। यह सब शिक्षक या कर्मचारी है, लागू किया जाय। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि अमली जामा तो पहना दिया गया है। छठा वेतन आयोग गठित हो गया है और महंगाई की एक किश्त भी जारी हो गयी है। क्या प्रदेश सरकार भी जारी करने की घोषणा करेगी ?

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अध्यक्ष जी, एक तो वहां अभी गठन हुआ है, मेरे ख्याल से 15 दिन भी अभी नहीं हुए हैं, तो वहां पर भी 18 महीने का समय देते हैं, 18 महीने के बाद उसकी जो भी रिपोर्ट आयेगी सरकार उसको लागू करेगी और अगर कुछ जल्दी है तो केन्द्र सरकार से आग्रह कर लें बहुत जल्दी से मंगवा लें हम तो खुद ही लोकहितकारी कार्य कर रहे हैं, हमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, मंगवा लो वहां से।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या-1 डा0 अजय कुमार।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जवाब नहीं आया, पहले उत्तर आ जाने दीजिए फिर अगला प्रश्न लें।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की बात कर रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें जब आयेंगी तो हम उनको निश्चित तौर से यहां पर उन्हें लागू करेंगे तो एक आश्वासन हो गया मान्यवर, मेरा एक सवाल था कि पांचवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के बाद जो नगर प्रतिकर भत्ता है या नगरों का जो श्रेणी का वर्गीकरण है कैवाल टाउन्स का, उससे जो आवासीय भत्ता और भी कुछ कर जो मिलते हैं मान्यवर, वह अभी तक राज्य सरकार के कर्मचारियों पर नहीं लागू हुआ, माननीय मंत्री जी ने कहा केन्द्र की पांचवीं वेतन आयोग की सिफारिशों में नहीं था, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का जो उनका नगर का प्रतिकर भत्ता होता है वह राज्य सरकार का अलग होता है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार ने मानक निर्धारित किये हैं जनपदों के भत्ता देने का या आवासीय भत्ता देने का या नगर प्रतिकर भत्ता देने का उसका वर्गीकरण है वह अभी तक नहीं हुआ है तो उसका कब तक मान्यवर, राज्य सरकार अपने प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को लोकहितकारी सरकार है, कह रहे हैं हम तत्काल इसको लागू करना चाहते हैं हम छठे वेतन आयोग को जल्दी मंगवा लीजिये कह रहे हैं तो मान्यवर, जिसको लेकर के राज्य कर्मचारी पूरे प्रदेश में आन्दोलरत है और आपको अपने मानक के अनुसार देना है, वह कब तक दे देंगे ? हम यह जानना चाहते हैं।

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो किसी जनपद में कहीं भी कर्मचारी आन्दोलनरत नहीं है पूरे प्रदेश में इसकी जानकारी सारे सदन को है पूरे प्रदेश को है और अगर किसी जनपद में आन्दोलनरत हैं तो यह बता दें।

श्री अध्यक्ष-

उनका कहना यह है कि माननीय पाल साहब का प्रश्न यह है कि जैसे केन्द्र सरकार का जो आयोग उनके लिए संस्तुति करता है नगरों के लिये भत्ता देने का तो वह उत्तर प्रदेश सरकार का अलग होता है और अगर नहीं है तो क्या उस पर आप विचार करेंगे ?

श्री शाहिद मंजूर-

मान्यवर, समता समिति की रिपोर्ट आने के बाद जो मानक तय हुए है सरकार उसको दे रही है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब अगला प्रश्न लें।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कृषि विकास दर बढ़ाने की कार्य योजना

*1-डा0 अजय कुमार-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में कृषि विकास दर का लक्ष्य कितने प्रतिशत निर्धारित है ? पिछले तीन वर्षों की विकास दर कितनी थी ? क्या कृषि विकास दर को बढ़ाने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

वित्तीय वर्ष 2006-07 में कृषि विकास दर का लक्ष्य 5.1 प्रतिशत निर्धारित है।

पिछले तीन वर्षों के विकास दर का विवरण निम्न है :--

2002-03	1.10 प्रतिशत
2003-04	1.70 प्रतिशत
2004-05	2.20 प्रतिशत

कृषि विकास दर को बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी अभियान की कार्य-योजना तैयार की जाती है जिसके अनुसार लक्षित कृषि विकास दर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, कृषि अभी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है और बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया कराने का साधन भी है लेकिन यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि कृषि क्षेत्र लगातार उपेक्षित होता जा रहा है यद्यपि कृषि राज्यों का विषय है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं के रूप में फसलों के मूल्य निर्धारण के रूप में भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण निर्णय केन्द्र सरकार को करने होते हैं और बड़ी विडम्बना के साथ मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल सर्वे सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट आयी है उसमें 40 फीसदी किसान ज़मीन से अपना नाता तोड़ना चाहते हैं यह आंकड़े चौंकाने के लिये बहुत पर्याप्त हैं यानी की आज कृषि और किसान दोनों उपेक्षित हैं इस प्रश्न के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे प्रदेश हो, देश हो उसकी आर्थिक विकास दर बढ़ानी है, तो जब तक कृषि की आर्थिक विकास दर नहीं बढ़ेगी तब तक प्रदेश की या देश की आर्थिक विकास दर बढ़ नहीं सकती है। मान्यवर, प्रदेश में कृषि विकास दर न बढ़ने के मुख्य कारणों में से एक तो कृषि क्षेत्र में कम पूंजी निवेश का होना, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र की हो या निजी क्षेत्र की हो। दूसरा, लागत मूल्य के बढ़ने

से कृषकों की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा है। तीसरा, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य न मिलना-कम कृषि विकास दर के लिये जिम्मेदार हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करें।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या फसलों की लागत मूल्य का बढ़ना, कृषकों के उत्पादन का लाभकारी मूल्य न मिलना और कृषि में कम पूंजी निवेश होना-क्या कृषि की विकास दर के लिए बाधक है ?

डा0 अशोक बाजपेई-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बड़ा मौलिक प्रश्न उठाया है। यह तीनों बातों की निश्चित रूप से कृषि विकास दर को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। मान्यवर, जब तक किसान का लागत मूल्य कम नहीं होगा तब तक कृषि लाभकारी नहीं होगी और, जब तक किसान को वाजिब समर्थन मूल्य और लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तब तक किसान की कृषि के प्रति रुचि बढ़ाना कठिन होगा। मान्यवर, राज्य सरकार भारत सरकार पर दबाव डाल रही है कि खाद्यान्नों का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उसमें किसानों को लाभ सम्मिलित हो। मान्यवर, व्यापारियों को लाभांश दिया जाता है, 10-15 प्रतिशत तक लाभांश दिया जाता है। इसी तरह से कृषि में 15 प्रतिशत के लाभांश की बात कही जाती है। मान्यवर, हम लोग का प्रयास रहता है कि लागत है और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह इस तरह से निर्धारित किया जाये कि किसान को लाभकारी मूल्य मिल सके। हमारे तमाम प्रयासों के बाद भी अभी तक भारत सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना है। फिर भी हम लोग भारत सरकार से इस तरह का लगातार प्रयास कर रहे हैं, दबाव डाला है कि समर्थन मूल्य बढ़ाया जाये और उतपादन की लागत को कम किया जाये।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कृषि निवेशों के सम्बन्ध में हमारी सरकार का एक साहसिक प्रयास है, जो सहकारी बैंकों ने पिछले तमाम वर्षों में नहीं किया है, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गयी थी, उनको सुदृढ़ करने का काम इस सरकार ने किया है। हम सस्ती ब्याज दर पर किसानों को क्रेडिट बनाकर दे रहे हैं। जितनी जहां आवश्यकता है उतना कृषि निवेश उपलब्ध कराने का प्रयास है। हमने कृषि नीति 2005 बनायी है। मान्यवर, प्रदेश में कृषि की विकास दर को बढ़ाने के लिए अभी खरीफ अभियान चलाया गया जिसमें हमारे कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी न्याय पंचायत स्तर पर गये, कृषक गोष्ठियों का आयोजन किया गया। इस तरह से हम लोगों ने कृषि निवेश को उपलब्ध कराने के लिए और उन्नतिशील बीज दिलाने के लिए काम किया है। मान्यवर, अब रबी अभियान के लिए 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हम वह कार्यक्रम बनायेंगे जिसमें कृषि गोष्टियों के साथ बीज उर्वरक को समुचित मात्रा में उपलब्ध कराने की बात की जायेगी। मान्यवर, विकास दर को बढ़ाने के लिए और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आज निवेश की आवश्यकता है। उसके लिए यह सरकार हर तरह की प्रयास कर रही है और किसान की विकास दर को बढ़ाने की जो बात है उसको हम प्राप्त करेंगे यह आश्वस्त हम सदन को करना चाहते हैं। मान्यवर, यह कहा गया कि कृषि

का क्षेत्र संकुचित हो रहा है। तो हम कृषि क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए प्रयासरत् हैं। मान्यवर, अभी कल ही विश्व बैंक के अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत हुई है। पांच लाख एकड़ ऊसर भूमि को उपचारित करने की योजना है। इसी तरह से नौ लाख एकड़ ऊसर बंजर भूमि जो है उसको समतल करके कृषि क्षेत्रफल को बढ़ाने की योजना है। मान्यवर, हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि कृषि का उत्पादन बढ़े और कृषकों को लाभकारी मूल्य मिले।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, कृषि विकास दर न बढ़ने का कारण कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ना भी एक कारण बताया गया है। मान्यवर, जो लागत है उसके बढ़ने से कृषि की पैदावार और कृषि की विकास दर नहीं बढ़ रही है। मान्यवर, प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से 15 प्रतिशत लाभकारी मूल्य लाभांश के रूप में देकर समर्थन मूल्य घोषित करने का अनुरोध किया है। लेकिन केन्द्र सरकार ने आपकी मांगों को नहीं माना है। मान्यवर, कृषि विकास दर को बढ़ाने के लिए और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए क्या प्रदेश सरकार कोई प्रोत्साहन नीति या अनुदान देने पर विचार करेगी ? दूसरे, मान्यवर, आज खाद और उर्वरकों की बहुत कमी है। मान्यवर, क्या प्रदेश सरकार यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि किसानों को जो उर्वरकों की और खाद की जो जरूरत है वह उसे मिले और उर्वरकों पर कुछ सब्सिडी देकर कृषि विकास दर को बढ़ाने का प्रयास करेगी ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के कृषि विकास दर को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से अपने बजट से गेहूं में 120 रुपये प्रति कुन्तल गेहूं के बीज में सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसी तरह से खरीफ की फसलों में खरीफ के उन्नतशील बीजों को हम एक विशेष पैकेज के रूप में अनुदान देकर किसानों को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं कृषि उपकरण, कृषि में जो आधुनिक टेक्नालोजी है उसमें भी लगभग 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के हम उपकरण हम किसान को अनुदान के रूप में देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से किसानों के हित में कृषि विकास दर बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है और जो भी बन पड़ेगा, आगे भी करेगी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा उत्तर नहीं आया। मेरे प्रश्न का जवाब दिला दें। मान्यवर, उन्होंने स्वयं माना है कि लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है तो क्या प्रदेश सरकार लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए अपनी तरफ से कुछ अनुदान देने पर विचार करेगी।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, हमारी बात अगर केन्द्र सरकार ने स्वीकार नहीं की तो हमने किसान पर जोर जबरदस्ती भी नहीं की। खुले बाजार में उसको अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिल रहा था। किसानों ने अपना उत्पाद खुले बाजार में बेचा, समर्थन मूल्य पर नहीं बेचा इससे प्रदेश के किसानों को उसका लाभकारी मूल्य मिला, और उसमें सरकार ने किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, आंकड़ा देकर अपनी बात रखना चाहूंगा। 2005 में जहां एक ओर कृषि उत्पादन के बिक्री लाभ में सिर्फ दो प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं दूसरी ओर पानी, बिजली और डीजल और ब्याज दरों में 38 प्रतिशत का इजाफा हुआ। अभी माननीय मंत्री जी ने सदन में यह माना है कि किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है और लाभकारी मूल्य के लिए आप केन्द्र सरकार पर दबाव बनाये हुए हैं, मैं चाहूंगा, एक सुझाव के रूप में है, आप दबाव बनायें, यह प्रदेश के किसानों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि किसान को जब तक लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा देश और प्रदेश में कृषि का विकास नहीं हो सकता। प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी अगर पिछड़ी है तो हम कैसे उत्तम प्रदेश बनायेंगे ? मेरा प्रश्न यह है कि जैसे विदर्भ के लिए केन्द्र सरकार ने 3750 करोड़ रुपये पैकेज दिया है। वहां किसान आत्महत्या कर रहे थे विदर्भ क्षेत्र में, कृषि की विकास दर नीचे है। तो क्या प्रदेश सरकार विदर्भ की तरह प्रदेश के किसानों को भी पैकेज देने का अनुरोध केन्द्र सरकार से करने पर विचार करेगी ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय सदस्य की भावना से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैंने इस संबंध में आग्रह किया है कि प्रदेश के किसानों को पैकेज दिया जाय और जैसा माननीय सदस्य ने अपेक्षा की है और इसका और स्पेसिफिक रूप से आग्रह करेंगे।

प्रदेश में राष्ट्रीय किसान नीति लागू करने सम्बन्धी जानकारी

*2-डा0 सुशील चौधरी-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय किसान नीति को प्रदेश सरकार लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि राष्ट्रीय किसान नीति के मुख्य बिन्दु क्या हैं ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 सुशील चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के किसानों के लिए जो कृषि नीति राष्ट्रीय किसान नीति बनाई गयी है उसके बारे में इन्होंने कहा 'जी नहीं' आगे है कि यदि हां तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि राष्ट्रीय किसान नीति के मुख्य बिन्दु क्या है उस पर भी बता दिया कि प्रश्न नहीं उठता। तो आखिर कृषि विभाग कर क्या रहा है ? जब सारी बातों का जवाब दे रहे हैं कि प्रश्न नहीं उठता, जी नहीं तो आप किस लिये बैठे हैं यहां ? तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार किसानों की हितकारी सरकार है, बड़ा प्रचार है किसानों के लिए हितकारी सरकार है तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी कृषि नीति है और इसको लागू न करने की वजह क्या है ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है और उसके बाद जो भावना व्यक्त की है दोनों में बड़ा अन्तर है इन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय किसान नीति को

प्रदेश सरकार लागू करने पर विचार कर रही है ? तो अभी तक कोई राष्ट्रीय किसान नीति नहीं बनी है। जहां तक कृषि नीति की बात है उसमें मैंने पूर्व में कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि नीति 2005 बनाई है और उसको लागू किया है वह एक अलग प्रश्न है।

अभी तक किसान नीति केन्द्र सरकार ने बनाई ही नहीं और जब बनाई ही नहीं तो उसके मुख्य बिन्दु कहां से बताये जायें ? लेकिन फिर भी मान्यवर, इनकी जानकारी के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने नवम्बर, 2004 में प्रोफेसर एम0एस0 स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था और उस किसान आयोग को अध्ययन करके तीन वर्ष में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को देना है। उस सन्दर्भ में राष्ट्रीय किसान आयोग का प्रतिनिधिमंडल पिछले महीने उत्तर प्रदेश में भी आया था, हम लोगों के साथ पूरे दिन बैठकर उनकी लम्बी वार्तायें हुयीं और आज कृषि जगत की चुनौतियों के संबंध में भी प्रदेश का पक्ष मैंने उनके सामने रखा, लेकिन अभी तक उस आयोग ने न तो अपनी कोई रिपोर्ट दी है, न अभी कोई किसान नीति बनाने का मसविदा तैयार किया है और अभी उसके बारे में पहले से कुछ कहना सम्भव नहीं है। किसान आयोग क्या अपना प्रतिवेदन देता है, उसके बाद में क्या इस पर स्थिति होगी, तब इसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जा सकती है, यह माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं।

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की बन्द चीनी मिलों को चलाने की कार्य योजना सम्बन्धी जानकारी

*3-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी निगम की बन्द चीनी मिलों को चलाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की बन्द 11 चीनी मिलों में से केवल रामपुर चीनी मिल के दीर्घकालीन लाभप्रद संचालन हेतु पुनर्वासन परियोजना पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। अन्य किसी बन्द चीनी मिल को चलाने की कार्य योजना नहीं है।

उक्त पुनर्वासन परियोजना के अन्तर्गत 2500 टी0सी0डी0 क्षमता की नई चीनी मिल (3500 टी0सी0डी0 विस्तारीकरण प्राविधानित) को को-जनरेशन सहित स्थापित किया जाना है।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इन चीनी मिलों को चलाने के संबंध में 800 करोड़ रुपये की कठिनाई व्यक्त की है और कहा है कि क्षमता वृद्धि करने के लिये 800 करोड़ रुपये पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कही है कि इसके अतिरिक्त प्रदेश में निजी क्षेत्र की अत्यधिक क्षमता वाली चीनी मिलें स्थापित हो चुकी है तो मान्यवर, यह स्पष्ट है कि हर चीनी मिलों का क्षेत्र निर्धारित है, कुछ क्षेत्रों में निजी चीनी मिलें आई हैं लेकिन जो राज्य चीनी निगम की 11 चीनी मिलें बन्द हैं, वह कौन-कौन सी हैं, यह मैं जानना चाहूंगा। जैसे मुन्डेरवा बंद पड़ी हुयी है तो क्या उस क्षेत्र में कोई नई चीनी मिल आई यदि उस क्षेत्र में कोई नई चीनी मिल नहीं आई, खलीलाबाद बंद पड़ी है, बस्ती से लेकर गोरखपुर के बीच में सारी चीनी मिलें बंद पड़ी हैं और उसमें

कोई निजी क्षेत्र की चीनी मिलें भी नहीं आई है तो उस क्षेत्र के किसानों की कठिनाई को देखते हुये, जिस तरह से 11 में एक मिल को चलाने की व्यवस्था की गयी है कि हम उसको दीर्घकालिक लाभ संचालन हेतु चला रहे हैं और एक मान्यवर, जो को-जेनरेशन की बात की गयी है कि को-जेनरेशन के आधार पर भी हमने उस मिल को 2500 से 3500 टी0डी0सी0 किया है तो मान्यवर, यह अच्छा कदम है कि अगर एक मिल को चलाने के संबंध में एक नीति इन्होंने बनाई कि एक दीर्घकालिक लाभप्रद संचालन हेतु पुनर्वासन परियोजना पर हमने स्वीकृति दी है तो जो और राज्य चीनी निगम की 10 चीनी मिलें बंद हैं जिसमें मैं खासतौर से कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश क्या पूरे प्रदेश के किसानों का कैश क्राप केवल गन्ना है और उस चीनी निगम की बंद पड़ी चीनी क्षेत्रों में अगर कोई निजी क्षेत्र की कोई चीनी मिल नहीं आई है तो उसको भी दीर्घकालीन लाभप्रद परियोजना के अन्तर्गत उन मिलों के भी बारे में भी पुनर्विचार कर लें जहां तक पैसे की बात है, मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, मान्यवर, स्वाभाविक है कि किसानों का हित सर्वोपरि है, राज्य सरकार की अपनी चीनी मिलें हैं, अगर आठ सौ करोड़ रुपया लगाने से 10 चीनी मिलें चल सकती हैं तो यह लाभप्रद होगा और को जनरेशन भी उसमें शुरू हो जाएगा, चीनी बनेगी, गन्ने की पेराई सुनिश्चित हो सकेगी, किसानों को लाभप्रद मूल्य मिलेगा, बाई-प्रोडक्ट से उनको और लाभ मिलेगा, बिजली उत्पादन की भी बात शुरू हो गई है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया पहले उत्तर आ जाने दीजिए। माननीय मंत्री जी बता दें कि 11 मिलें कौन-कौन सी हैं ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, निगम की कुल 33 चीनी मिलें हैं और उनमें से 22 चीनी मिलें चल रही हैं और कुल 11 चीनी मिलें बन्द हैं और इन 11 मिलों में से एक रामपुर चीनी मिल को चलाने का प्रयास किया गया है कि उस चीनी मिल को चलाया जाए। उसमें शासन ने निर्णय भी ले लिया है कि प्रतिवर्ष 7 करोड़ लगेंगे, तो उसमें एक मुश्त निर्णय ले लिया गया है कि 62 करोड़ रुपए की उसमें लागत आयेगी लेकिन रामपुर चीनी मिल की जो स्थिति है और मुंडेरवा चीनी मिल की जो स्थिति है, दोनों में बहुत अन्तर है। तो मान्यवर, टेण्डर भी हो गया है, शुरुवात हो गई है लेकिन इसके बावजूद भी जो पाल साहब ने कहा, उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि मान्यवर, सरकार की बहुत सी चीनी मिलें आजादी से बहुत पहले की हैं, उन चीनी मिलों को सरकार ने चलाने के लिए बहुत प्रयास किया है, निजीकरण के लिए भी सरकार ने बहुत प्रयास किया है लेकिन मान्यवर, सफलता नहीं मिली, इसलिए इन चीनी मिलों को चलाने में केवल घाटा ही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप 11 चीनी मिलों के नाम बता दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, इन 11 चीनी मिलों में बाराबंकी, रामपुर, मेरठ, बरेली, हरदोई, सीतापुर, खतौली, घुंघली, मुंडेरवाँ, नवाबगंज और नंदगंज चीनी मिलें हैं। इनमें से रामपुर चीनी मिल को चलाने का काम

किया गया है और मान्यवर, बाकी चीनी मिलों को चलाने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन वह मिलें चलाने योग्य नहीं हैं, वह बहुत पुरानी चीनी मिलें हैं और उसमें बहुत सी दिक्कतें हैं, इसलिए यह चीनी मिलें नहीं चलाई जा सकती है।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, जो जवाब आया है कि कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। दूसरी बात कही है कि बन्द मिलों को उनकी वर्तमान पेराई क्षमता पर संचालित किये जाने पर काफी अलाभप्रद स्थिति रहेगी। और तीसरी बात कही है कि इनकी विस्तारित क्षमता पर पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध होने की सम्भावना भी बहुत कम है। मान्यवर, यह तो सरकार की जिम्मेदारी है, अगर मिल ही नहीं चलेगी तो जो समर्थन मूल्य डिक्लियर करते हैं गन्ना किसानों के संरक्षण के लिए वह निरर्थक हो जाएगा। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार गन्ना किसानों का संरक्षण कैसे करेगी ? जो समर्थन मूल्य आप दे रहे हैं अगर उसे प्राईवेट पर छोड़ दिया जाएगा तो इस बार तो उसने 140 रुपए का मूल्य दे दिया और अगर अगली बार सारे उद्योगपति तय कर लें कि 100 रुपए के हिसाब से मूल्य देंगे तो किसान क्या अपना गन्ना लकड़ी की तरह जलायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न तो पूछ लें।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, समर्थन मूल्य को आर्थिक बनाने के लिए सरकारी चीनी मिलें चलना जरूरी है, यह जो उत्तर आया है, ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रश्न का उत्तर तो माननीय मंत्री जी ने पहले ही दे दिया है कि नहीं चल सकती हैं, अलाभप्रद है।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, यह काफी नहीं है, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह चीनी मिलों को चलाकर गन्ना किसानों को संरक्षण दे। केवल रेट डिक्लियर कर दिया जाए और चीनी मिलें चलें ही न तो उससे क्या लाभ होगा ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य का कहना है कि जब चीनी मिलें बन्द हो जाएंगी तो किसानों का क्या होगा, वह अपना गन्ना कहां ले जाएगा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना है कि जब मिलें ही बन्द हो जाएंगी तो गन्ना किसान गन्ने को कहां ले जाएगा, कृपया इसकी व्यवस्था बता दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वैसे तो आपको पता ही है कि हमारी सरकार जब से आयी है तब से कोई दिक्कत ही नहीं है। (सत्तापक्ष से आवाज आयी कि सब गदगद हैं।) आदरणीय हुकुम सिंह जी, आप भी गदगद हैं। ये चीनी मिलें बन्द कब हुईं, आपके जमाने में बन्द हुई हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल-

11 चीनी मिलों का दुर्भाग्य है कि ये भा0ज0पा0 के शासनकाल में बंद हुई हैं

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने अगर कोई बात कही थी ढोलक की तो गलत नहीं कही थी, वह बात सिद्ध हो रही है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, 'सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसके बहत्तर छेद।' आपकी किसान विरोधी सरकार थी उसका नतीजा यह रहा कि केन्द्र में भी विपक्ष में आ गये और प्रदेश में भी, अगली बार रसातल में चले जायेंगे।

श्री लालजी टण्डन-

मुझे सूचना मिली है कि जगदम्बिका पाल के घर खुशी हुई, घर में बच्चा पैदा हुआ और यह चिल्लाने लगे कि भा0ज0पा0। परिवार में विवाद हो गया इनका कहना था कि भा0ज0पा0 ने कर दिया।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, जब कहीं खुशी होती है तो सबसे पहले सूचना किसको मिलती है, टण्डन जी को मालूम है ? मा0 टण्डन जी के लिये उस भाषा का प्रयोग तो नहीं कर सकता इनके यहां खुशी मिली है और नाच गा करके बता रहे थे। अगले चुनाव में फिर पायल से पायल लड़ेगी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 11 बंद चीनी मिलों में रामपुर चीनी मिल को चलाया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि रामपुर चीनी मिल में अभी तक सरकार ने कितना पैसा स्वीकृत किया है। यह बताया गया कि चीनी मिल चालू हो गयी। तो मिल के चालू हो जाने के बाद लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, कितनी पेराई हुई है ? दूसरा आपने बताया कि 10 बंद चीनी मिलों पर 800 करोड़ लगेगा, इस प्रकार एक चीनी मिल पर 80 करोड़ आता है। 250 करोड़ रुपये से साड़ियों के बांटने का निर्णय लिया गया। मैं सरकार से चाहूंगा कि 10 में से 5 चीनी मिलों पर कुछ पैसा दे करके आधुनिकीकरण करके प्रारम्भ करने पर विचार करें ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, वैसे तो रामपुर की शुरुआत है, अभी चालू नहीं हुई है, चलाने का प्रयास है, टेण्डर हो चुका है और आगे सीजन में वह चलायी जायेगी। गौर साब जो कह रहे हैं हमारी सरकार का दावा है इस जमाने में कोई गन्ना जला नहीं और कोई भुगतान बकाया नहीं है और यहां तक कि जो गन्ना नीति थी उसकी वजह से 28 नई चीनी मिलें प्रदेश में लग चुकी हैं, आगे और भी चीनी मिलें लगेंगी, 8 चीनी मिलों का और प्रस्ताव है, ये आगे लगेंगी। यह सब तो हमारा प्रयास है ही, हमारी सरकार का दावा है कि कहीं किसान को दिक्कत नहीं होगी। आपके जमाने में गन्ने का रेट भी कम था और भुगतान भी नहीं था।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

यह आप गलत कह रहे गन्ना मूल्य का 100 प्रतिशत भुगतान था।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आपके जमाने में गन्ना जला भी और जब किसान गन्ने का दाम मांगने गये तो रामकोला में गोलियां भी चलीं। हमारे जमाने में एक किसान का गन्ना जला नहीं हैं आपके जमाने में किसान मिल मालिक के पीछे-पीछे भागता था। किसान पर गोलियां चलीं और किसान मारे गये थे। हमारे जमाने में मिल मालिक किसान के पीछे चल रहा है।

एक सदस्य-

गन्ना मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। आपके गन्ना मंत्री मिल के सामने खुद धरने पर बैठ जाते हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हमारी सरकार ने प्रयास किया है चीनी मिलों को चलाने के लिये लेकिन यह चीनी मिलें चलायी नहीं जा सकतीं क्योंकि यह बहुत पुरानी चीनी मिलें हैं। यह आजादी के पहले की हैं। अब इनमें कुछ रहा नहीं है और कोई खरीदने के लिये और चलाने के लिये तैयार नहीं है। यह चीनी मिलें अलाभकारी हैं और चलायी नहीं जा सकती हैं।

प्रदेश में कृषि नीति के तहत कृत कार्यों का विवरण

*4-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि नीति प्रभावी है ? यदि हां, तो किस तिथि से ? उक्त नीति के तहत अब तक प्रदेश में क्या कार्य हुए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी, हां।

दिनांक 25 जनवरी, 2006 से।

उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2005 आगामी 10 वर्षों में होने वाले उत्तरोत्तर विकास के कार्यों को लक्षित करते हुए बनायी गयी है, जिसके तहत प्रदेश में किये जा रहे कार्यों का विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 148-149 पर।)

निगम की शेष 10 बन्द चीनी मिलों को उनकी विषम आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत पुनर्संचालन किये जाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। बन्द मिलों को उनकी वर्तमान पेराई क्षमता पर संचालित किये जाने पर काफी अलाभप्रद स्थिति रहेगी। यदि बन्द मिलों का आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण कर क्षमता वृद्धि करने का निर्णय लिया जाता है तो लगभग रु0 800 करोड़ पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में निजी क्षेत्र की अत्यधिक क्षमता वाली चीनी मिलें स्थापित हो चुकी हैं जिसके फलस्वरूप इन मिलों को इनकी विस्तारित क्षमता पर पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध होने की सम्भावना भी बहुत कम है।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कृषि नीति 25 जनवरी, 2006 से लागू होना बता दिया है इसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्राविधान हैं। इन प्राविधानों के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बीज बैंक यह किसानों के लिये महती आवश्यकता है। कृषि नीति में प्राविधानित है कि बीज बैंक बनाये जायेंगे, क्या इसके लिये बजट में कोई व्यवस्था करेंगे ? दूसरी बात कि इसमें व्यवस्था की गयी है कि एग्रो ट्रेनिंग, आई0पी0एल0 लैब की स्थापना करेंगे, मैं यह जानता हूं कि क्या आप बजट में व्यवस्था करके पढ़े लिखे नौजवानों को कृषि से जोड़ने के लिये और प्रदेश के विकास के लिये एग्रो ट्रेनिंग और आई0पी0एल0 लैब खोलने के लिये व्यवस्था करेंगे। तीसरी बात जो आपने कृषि नीति बनायी है इसमें कृषि उत्पाद को कहां पहुंचाया जायेगा इसके लिये कोई व्यवस्था की गयी है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, "उत्तर प्रदेश की कृषि नीति-2005" एक व्यापक दस्तावेज है। इसे हमने कृषि में सप्त क्रांति की संज्ञा दी है। इसमें 7 प्रमुख बिन्दु हैं जिसमें कृषि सम्बन्धी सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है। जो आज ग्लोबल चैलेंजेज हैं उनका मुकाबला करने के लिये यह नीति बनायी गयी है। जो बिन्दु माननीय सदस्य ने उठाये हैं वह सारे बिन्दु कृषि नीति में समाहित हैं और उन सभी पर कार्य चल रहा है। आपने बीज बैंक की बात कही है। हमने बीज ग्रामों की स्थापना की है जहां पर उन्नतशील बीज देकर उनसे फाउन्डेशन सीड देकर उन्नतशील बीजों को तैयार करा रहे हैं और उनको विशेष सुविधायें और छूट भी दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। जहां तक आपने पढ़े लिखे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की बात कही है उनको एग्रो बिजनेस और एग्रो मार्केटिंग का प्रशिक्षण देने की कार्य योजना पर भी कार्य हो रहा है। प्रत्येक गांव सभा से एक प्रगतिशील किसान को प्रशिक्षित कर रहे हैं जिससे वह गांव में कृषि की टेक्नालोजी के बारे में गांव के लोगों को बता सकें। कुल मिलाकर प्रदेश की नयी कृषि नीति एक क्रांतिकारी दस्तावेज है जो प्रदेश की कृषि व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का और प्रदेश की कृषि को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से यह नीति बनायी गयी है जो भी राय साहब ने शंकायें व्यक्त की हैं वह इसमें सब हैं। अगर कृषि नीति का मूल दस्तावेज उनके पास न हो तो भिजवा दूंगा, इसे अध्ययन कर लेंगे, इसमें सारी चीजें हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, बहुत स्पेसिफिक चीज पूछी है राय साहब ने कि हमारे जो नौजवान हैं कृषि में बढ़ना चाहते हैं, प्रोत्साहित होना चाहते हैं, कृषि को रोजगार परक करना चाहते हैं तो ऐसे काम यदि बेरोजगार नौजवान करते हैं, लेबोरेटरी की स्थापना करते हैं तो क्या आप उनको सब्सिडी देंगे। राय साहब ने यह स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है जिसका कोई जवाब नहीं आया है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

विभिन्न विश्वविद्यालयों में कृषि महाविद्यालयों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको व्यवसायिक कृषि की शिक्षा दी जाती है इसके लिए अलग से कैरीकुलम तैयार किए गए हैं। जैसा प्रशिक्षण वह चाहेंगे उसकी उनके लिए व्यवस्था की गई है।

श्री अध्यक्ष-

मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री सुखदेव राजभर-

आप नौजवानों को सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, किसानों को प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं सरकार की इस नीति के विरोध में हम सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

(श्री सुखदेव राजभर अपने दल बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

*5-कुँवर भारतेन्द्र सिंह

[चौथे शुक्र0 के ता0 प्र0 सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में किसान मित्रों के स्वरूप में परिवर्तन कर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था

*6-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में स्वीकृत हुई किसान मित्र योजना को वर्ष 2005 में स्थगित किया गया है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा प्रशिक्षण देकर रखे गये किसान मित्रों के भविष्य के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ? क्या उनको किसी अन्य योजना में समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक और किस योजना में ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

6 (क) जी नहीं। वर्ष 2005-06 में किसान मित्र योजना के स्वरूप में परिवर्तन हो जाने के कारण किसान मित्रों के स्थान पर प्रगतिशील कृषकों को सम्पर्क सूत्र के रूप में चयनित कर उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है, जिसमें किसी प्रकार का मानदेय देने का प्राविधान नहीं है।

(ख) जी नहीं। किसान मित्र योजनान्तर्गत किसान मित्रों को प्रशिक्षण दिये जाने के पश्चात उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने गांव में आदर्श किसान के रूप में कार्य करेंगे तथा अन्य किसानों को तकनीकी कृषि की जानकारी के सम्बन्ध में अवगत कराते रहेंगे। वर्तमान में पंचायत राज विकेन्द्रीकरण व्यवस्था में जो किसान सहायक पंचायत राज विभाग में भेजे गये थे, वह गत वित्तीय वर्ष में वापस आ गये हैं। अतएव अब किसान मित्रों के स्वरूप में परिवर्तन कर प्रगतिशील कृषकों को सम्पर्क सूत्र के रूप में चयनित कर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या किसान मित्र योजना जो वर्ष 1998-99 में प्रारम्भ हुई थी को वर्ष 2005 में स्थगित कर दिया गया है आपने कहा कि उसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया गया मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि जो किसान मित्र योजना 1998-99 में प्रारम्भ हुई थी उन किसान मित्रों को क्या कोई मानदेय उस समय निश्चित किया गया था ? दूसरा यदि निश्चित किया गया था तो उस मानदेय का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

डा0 अशोक बाजपेयी-

अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में होगा जब पंचायती राज व्यवस्था घोषित हुई थी तो उस व्यवस्था में जो किसान सहायक पंचायत राज विभाग में भेजे गये थे वह गत वित्तीय वर्ष में वापस आ गए हैं। अब किसान मित्रों के स्वरूप में परिवर्तन कर प्रगतिशील कृषकों को सम्पर्क सूत्र के रूप में चयनित कर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि किसान मित्रों को जो मानदेय निश्चित किया गया था उसका भुगतान कब तक किया गया क्या पूर्ण भुगतान कर दिया गया ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जब तक किसान मित्र योजना चली उस समय तक भुगतान कर दिया गया अगर आपके पास कोई दृष्टान्त हो तो आप दे दें हम भुगतान करा देंगे।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बलिया में हड़वा मोड़ से रतसड़ तक के मार्ग का निर्माण कार्य

1-श्री राम इकबाल सिंह

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया में हड़वा मोड़ से रतसड़ तक के जर्जर मार्ग का निर्माण कार्य प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग की कुल लम्बाई 14.230 कि0मी0 के विरुद्ध 8.00 कि0मी0 में मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है तथा कार्य दिसम्बर, 2006 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। शेष भाग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में भुखमरी से मरने वालों की संख्या एवं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता की मांग

2-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में माह जनवरी, 2005 से जुलाई, 2006 तक कितने लोगों की भूख से मृत्यु के मामले प्रकाश मे आये हैं ? क्या सरकार द्वारा भुखमरी से मरने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उप जिलाधिकारी द्वारा कतिपय ग्रामों में ग्राम समाज की भूमि के सम्बन्ध में नियम विरुद्ध किये गये निर्णय की जांच

3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उप जिलाधिकारी द्वारा ग्राम सरौली, पूरेबंशीधर, इटवा, नोही, बिझला, विनयका, अनदेवरी, भिटार, लबेदा, सैलखा,

बीबीपुर, सुजानपट्टी, सोनपुरा, हर्रई पट्टी, उदई शाहपुर, धनईपुर सहित अन्य ग्रामों की ग्राम समाज की भूमि के सम्बन्ध में नियम विरुद्ध उनके द्वारा किये गये निर्णय के सम्बन्ध में उन्हें तथा प्रमुख सचिव, राजस्व को मुख्य मंत्री का आदेश सं0 सी0एम0/ वि0को0/एम/127904/05, दिनांक 5-7-05 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र ख-3/069854 दिनांक 12-7-05, ख-3/069070 दिनांक 12-7-05, ख-3/069852 दिनांक 12-05, ख-3/271424 दिनांक 1-7-05, क-1/233618 दिनांक 16-6-05, ख-3/271441 दिनांक 21-6-05, क-1/233622 दिनांक 21-6-05, ख-3/271424 दिनांक 1-7-05, ख-3/271418 दिनांक 21-6-05 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उसकी जांच किसके द्वारा कराई गयी ? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/127904/05 दिनांक 05-07-05 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/069854

दिनांक 12-07-05, क-1/233622

दिनांक 21-06-05, ख-3/069852

दिनांक 01-02-06, ख-3/271424

दिनांक 01-07-05, ख-3/271418

दिनांक 21-06-05, /प्राप्त हुआ है।

पत्र संख्या-ख-3/069070 दिनांक 12-07-05 तथा पत्र संख्या-ख-3/271418 दिनांक 21-06-05 प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 मुख्य मंत्री जी का आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/127904/05 दिनांक 05-07-05 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त पत्र में धारा-229बी, 123 (1), 122 बी 4 एफ, ज0वि0अ0 के अन्तर्गत आवासीय, वृक्षारोपण, कृषि, कुम्हारी कला के रूप में अनियमित रूप से पट्टा आवंटित किये जाने की कुल 182 ग्रामों की सूची लगाकर ग्रामवार, धारावार, ब्लाकवार तथा स्वीकृति दिनांक के अनुसार शिकायत की गयी थी। जांच में यह पाया गया कि 119 वाद पत्रावलियों में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी थी। 25 वाद पत्रावलियों की स्वीकृति की तिथि तथा शिकायती-पत्र में उल्लिखित तिथियों में भिन्नता पायी गयी। जिसके कारण जांच सम्भव नहीं हो सकी। 26 वाद पत्रावलियां रजिस्ट्रार कार्यालय दर्ज नहीं पाये जाने के कारण जांच नहीं हो सकी। शेष 12 वाद पत्रावलियां प्रवर न्यायालयों में विचाराधीन है। 119 वाद पत्रावलियों में कोई भूमि धारा-132 के अधीन सुरक्षित भूमि न होने के कारण तथा लाभार्थियों के पक्ष में शासन की मंशा के अनुरूप विनियमितीकरण की कार्यवाही की गयी। कोई अनियमितता संज्ञान में नहीं आयी।

पत्र संख्या-ख-3/069854 दिनांक 12-07-05 में ग्राम मदाफर में वाद संख्या 3/1 अन्तर्गत धारा-198(4) जेड0 ए0 ऐक्ट सरकार बनाम कमला देवी में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध यउ शिकायत की गयी कि जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 10-12-93,

31-12-93 व 14-04-95 के उपजिलाधिकारी, पट्टी के आदेश को निरस्त करने के साथ-साथ दोषीगण के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज न कराने एवं दोषियों को विधिक रूप से दण्डित नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तत्कालीन उप जिलाधिकारी पट्टी द्वारा धारा-161 जेड0ए0 ऐक्ट के अन्तर्गत किया गया विनिमय गलत पाये जाने के कारण न्यायालय अपर आयुक्त, इलाहाबाद द्वारा अपील संख्या-28/73/115 वर्ष 1992-2003 तारीख फैसला 23-02-2005 अन्तर्गत धारा-331 निरस्त कर दिया गया था। किन्तु अपर आयुक्त के आदेश को राजस्व परिषद् द्वारा निगरानी संख्या-48/2005 दिनांक 30-08-2005 को स्थगित कर दिया गया है।

पत्र संख्या-ख-3/069852 दिनांक 12-07-05 में यह शिकायत की गयी थी कि तहसील पट्टी के ग्राम मदाफरपुर में सरकारी स्कूल के नाम अंकित गाटा 211 को गाटा संख्या-239, 257, 255 व 388 का विनिमय वाद संख्या-40 तारीख फैसला 25-02-1992 से तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा पहले निरस्त करने के बाद भी बाद में पुनर्विचार प्रार्थना पत्र के बाद दिनांक 29-03-92 अनियमित रूप से आदेश पारित कर दिया गया। जांच में उक्त विनिमय अनियमित पाये जाने के कारण न्यायालय अपर आयुक्त (पंचम) इलाहाबाद मण्डल द्वारा दिनांक 23-02-2005 को निगरानी संख्या 48/04-05 सम्पत्ति आदि बनाम एल0 एम0 सी0 स्वीकृत करते हुए निरस्त कर दिया गया है। उक्त आदेश दिनांक 23-02-05 को राजस्व परिषद् द्वारा रिवीजन संख्या-83/2004-05 तारीख फैसला 18-08-2005 द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

पत्र संख्या-ख-3/271424 दिनांक 01-07-05 जो प्रश्न में दो बार अंकित है, में यह शिकायत की गयी है कि गाटा संख्या-32 स्थित ग्राम मदाफरपुर के दर्ज रकबे से अधिक क्षेत्रफल पर कमलापति, जगदीश नारायण, इन्द्रमणि, नागमणि द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में यह तथ्य संज्ञान में आया कि गाटा संख्या-32 का रकबा नक्शे में खतौनी में अंकित क्षेत्रफल से अधिक बना है। जिनके सम्बन्ध में नक्शा दुरुस्ती का वाद अन्तर्गत धारा-28 जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

पत्र संख्या-ख-2/271418 दिनांक 21-07-05 एवं पत्र क-1/233622 दिनांक 21-06-05, जो एक ही शिकायत से सम्बन्धित है, में यह शिकायत की गयी है कि ग्राम मदाफरपुर में वर्ष 1991 से 1995 तक अनियमित रूप से आवास, कृषि, वृक्षारोपण का पट्टा अन्य जनपदों के लोगों को प्रधान जगदीश नारायण व उप जिलाधिकारी, पट्टी द्वारा करने के बावजूद आज तक दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज न होने का कारण तथा शासन स्तर से तीन अधिकारियों की टीम गठित न होने के कारण जानने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में जांच में पाया गया था कि ग्राम मदाफरपुर में 1991 से 1995 तक कुल 199 व्यक्तियों को 58 बीघा, 5 बिस्वा, 17 धुर का आवंटन किया गया था। जिसकी स्वीकृति क्रमशः दिनांक 10-12-93, 31-12-93 एवं 14-04-95 को निरस्त कर दिया गया है तथा 11 आवंटन पत्रावलियों में निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है। उक्त पत्रावलियों में धारा-132 के अधीन सुरक्षित भूमि की नवैइत बदलकर आवंटन की कार्यवाही की गयी थी। अन्य

जनपदों के निवासी के सम्बन्ध में शिकायत संतोषजनक नहीं पायी गयी क्योंकि आवंटी मतदाता सूची में बतौर निवासी अंकित थे। स्वीकृति दिनांक 26-11-91 में कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई।

प्रकरण में जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) स्तर से की गयी थी।

जांच में पायी गयी अनियमितताओं को नियमानुसार निरस्त किया गया है उपरोक्त प्रस्तर-2 में अंकित है। ग्राम मदाफरपुर के प्रकरण में दोषी पाये गये तत्कालीन उपजिलाधिकारी श्री वृजगोपाल अग्रवाल, श्री इन्द्रदेव सिंह, श्री शिव शंकर तिवारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसी प्रकार तत्कालीन राजस्व निरीक्षकगण श्री सोमेश्वर शुक्ला, श्री नोखईराम, मुन्नीलाल भी पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी श्री पारस नाथ एवं इन्द्रपाल वर्मा के विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी जिसमें इन्द्रपाल वर्मा लेखपाल के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने के कारण बहाल कर दिया गया है तथा श्री पारस नाथ लेखपाल जो वर्तमान में कुण्डा तहसील में स0र0का0 के पद पर हैं को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए एक सत्यनिष्ठा संदिग्ध अंकित करते हुए एक वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए रोकी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

4-श्री भगेलू राम-

[2सरे सोम के अता0प्र0सं0-84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर के महोली में नयी तहसील के गठन की मांग

5-श्री राम हेत भारती-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के महोली में नयी तहसील का गठन करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो नयी तहसील का गठन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व परिषद् में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित मानक पूरे न किये जाने के कारण प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील सदर में ककरा काकर कुण्ड में ग्राम की भूमि, काश्तकारों के कब्जे की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर की सदर तहसील के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ककरा काकर कुण्ड (ककरा कलां) में ग्राम समाज की कितने एकड़ सरकारी जमीन है ? इस जमीन पर किस-किस काश्तकार ने फसल बोई है ? इस भूमि पर काश्तकारों को कब्जा देते समय क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा इसमें कितने सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम ककरा काकर कुण्ड (ककरा कलाँ) तहसील सदर, जनपद-शाहजहांपुर में कुल 186.87 एकड़ ग्राम सभा एवं 21.53 एकड़ बचत की भूमि है।

ग्राम की बचत भूमि पर जिन कृषकों द्वारा अनधिकृत रूप से फसल बोई गई थी उनकी सूची संलग्न है।

ग्राम ककरा कांकर कुण्ड, तहसील सदर में जो चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा-24 के अन्तर्गत कब्जा परिवर्तन दिनांक 23-7-2005 को कराया गया है। कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही में किसी प्रकार से कोई सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हुआ है।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराये जाने पर श्री यशोदा सिंह राना, चकबन्दी लेखपाल जो कि इस कृत्य हेतु पूर्णतः जिम्मेदार हैं, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जा चुका है एवं श्री चक्रपाणि मिश्र, चकबन्दीकर्ता जो कि शिथिल पर्यवेक्षण के दोषी हैं को कठोर चेतावनी निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 150-151 पर)।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील सदर के ग्राम ककरा काकर कुण्ड की कृषि योग्य भूमि पर कास्तकारों के अवैध कब्जे की जांच

7-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चकबन्दी अधिकारियों को ग्राम समाज की जमीन को पट्टे पर देने का अधिकार है ? यदि हां, तो इसकी प्रक्रिया क्या है ? क्या जनपद शाहजहांपुर की सदर तहसील के अन्तर्गत आने वाले ग्राम ककरा काकर कुण्ड (ककरा कला) की लगभग 200 हेक्टेयर कृषि भूमि पर नाजायज तरीके से काश्तकारों को कब्जा देने के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम ककरा काकर कुण्ड में स्थित ग्राम सभा भूमि का सर्वेक्षण कराया गया। चकबंदी प्रक्रिया के दौरान छोड़ी गयी बचत भूमि का कुल रकबा 8.723 हेक्टेयर है, पर 25 कृषकगणों का अवैध कब्जा पाया गया है जो 3-4 माह से काबिज हैं।

अवैध कब्जेदारों को पुलिस बल के द्वारा बेदखल कराकर बचत भूमि को प्रधान/अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम ककरा काकर कुण्ड के नियंत्रण में सौंप दी गयी है। बचत भूमि अवैध कब्जेदारों से मुक्त करायी जा चुकी है। अपने दायित्वों का निर्वहन न करने के लिये यशोद सिंह राना, चकबंदी लेखपाल व श्री चक्रपाणि मिश्रा, चकबंदीकर्ता जिम्मेदार हैं।

प्रकरण की जांच में श्री यशोद सिंह राना, चकबंदी लेखपाल इस कृत्य के लिये पूर्णतः जिम्मेदार पाये गये हैं, को तत्काल प्रभाव से दिनांक 12-9-06 को निलम्बित किया जा चुका है।

श्री चक्रपाणि मिश्रा, चकबंदीकर्ता शिथिल पर्यवेक्षण के लिये दोषी हैं, उन्हें कठोर चेतावनी प्रदान की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 कृषि उद्योग निगम (यू0 पी0 एग्रो) में समूह "ग" संवर्ग के कर्मचारियों को नियत वेतन दिलाये जाने की मांग

8-श्री परमजीत मलिक-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 कृषि उद्योग निगम (यू0 पी0 एग्रो) में वर्तमान समय में समूह "ग" संवर्ग के कुल कितने कर्मचारी नियत वेतन में कार्यरत हैं ? नियत वेतन की दर क्या है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उक्त संवर्ग के कर्मचारियों को मात्र 612 रु0 प्रतिमाह नियत वेतन दिया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित व श्री विजेन्द्र सिंह, एकाउन्ट्स क्लर्क/सेन्टर इन्चार्ज द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवेदन दिनांक 26-4-2006 जो मा0 कृषि मंत्री जी को सम्बोधित एवं उसकी प्रति कृषि उत्पादन आयुक्त उ0 प्र0 को पृष्ठांकित है, प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

समुह "ग" में नियत वेतन में कुल दो कर्मचारी कार्यरत हैं। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में एक कर्मचारी को रु0 612/- तथा दूसरे कर्मचारी को रु0 1021/- प्रतिमाह दिया जा रहा है।

मात्र एक कर्मचारी को ही संकलित वेतन रु0 612/- प्रतिमाह दिया जा रहा है।

जी हां।

उक्त प्रतिवेदन पर यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड0 कारपोरेशन लि0 के स्तर पर विचार किया गया और प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में विचाराधीन होने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के थाना हरगांव की श्रीमती रामकली पत्नी स्व0 धनीराम की मृत्योपरान्त मृतक के परिजनों को आपदा राहत राशि प्रदान करने की मांग

9-श्री राम हेत भारती-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 26-7-06 को अत्यधिक वर्षा होने के कारण दीवार गिर जाने से उसके नीचे दबकर श्रीमती रामकली पत्नी स्व0 धनीराम निगोहा, थाना-हरगांव, जनपद-सीतापुर की मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मृतका के परिजनों को दैवी आपदा राहत राशि प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

मृतका के परिजनों को दैवी आपदा राहत निधि से अनुग्रह सहायता की राशि दिनांक 9-9-2006 को रु0 50,000/- प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के उप निदेशक के पदों पर आरक्षण कोटा पूर्ण कराने की मांग

10-श्री बाबू राम-

क्या कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में उप निदेशक (वि0/या0) के पदों पर आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कोटा कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

आरक्षित वर्ग के सहायक अभियन्ता पद पर कार्यरत कार्मिक की पदोन्नति हेतु निर्धारित 16 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण न होने के कारण आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका।

उ0 प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली, 1984 के प्राविधानानुसार निर्धारित 16 वर्ष की अवधि पूर्ण होने एवं उक्त पद हेतु चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर उक्त कोटा पूर्ण किया जायेगा।

जनपद गोण्डा के आजमगढ़, फैजाबाद मार्ग से कतिपय मार्गों पर सड़क/पुलियां निर्माण कराने की मांग

11-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में आजमगढ़ फैजाबाद मार्ग किमी0 88 से निकट भगोहर मौजा से बोगड़ा जमुनहा सम्पर्क मार्ग मात्र 2-70 किमी0 का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1997-98 में रु0 23.00 लाख रुपये राज्य योजना से स्वीकृत एवं अवमुक्त किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर केवल गिट्टी डालकर मात्र 1 किमी0 सड़क का कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण कराया गया था जो क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य कराने के उपरान्त नई सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

भगोहर-बोगडा-जमुनहा सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 24-2-98 द्वारा 2.70 किमी0 लम्बाई में रु0 23.00 लाख की राशि प्रदान की गयी थी। जिसके विरुद्ध वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक सम्पूर्ण धनराशि रु0 23.00 लाख अवमुक्त कर दी गयी।

कुल स्वीकृत लम्बाई 2.70 कि0 मी0 के विरुद्ध 1.00 किमी0 मार्ग लेपन स्तर तक निर्मित है जिसके कुछ भाग में पैचेज है तथा शेष 1.70 किमी0 टाप कोट स्तर तक निर्मित है।

जी नहीं।

पुलिया का कार्य स्वीकृत न होने के कारण तथा अवशेष भाग का शेष कार्य सीमिति संसाधनों के कारण।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में विधायक कोटे से सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

12-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद बलिया में वर्ष 2005-06 की विधायक कोटे से बनने वाली पांच कि0मी0 सड़क का टेण्डर हो गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

दिसम्बर, 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना विकास परिषदों की आय पर आधारित कर्मचारियों को एक समान वेतन भत्ते दिये जाने की मांग

13-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास परिषदों की आय पर आधारित सेन्टेज भोगी, आडिट तथा परिषद् भोगी कर्मचारियों को एक समान वेतन, मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास भत्ता तथा बोनस आदि की सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी नहीं।

वेतन, महंगाई भत्ता एवं यात्रा भत्ता तीनों संस्थाओं के कर्मचारियों को एक समान भुगतान किया जा रहा है। शेष अनुमन्य सुविधायें इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति/आय पर निर्भर करती है।

जनपद गाजीपुर के तहसील सदर की ग्राम सभा भिरदादपुर के हरी पुत्र सहावल की भूमि का कब्जा दिलाये जाने की मांग

14-श्री राम करन आर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजीपुर के तहसील-सदर अन्तर्गत ग्राम सभा भिरदादपुर का चक नम्बर 142 जो हरी पुत्र सहावल की भूमिधरी है, पर गांव के कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने की शिकायत हरी द्वारा कमिश्नर, वाराणसी मण्डल, वाराणसी से की गई थी, जिस पर आयुक्त, वाराणसी मण्डल के पत्र संख्या-64, दिनांक 31-1-2004 द्वारा जिलाधिकारी, गाजीपुर को कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश का पालन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, गाजीपुर में योजित वाद संख्या-465/1997 मुन्नी आदि बनाम हरि यादव आदि में न्यायालय के आदेश दिनांक 21-10-97 द्वारा उभय पक्षों को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है, जो वर्तमान में भी प्रभावी हैं। अतः आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के पत्र संख्या-64/31-1-04 द्वारा प्रश्नगत भूमि पर जिलाधिकारी, गाजीपुर के कब्जा दिलाये जाने का आदेश का अनुपालन दीवानी न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 21-10-97 के कारण सम्भव नहीं हो पा रहा है।

जनपद बलिया ग्राम बरौली से इब्राहिमपट्टी तक सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

15-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरौली जनपद-बलिया से इब्राहिमपट्टी तक सड़क लम्बाई लगभग 3 कि0मी0 क्षतिग्रस्त हो गई है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

बरौली इब्राहिमपट्टी मार्ग के कि0 मी0 1 एवं 2 ठीक है। मार्ग का कि0 मी0 3 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के कि0 मी0 3 के लिये पैच मरम्मत/नवीनीकरण में स्वीकृत दी गयी है। कार्य माह अक्टूबर, 2006 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के भवारा से इन्दारा रेलवे स्टेशन तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

16-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के भवारा से इन्दारा रेलवे स्टेशन तक सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करा दी गयी है तथा आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

17-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांसगांव, जनपद-गोरखपुर में बांसगांव-कौड़ीराम, बांसगांव- माल्हनपार, बांसगांव-सरसोपार, बांसगांव-भीटीगौर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों की मरम्मत के लिए शासन द्वारा धन स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक भाग में क्षतिग्रस्त है।

इन मार्गों के क्षतिग्रस्त भागों में मरम्मत/नवीनीकरण हेतु धनराशि की स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है।

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

माननीय मुख्य मंत्री की घोषणानुसार जनपद गोरखपुर में बांसगांव-कुसमौल पिच मार्ग के निर्माण की मांग

18-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर में बांसगांव-कुसमौल पिच मार्ग के निर्माण हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 19-05-2005 को घोषणा की गयी थी ? क्या उक्त मार्ग के निर्माण के लिए शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जी नहीं। यह घोषणा दिनांक 18-5-2005 को की गयी थी।

जी हां।

निर्माण कार्य प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के गड़रियन खेड़ा में कल्याणी नदी पर पुल निर्माण की मांग

19-श्री राम शंकर पाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला- उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में ग्राम बहलोलपुर, कुण्डा, बदलेपुरवा गड़रियन खेड़ा में कल्याणी नदी पर पुल न होने से आवागमन अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी पर उल्लिखित स्थानों पर पुलों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

1-जिला उन्नाव के ग्राम बहलोलपुर के निकट कल्याणी नदी के प्रस्तावित सेतु स्थल से 8.00 कि0मी0 की दूरी पर अपस्ट्रीम में एवं 6.00 कि0मी0 की दूरी पर डाउन स्ट्रीम में पक्के सेतु विद्यमान हैं।

2-ग्राम कुण्डा के पास प्रस्तावित सेतु स्थल से 4.00 कि0मी0 की दूरी पर अपस्ट्रीम में तथा 2.00 कि0मी0 की दूरी पर डाउन स्ट्रीम में पक्के सेतु विद्यमान है।

3-बदलेपुरवा के पास प्रस्तावित सेतु स्थल के अपस्ट्रीम में लगभग 8.00 कि0मी0 तथा डाउन स्ट्रीम में 3.00 कि0मी0 की दूरी पर पक्के सेतु विद्यमान है।

4-प्राप्त सूचना के अनुसार गड़रियन खेड़ा नाम का कोई गाव नहीं है, गड़रियन पुरवा नाम का ग्राम है जो कि ग्राम कुण्डा के पास स्थित है। गड़रियन पुरवा के लिये अलग से सेतु के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्तावित सेतु स्थलों के अप एव डाउन स्ट्रीम में विद्यमान इन सेतुओं से क्षेत्रीय जनता का आवागमन होता है। इस प्रकार अप एवं डाउन स्ट्रीम में विद्यमान पक्के सेतुओं एवं प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रस्तावित स्थलों पर सेतुओं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

20-श्री रामशंकर पाल-

[2सरे सोम0 के अता0 प्र0सं0-85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-सीतापुर के ग्राम पतौंआ से समसापुर तक चकरोड को किसानों के अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग

21-डा0 विनोद तिवारी-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि सीतापुर में ग्राम पतौंआ से समसापुर ग्राम तक गाटा संख्या 417 के पश्चिम तरफ बने चकरोड पर किसानों द्वारा कब्जा करके रास्ता बन्द कर दिया गया है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? क्या इस सम्बन्ध में पतौंआ ग्रामवासियों का पत्र दिनांक 18-04-2006 जिलाधिकारी, सीतापुर व राजस्व मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या चकरोड से अवैध कब्जे को हटा दिया गया ? यदि नहीं, तो रास्ते को कब तक अवैध कब्जे से मुक्त कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रार्थना-पत्र दिनांक 18-4-2006 का प्राप्त होना नहीं पाया गया।

गाटा संख्या-417 के पश्चिम बन्दोबस्ती नक्शे में चकरोड अंकित नहीं है और न ही मौके पर चकरोड चल रहा है। अतः चकरोड से अवैध कब्जा हटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

22-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील रानीगंज के ग्राम परशुरामपुर में खलिहान के रूप में दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की मांग

23-श्री कौशल किशोर-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-प्रतापगढ़, तह0-रानीगंज के अन्तर्गत ग्राम परशुरामपुर (चौहाजन देवीपीठ के पास) के राजस्व अभिलेखों में खलिहान के रूप में दर्ज भूमि पर श्री रामदुलार, श्री राम पियारे, श्री राम सजीवन, श्री राम आसरे पुत्रगण श्री रामराज द्वारा अवैध कब्जा कर मकान बना लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा-132 के प्राविधानों के अनुरूप उक्त भूमि पर से अवैध कब्जे हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम परशुरामपुर (चौहरजन देवी पीठ के पास) पीठ से लगभग एक किलामीटर दूर स्थित गाटा संख्या-435 रकबा 9.042 हे0 राजस्व अभिलेखों में हरिजन खलिहान अंकित है। उक्त भूमि में लगभग 0.010 हे0 रकबे पर श्री रामदुलार, श्री राम पियारे, श्री राम सजीवन व श्री राम आसरे पुत्रगण रामराज द्वारा अवैध निर्माण नहीं वरन् बाजरा, उर्द बोकर अवैध कब्जा कर लिया गया था।

जी हां। गाटा संख्या-435 में अवैध निर्माण नहीं है। बोई गई फसल बाजरा, उर्द उखड़वाकर अवैध कब्जा हटवा दिया गया है। वर्तमान समय में हरिजन खलिहान की भूमि पूर्णतया खाली है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में ग्रामीण मार्गों के सुधार/नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग

24-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण मार्गों के सुधार/नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 में सदर विधान सभा क्षेत्र जनपद-प्रतापगढ़ में कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत हुई थीं ? क्या स्वीकृत सड़कों का सुधार/नवीनीकरण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ग्रामीण मार्गों के सुधार/नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 में सदर/विधान सभा क्षेत्र जनपद-प्रतापगढ़ में निम्न सड़कें स्वीकृत हुई थीं :-

1-प्रतापगढ़ सुखपाल नगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-6 के क्षतिग्रस्त सतह में पत्थर की गिट्टी से मरम्मत कर द्वितीय सतह लेपन कार्य।

2-बरांछा लिंक मार्ग (ग्रामीण मार्ग) कि0मी0-1, 2 (200) कुल 1.20 कि0मी0 के क्षतिग्रस्त सतह में पत्थर की गिट्टी से मरम्मत कर द्वितीय सतह लेपन कार्य।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के विकास खण्ड विधनू के ग्राम पंचायत इटारा के सम्पर्क मार्ग निर्माण की मांग

25-श्री परमजीत मलिक-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे गुरुवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-121 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत इटारा, विकास खण्ड विधनू, जनपद-कानपुर के सम्पर्क मार्ग निर्माण का आगणन तैयार कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद-मुजफ्फरनगर के खटीमा-पानीपत मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की मांग

26-श्री परमजीत मलिक-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के 6वें गुरुवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 19 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर से गुजरने वाले खटीमा-पानीपत मार्ग के बीच कस्बा बघरा से अमीरपुर लखा की क्षतिग्रस्त सड़क मरम्मत की सूचना प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की लागत क्या है ? मरम्मत कार्य का कार्यादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कार्य की लागत रु0 34.82 लाख है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत मण्डी में खरीददारी में धांधली का कथित प्रकरण

27-श्री राम शंकर पाल-

क्या कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जिला-उन्नाव के बागरमऊ वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत मण्डी में खरीददारी में धांधली हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-उन्नाव के थाना गंगाघाट क्षेत्र के अन्तर्गत दो सगे भाईयों की नृशंस हत्या में मृतक की विधवाओं को किसान बीमा व पारिवारिक योजना का लाभ दिलाये जाने की मांग

28-श्री राम शंकर पाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव में थाना-गंगाघाट क्षेत्र के अन्तर्गत दि0 5-1-2006 को सगे भाईयों महाबीर व छोटे लाल कुशवाहा पुत्रगण मनोहर कुशवाहा की नृशंस हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतकों की विधवाओं को किसान बीमा योजना का लाभ दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मृतक आश्रितों को पारिवारिक योजना व किसान बीमा योजना का लाभ देगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

मृतकों की विधवाओं को किसान बीमा योजनान्तर्गत रुपया एक लाख मात्र का चेक पृथक-पृथक दोनों विधवाओं को दि0 10-9-06 को प्रदान कर दिया गया है।

पारिवारिक योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान कराये जाने हेतु जांच करायी जा रही है व किसान बीमा योजना का लाभ उपरोक्तानुसार दिया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-अम्बेडकर नगर के उपजिलाधिकारी टाण्डा द्वारा ग्राम गन्नीपुर के तालाब भूमि का क्षेत्र परिवर्तन सम्बन्धी कथित प्रकरण

29-श्री लालजी वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उप जिलाधिकारी, टाण्डा, जनपद-अम्बेडकर नगर के आदेश दि0 06-12-99 द्वारा श्री द्वारिका सिंह बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 229 बी के द्वारा ग्राम-गन्नीपुर के तालाब की भूमि गाटा सं0-234 का श्रेणी परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

30-श्री लालजी वर्मा-

[तीसरे शुक्र0 के अता0 प्र0 सं0-51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-कौशाम्बी में यमुना नदी जोन सं0-9/22 का गलत खनन पट्टा किये जाने के विरुद्ध दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

31-श्री उदय भान करवरिया-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कौशाम्बी में यमुना नदी जोन सं0 9/22 का गलत खनन पट्टा किये जाने के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास-5 के अर्द्धशा0प0सं0

5887/77-5-05- 802/04 दिनांक 17 मार्च, 2006 द्वारा किन-किन अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत प्रकरण में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश जिलाधिकारी कौशाम्बी को दिया जा चुका है। जिलाधिकारी कौशाम्बी द्वारा अवगत कराया गया है कि मामले में जांच करायी जा रही है। जांचोपरान्त परिणाम एवं कृत कार्यवाही से शीघ्र अवगत कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में राज्य योजना अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से मार्गों का निर्माण का विवरण

32-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ "मोती सिंह"-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिये राज्य योजना वर्ष 2001 से 2006 तक स्वीकृत मार्ग नगर-नीमा देवरखा, सोनपुरा-ढखवा, इब्राहिमपुर अतरौरा-मीरपुर 6.50 कि0मी0 के लिये कुल कितनी धनराशि स्वीकृत थी और अब तक कितना धन अवमुक्त हुआ है एवं कितनी लम्बाई का कार्य पूर्ण किया जाना शेष है और क्यों ? क्या उक्त के लिए प्राप्त धनराशि को किसी अन्य कार्य पर खर्च कर लिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या महदहा-बरहूपुर- ढिटूई-वारीकला-शेषपुर अधारगंज लम्बाई 7 कि0मी0 के मार्गों का भी कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्यों ? इन अपूर्ण मार्गों का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत कार्य की स्वीकृत धनराशि रु0 76.39 लाख है। जिसके सापेक्ष 76.39 लाख की स्वीकृत निर्गत की गयी है, जिसके विरुद्ध रु0 69.32 लाख व्यय किया जा चुका है। रु0 7.07 लाख वर्ष 03-04 में व्यपगत हो जाने के कारण 1.73 कि0मी0 लम्बाई में कार्य शेष है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

1-महदहा बरहूपुर ढिढुई वारीकला शेषपुर आधारगंज मार्ग के अवशेष 3.00 कि0मी0 लेपन कार्य को वर्षा ऋतु समाप्त होने के पश्चात् चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में ही पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

2-नगर नीमा देवरखा सोनपुर ढकवा इब्राहीमपुर अतरौरा मीरपुर मार्ग के अवशेष 1.73 कि0मी0 अपूर्ण कार्य को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद-बलिया से बैरिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

33-श्री भरत सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राज मार्ग सं0-19 पर बलिया से बैरिया तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य माह अक्टूबर, 2006 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र द्वाबा, में अनेकों सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

34-श्री भरत सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र-द्वाबा, जनपद-बलिया में लोक निर्माण की सड़क सुरेमनपुर से चाई छपरा लालगंज से भुसौला घाट, लालगंज से मुरली छपरा लालगंज से शिवपुर कपूर दियर, राघव सिंह के डेरा के कर्ण छपरा तक जर्जर हो गयी है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक भाग में क्षतिग्रस्त है।

उक्त सड़कों की विशेष मरम्मत/पुनर्निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत हेरावन सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की जानकारी

35-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर विधान सभा क्षेत्र जनपद-प्रतापगढ़ के अन्तर्गत स्वीकृत पूरे हेरावन सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

स्थानीय विवाद के कारण।

कार्य 3/07 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जनपद-प्रतापगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र सदर में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में स्वीकृत मार्गों का निर्माण प्रारम्भ किये जाने की मांग

36-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में अनुदान सं0 83, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत सदर निर्वाचन क्षेत्र जनपद-प्रतापगढ़ में कौन-कौन से नये सम्पर्क

मार्गों के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ? स्वीकृत सम्पर्क मार्गों पर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

स्वीकृत मार्गों के नाम निम्नवत् है :-

1-आमामऊ-जगेशरगंज मार्ग से सराय महिमा मार्ग।

2-फैजाबाद-इलाहाबाद मार्ग से बेनीपुर सम्पर्क मार्ग।

3-लखनऊ-वाराणसी मार्ग से रामपुर गौरी हरिजन आबादी तक।

4-पृथ्वीगंज हवाई पट्टी से राजापुर मार्ग।

5-पितईपुर मार्ग से सुमेरपुर सम्पर्क मार्ग।

6-नौआपुर मार्ग से हालामई सम्पर्क मार्ग।

7-पुरैली सम्पर्क मार्ग से रायपुर कला सम्पर्क मार्ग।

8-प्रतापगढ़ कटरा गुलाब सिंह मार्ग से पूरे तोरई मार्ग।

9-धनीपुर मार्ग से बुजहा सम्पर्क मार्ग।

10-फैजाबाद इलाहाबाद मार्ग से परसरामपुर मार्ग।

11-छितपालगढ़ से खालीसपुर सम्पर्क मार्ग।

12-यू0एफ0ए0 मार्ग से भोपतपुर सम्पर्क मार्ग।

निविदाएं आमंत्रित कर, निविदाएं प्राप्त की जा चुकी है। कार्य माह 10/06 तक प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि राज्य सेक्टर अन्तर्गत जनपद अम्बेडकर नगर में लो0 नि0 वि0 द्वारा तिलहरा पर भिरुआ नाले पर बने अधूरे पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

37-श्री लाल जी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत निर्माणाधीन अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अम्बेडकर नगर के निर्माणाधीन तिलहरा घाट पर भिरुआ नाला पर प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अम्बेडकर नगर द्वारा बनाया गया पुल अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं, किन्तु सन्तुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के संचालन के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त के अन्तर्गत अधूरी परियोजनाओं को पूर्ण कराने को प्राथमिकता प्रदान की गई है।

उपरोक्तानुसार।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

38-श्री जगदीश नारायण राय-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश के समस्त प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों की शिक्षा शुल्क के निर्धारण सम्बन्धी जानकारी

39-श्री राम पाल वर्मा-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-317 आफ 1993 में पारित आदेश दिनांक 31-10-02 के साथ पठित रिट याचिका संख्या-350 आफ 1993 में पारित आदेश दिनांक 14-8-2003 के अनुसार प्रदेश के समस्त प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों का शिक्षा सत्र 2004-05, 2005-06 व 2006-07 के लिए तथा कालेज कोड-163, 169, 027, 033 का शिक्षा शुल्क निर्धारित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? संदर्भित सत्र के लिए शिक्षा शुल्क कब तक निर्धारित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

शुल्क ढांचा परीक्षण/निर्धारण समिति द्वारा 135 अभियंत्रण संस्थाओं का शुल्क निर्धारित किया गया है। जहां तक प्रश्नान्तर्गत कालेज कोड का सम्बन्ध है शुल्क निर्धारण समिति द्वारा कालेज कोड के आधार पर संस्थाओं का शुल्क निर्धारित नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

40-श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

[दूसरे सोम0 के अता0 प्र0 सं0-86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-अम्बेडकर नगर में पूर्वांचल विकास योजना में टाण्डा माया मार्ग से सम्मसुद्दीनपुर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

41-श्री लाल जी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर में टाण्डा माया मार्ग से महरीपुर कैन्हालपुर होते हुए सम्मसुद्दीनपुर मार्ग पूर्वान्चल विकास योजना राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 में स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या मा0 मंत्री जी उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ के गांव झझरा पाण्डे में स्थित तालाब संख्या-145, 233/2, 333/2 से सम्बन्धित वाद का निस्तारण

42-श्री उदय भान करवरिया-

विधान सभा के तृतीय सत्र 2005 के पहले गुरुवार में प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-9 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बारा जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ के गांव झझरा पाण्डे में स्थित तालाब संख्या 145,233/2, 333/2 से सम्बन्धित वाद का निस्तारण कराकर तालाब के रूप में दर्ज करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं, यद्यपि वाद का निस्तारण अभी नहीं हुआ है लेकिन भूखण्ड संख्या-145 तथा 333/2 तालाब के खाते में एवं 233/2 रास्ते के खाते में दर्ज है तथा वाद में प्रश्नगत भूखण्डों में से केवल 333/2 ही अन्तर्ग्रस्त है।

स्वत्व का वाद होने के कारण निस्तारण में समय लगता है, इसके अतिरिक्त अब तक वादी के तीन स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र भी सक्षम न्यायालय से स्वीकृत हुए हैं तथा वाद के स्थानान्तरण के कारण निस्तारण की गति धीमी हुई है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय द्वारा तालाब पोखर, कुंआ एवं जल प्रणालियों से अवैध कब्जा हटाकर उनको मूल स्वरूप में लाने के निर्देश

43-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तालाबों, पोखरों एवं अन्य जलाशयों को पाटकर भूमि माफियों द्वारा कब्जा कर उसे आबादी दर्ज कराकर उस पर मकान आदि बना लिये जाने के सम्बन्ध में उस अवैध निर्माण एवं कब्जों को हटाने हेतु क्या मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश/दिशा निर्देश पारित किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद फूलपुर तहसील, मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम-कोहरौली में पोखरी संख्या 815 का क्षेत्रफल एवं पुराना नम्बर व क्षेत्रफल तथा वर्ष 1959 के आधार वर्ष की खतौनी/खसरा, मानचित्र के अनुसार क्षेत्रफल/रकबा क्या है एवं उसके चारों तरफ किस-किस के खेत व मकान आदि निर्मित हैं ? उनके नाम, पिता का नाम, कब्जों आदि के प्रकार व तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय द्वारा तालाब, पोखर, कुआं एवं जल प्रणालियों से अवैध कब्जा हटाकर उनको मूलस्वरूप में लाने के निर्देश दिये गये हैं।

तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ मार्टीनगंज ब्लाक में स्थित ग्राम कोहरोली के पोखरी सं0-815 का वर्तमान समय में अभिलेख में क्षेत्रफल 0.419 हे0 है, पोखरी सं0-815 का पुराना नम्बर 1405 है जिसका कुल क्षेत्रफल 0.583 हे0 है। पोखरी सं0-815 का कुल क्षेत्रफल 0.419 हे0 है। मानचित्र में 0.079 हे0 की कमी है। मानचित्र दुरुस्ती के लिए वाद संख्या-404/05 रिपोर्ट बनाम गांव सभा अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) आजमगढ़ के न्यायालय में योजित किया गया है, जो विचाराधीन है। वर्ष 1959 की खतौनी खसरा विनस्ट हो चुका है, आधार वर्ष खतौनी राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट में दाखिल नहीं है। पोखरी सं0-815 पर कोई अवैध कब्जा नहीं है। वर्तमान में पोखरी सं0-815 के चारों तरफ निम्न व्यक्तियों के कब्जे हैं :-

उत्तर-सौरहन नं0-816 व आबादी नं0-810 व सहन अवधेश व सत्यदेव पुत्रगण रामराज सकिन कोहरोली।

दक्षिण-खेत नं0-868 कमला प्रसाद पुत्र उदयराज साकिम कोहरोली व नाली नं0-869 व खेत नं0-870 अरविन्द कुमार पुत्र बद्री व नवीन, मुकेश पुत्रगण प्रमोद साकिन कोहरोली।

पूरब-भीटा नं0-818 व खेत नं0 819 संकटा व राधेश्याम व संजय पुत्रगण उदय प्रताप तथा मंगला प्रसाद पुत्र पारसनाथ आदि साकिन कोहरोली।

पश्चिम-खाद गड्ढा नम्बर 814 व आबादी नम्बर 810 पोखरी के पश्चिम किनारे भानू प्रताप पुत्र संत प्रसाद आदि व कमला प्रसाद पुत्र उदयराज आदि का मकान साकिन कोहरोली।

बांदा नगर में बाई पास मार्ग बनाने की मांग

44-श्री बाबू लाल कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के नगर बांदा में भारी यातायात एवं जनसंख्या घनत्व को देखते हुए क्या सरकार नगर के बाहर बाईपास मार्ग बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

बांदा नगर के अन्दर से होकर झांसी-इलाहाबाद-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 गुजरता है, जिस पर 8300 पैसेंजर कार यूनिट प्रतिदिन का यातायात घनत्व है। मार्ग की पेन्टेड चौड़ाई 7 मीटर इण्डियन रोड कांग्रेस (आई0आर0सी0) के प्राविधानों के परिपेक्ष्य में आवश्यकता के अनुरूप है। अतः सम्प्रति बाई पास निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

जनपद बांदा में केन, यमुना एवं बागे नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास की मांग

45-श्री बाबू लाल कुशवाहा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में केन यमुना एवं बागे नदी के किनारे बसे ग्रामों में हर वर्ष बाढ़ से ग्रामवासियों के मकान गिर जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार

उक्त ग्रामवासियों के पुनर्वास हेतु आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं। जनपद बांदा में केन, यमुना एवं बागे नदी में हर वर्ष बाढ़ नहीं आती है और न ही हर वर्ष ग्रामवासियों के मकान गिरते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलरामपुर की तहसील उतरौला से मुख्यालय जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण की मांग

46-श्री अनवर महमूद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर में तहसील उतरौला से जनपद मुख्यालय बलरामपुर को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का चौड़ीकरण का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विधायकों के प्रस्तावों पर सड़क निर्माण की कार्य योजना

47-श्री भरत सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 किमी0 प्रस्तावित सड़कों के निर्माण हेतु क्या कोई कार्ययोजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में राज्य सेक्टर (सामान्य) के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त विधान सभा एवं विधान परिषद् के मा0 सदस्यों की संस्तुति पर 05-05 कि0मी0 ग्रामीण/शहरी मार्गों के निर्माण हेतु योजना प्रारम्भ की गयी, जिसके अन्तर्गत शासन में प्राप्त प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रियानुसार, वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्वीकृत करते हुये वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार रु0 113.30 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। वित्तीय वर्ष 2006-07 में उक्त कार्यों पर वांछित अवशेष धनराशि रु0 275.89 करोड़ के सापेक्ष रु0 273.51 करोड़ का आवंटन किया गया। सभी स्वीकृत मार्गों पर कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2006-07 के अन्त तक सभी चालू कार्यों को पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में शहीद अनिल सिंह मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

48-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ के शहीद अनिल सिंह मार्ग की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है।

जनपद-गोरखपुर की कतिपय विधान सभाओं में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजनान्तर्गत स्वीकृत सम्पर्क मार्ग की जानकारी

49-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजनान्तर्गत जनपद-गोरखपुर की 6 विधान सभायें [सहजनवां, पनियरा-आंशिक (कैम्पियरगंज-गोरखपुर), मानीराम, पिपराइच, मुण्डेरा बाजार एवं गोरखपुर सदर] जो लोक निर्माण खण्ड-1, गोरखपुर के अन्तर्गत आती है, में कोई सम्पर्क मार्ग स्वीकृत नहीं हुआ है ? क्या इन 6 विधान सभाओं में कोई सम्पर्क मार्ग स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक सम्पर्क मार्ग स्वीकृत किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील-बांसगांव मुख्यालय के भवन का पुनर्निर्माण का निर्णय

50-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील-बांसगांव, जनपद गोरखपुर में तहसील मुख्यालय का भवन काफी पुराना एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ? इसमें कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है ? क्या तहसील भवन के निर्माण के लिये शासन द्वारा धन की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो भवन का निर्माण कब तक प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

तहसील मुख्यालय के भवन की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के दृष्टिगत इसके पुनर्निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राजस्व परिषद् लखनऊ में वर्षों से तैनात कर्मियों के स्थानान्तरण की मांग

51-श्री राम करण आर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ में तृतीय श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के कर्मियों को अपने अनुभागों व अधिकारियों के स्टाफ में तैनात करने की कोई समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो वह समय सीमा क्या है ? क्या यह सही है कि महत्वपूर्ण अनुभागों व अधिकारियों के निजी स्टाफ में कतिपय कर्मी 15 वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्धारित अवधि से अधिक समय से तैनात उक्त कर्मियों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तृतीय श्रेणी के कर्मियों के लिये सामान्य वार्षिक स्थानान्तरण नीति में कोई समयावधि निर्धारित नहीं है। कर्मचारियों की क्षमता, उपयोगिता के अनुसार उनकी तैनाती की जाती है। द्वितीय श्रेणी के कर्मियों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ये पद मुख्यालय हेतु स्वीकृत हैं जिन पर स्थानान्तरण नीति लागू नहीं होती है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों के निर्माण की मांग

52-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2002-03 से वित्तीय वर्ष 2006-07 तक सदर विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत कुल कितने कि0मी0 सड़कों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है ? क्या स्वीकृत सड़कों पर निर्माण कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवापाल सिंह यादव-

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र सदर में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश योजनान्तर्गत वर्ष 2002-03 से वर्ष 2006-07 तक कुल 05 मार्गों के लिये लम्बाई 13.50 कि0मी0 हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

जी नहीं, स्वीकृत कुल 05 मार्गों में से दो कार्य पूर्ण हो चुके हैं शेष मार्गों को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

पिपराइच गोरखपुर में नयी चीनी मिल के निर्माण के संदर्भ में किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस लेने की मांग

53-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पिपराइच (गोरखपुर) में नये चीनी मिल के निर्माण के सन्दर्भ में किसानों पर दर्ज किये गये मुकदमों (मुकदमा संख्या 472/2001), थाना पिपराइच, गोरखपुर जनपद को वापस लेने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो मुकदमें कब तक वापस ले लिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ की तहसील निजामाबाद के ब्लाक तहबरपुर के ग्राम हरैया में चकबन्दी प्रक्रिया

54-श्री चन्द्रदेव राम यादव-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है जनपद आजमगढ़ की तहसील निजामाबाद के ब्लाक तहबरपुर के ग्राम हरैया में वर्ष 1988 में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम के किसानों को प्रस्तावित चकों पर कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इस सम्बन्ध में चकों पर कब्जा दिलाने हेतु ग्रामवासियों का पत्र दिनांक 04-01-2006 माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं, ग्राम हरैया में चकबन्दी प्रक्रिया दिनांक 30-8-1981 को प्रारम्भ की गयी।

जी नहीं।

सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वार प्रस्तावित चकबन्दी योजना का प्रकाशन दिनांक 26-10-89 को किया गया। चकबन्दी अधिकारी के स्तर पर आपत्तियों के निस्तारण में पारित आदेश दिनांक 24-6-2002 द्वारा प्रारम्भिक चकबन्दी योजना निरस्त करके पुनः सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर चक निर्माण करने का आदेश दिया गया। सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा पुनः दिनांक 17-5-2005 को चकबन्दी योजना का प्रकाशन किया गया। चकबन्दी अधिकारी स्तर पर आपत्तियों के निस्तारण हेतु अगली सुनवाई की तिथि 27-10-2006 नियत है।

जी हां।

प्रकरण की जांच बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी से करायी गयी। जांच से स्पष्ट हुआ कि चकबन्दी अधिकारी द्वारा चक आपत्तियों की सुनवाई हेतु दिनांक 17-5-06 नियत की गयी। ग्रामवासियों के असहयोग के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। पुनः चक आपत्तियों की सुनवाई के लिए दिनांक 27-10-2006 नियत की गयी है, जिसकी सूचना अनु सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्र संख्या-257/शिकायत-लिपिक दिनांक 5 अप्रैल, 2006 द्वारा भेजी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कैम्पियरगंज में कलान नाले पर जर्जर पुल के पुनः निर्माण की मांग

55-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर के विकास खण्ड-कैम्पियरगंज में बी0एम0सी0टी0 राजमार्ग के कि0मी0 66 पर मोदीगंज में कलान नाले पर पूर्व निर्मित जर्जर पुल के स्थान पर नया पुल बनाये जाने का प्रस्ताव क्या शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पुल के निर्माण हेतु कब तक धन अवमुक्त हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कैम्पियरगंज में बी0एम0सी0टी0 राजमार्ग के विकास का कथित प्रकरण

56-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर के विकास खण्ड-कैम्पियरगंज में बी0एम0सी0टी0 राजमार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण व उच्चीकरण करने का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त राजमार्ग पर कब तक कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में किसान फसल बीमा योजना लागू किये जाने की मांग

57-श्री चन्द्र किशोर-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में किसान फसल बीमा योजना लागू है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में वर्ष 2006 में किसानों के गेहूं की फसल का 80% हुए नुकसान के सापेक्ष बीमा कम्पनियों द्वारा भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार गेहूं की फसल के हुए नुकसान के सापेक्ष बीमा कम्पनियों से फसल का मुआवजा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी हां। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में खरीफ, 2000 से निरन्तर लागू है एवं कृषि वर्ष 2006-07 (खरीफ) में भी लागू की गयी है।

वर्ष 2005-06 (रबी) जनपद महराजगंज में फसल गेहूं की उत्पादकता में गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 43 प्रतिशत की कमी आई है। रबी 2005-06 में अधिसूचित फसलों के फसलवार उत्पादकता

के आंकड़े योजना की क्रियान्वयक एजेन्सी को उपलब्ध करा दिये गये हैं। एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0 द्वारा न्याय पंचायतवार क्षति के आंकलन का कार्य किया जा रहा है। आंकलन के पश्चात क्षति की धनराशि नियमानुसार बीमित कृषकों के बैंक खाते में जमा करा दी जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

58-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[दूसरे सोम0 के अता0 प्र0 सं0-88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

59-डा0 सुशील चौधरी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद जौनपुर की तहसील सदर के अन्तर्गत गोमती नदी व नालों में अतिक्रमण हटाये जाने की मांग

60-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश में नदी, तालाबों, नहरों आदि की स्थिति 1952 के पूर्व लाने हेतु उनके अतिक्रमण हटाने का कार्य चल रहा है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जनपद जौनपुर की तहसील सदर के अन्तर्गत गोमती नदी में या उसके सम्बद्ध नालों में ग्राम धर्मापुर, केशवपुर, अलिजानपुर, पचहटिया में अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

अलिजानपुर कोई ग्राम नहीं है। राजस्व ग्राम अलीखानपुर है। गोमती नदी या उसके सम्बद्ध नालों में ग्राम धर्मापुर, केशवपुर, अलीखानपुर, पचहटिया में कोई अतिक्रमण नहीं है। ग्राम धर्मापुर, केशवपुर चकबंदी प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की तहसील हण्डिया के विकास खण्ड प्रतापपुर के ग्राम हरीपुर पट्टी में श्री देशराज शर्मा के कृषि हेतु पट्टे की भूमि ग्राम समाज के अभिलेखों में सुरक्षित करने की मांग

61-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-हरीपुर पट्टी, विकास खण्ड प्रतापपुर, तहसील हण्डिया, जनपद इलाहाबाद में सरकारी कर्मचारी श्री देवराज शर्मा को भूखण्ड सं0 515 रकबा 14 विस्वॉ 10 धुर कृषि हेतु पट्टा कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि रिहायशी मकान बनवाने के कारण मुख्य राजस्व अधिकारी, इलाहाबाद ने मु0अ0सं0 : 775/448 सन् 1994-95 धारा 198 (4) जमीं अ0 इन्दर बनाम देवराज का दि0 21-9-1995 के आदेशानुसार देवराज का नाम खारिज करके ग्राम सभा में अंकित कराने का आदेश उप जिलाधिकारी, हण्डिया को दिया गया है ? यदि हां,

तो क्या देवराज का नाम काटकर ग्राम समाज के अभिलेखों में सुरक्षित कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं। प्रकरण में मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-9-1995 के विरुद्ध अपील संख्या-31/96 न्यायालय अपर आयुक्त (प्रथम) के यहां योजित है जिसमें अग्रिम तिथि 01-09-2006 नियत थी। निर्णयोपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठतां

जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौंद के ग्राम तरसौर के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के मरम्मत की मांग

62-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जालौन के वि0 खं0-कुठौंद के ग्राम तरसौर का सम्पर्क मार्ग 40 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त है ? उक्त क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी को प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-3-265491, दिनांक 24-7-06 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत हेतु 14 लाख 40 हजार की धनराशि निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, उरई को स्वीकृत की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवापाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता परं निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लोक निर्माण विभाग में आशुलिपिकों के एकल संवर्ग बनाये जाने की मांग

63-श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 13 ई0 एम0/87-क-4/05, कार्मिक अनुभाग-4 दिनांक 26 अगस्त, 2005 द्वारा आशुलिपिकों का एकल संवर्ग बनाकर स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर स्वीकृत वेतनमान लागू करने तथा संवर्ग के विभिन्न स्तरों पर पदों का आनुपातिक प्रतिशत 50:30:15:5 रखते हुए उनका पदनाम आशुलिपिक ग्रेड-2, आशुलिपिक ग्रेड-1, वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 तथा वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 किये जाने के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग में करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रकरण के सम्यक् परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि लोक निर्माण विभाग में आशुलिपिक के अलग-अलग संवर्गों का संविलियन करते हुए मौलिक नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण संभव नहीं हो पायेगा, क्योंकि वरिष्ठता का निर्धारण सदैव बराबर के मध्य होता है, जबकि लोक निर्माण विभाग में आशुलिपिकों के तीन संवर्ग हैं। उक्त स्थिति में उच्च स्तरीय अनुमोदन के उपरान्त शासनादेश सं0-1209/23-7-2002-216(सा0)/97, दिनांक 03 अप्रैल, 2002 द्वारा लोक निर्माण विभाग को आशुलिपिकों का एकल संवर्ग बनाये जाने से छूट प्रदान कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं निधन के निदेश ले रहा हूं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने इस सम्बन्ध में दो पत्र भी लिखे जुलाई के महीने में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न-1 लगा था इसमें मुझे कोई जानकारी नंहीं मिली। मजबूर होकर आपके संज्ञान में मुझे लाना पड़ा उसके बाद मेरे पास जानकारी आई कि इसको तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकार कर लिया गया बाद में चार दिन बाद पुनः जानकारी आई कि वह अतारांकित प्रश्न कर दिया गया। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि किस स्तर से यह कार्यवाही हो रही है मेरा अनुरोध है कि सारी पत्रावली आप देख लें व विषय भी देख लें किस तरह से यह पहले अल्पसूचित प्रश्न के रूप में स्वीकृत हुआ बाद में तारांकित प्रश्न हुआ उसके बाद अतारांकित प्रश्न हो गया यह आपत्तिजनक बात है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसे दिखवा लूंगा।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्याम लाल, श्री मोहम्मद नवी, श्री होतीलाल दास, श्री राम स्वरूप मिश्र "विशारद", श्री श्रीचन्द्र, श्री नारायण दीन बाल्मीकि, श्री रामेश्वर प्रसाद, श्री बलवन्त सिंह, श्री हरीश चन्द्र अस्थाना, श्री हुकुम सिंह परिहार, श्री नन्दराम तथा श्री प्रेमचन्द्र शर्मा के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

अब मैं निधन के निदेश ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्याम लाल का 5 जून, 1959 को निधन हो गया। वे लगभग 65 वर्ष के थे।

श्री श्याम लाल का जन्म 12 फरवरी, 1894 को इलाहाबाद में हुआ था।

श्री श्याम लाल वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र उतरौला (उत्तर), जिला गोण्डा से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री श्याम लाल ने वर्ष 1924 में राजनीति में प्रवेश किया था। वे डा0 अम्बेडकर समाज कल्याण केन्द्र तथा धोबी समाज कल्याण समिति, इलाहाबाद के महामंत्री रहे थे।

श्री श्याम लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मोहम्मद नवी का 13 जून, 1962 को निधन हो गया।

श्री मोहम्मद नवी वर्ष 1948 में निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरनगर (पूर्व), जिला मुजफ्फरनगर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र बुढ़ाना (पूर्व) जानसठ (दक्षिण), जिला मुजफ्फरनगर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री मोहम्मद नवी सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिये प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी रुचि थी।

श्री मोहम्मद नवी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री होती लाल दास का 12 अगस्त, 1974 को निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष के थे।

श्री होती लाल दास का जन्म 30 अगस्त, 1902 को हुआ था।

श्री होती लाल दास वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र एटा, जिला एटा से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री होती लाल दास नमक सत्याग्रह आन्दोलन तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के फलस्वरूप जेल गये थे। वे जिला कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों पर रहे थे तथा अनेक शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध थे।

श्री होती लाल दास के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम स्वरूप मिश्र 'विशारद' का 13 मई, 1980 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे।

श्री राम स्वरूप मिश्र 'विशारद' का जन्म 1 अप्रैल, 1902 को हुआ था।

श्री राम स्वरूप मिश्र वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र महराजगंज (पश्चिम), जिला रायबरेली से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री राम स्वरूप मिश्र कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे जेल भी गये थे। उन्होंने ''कृष्णायन'' नामक महाकाव्य की रचना भी की थी।

श्री राम स्वरूप मिश्र 'विशारद' के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्रीचन्द्र का 30 अगस्त, 1981 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे।

श्री श्रीचन्द्र का जन्म 12 फरवरी, 1903 को हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री श्रीचन्द्र वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र बुढ़ाना (पश्चिम), जिला मुजफ्फरनगर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री श्रीचन्द्र एक निष्ठावान गांधीवादी कार्यकर्ता के रूप में वर्ष 1919 से कांग्रेस के सदस्य रहे थे। असहयोग आन्दोलन तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के फलस्वरूप वे जेल भी गये थे। वे मण्डल, जिला, प्रदेशीय तथा आखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे थे।

श्री श्रीचन्द्र के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजवसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नारायण दीन बाल्मीकि का 28 अक्टूबर, 1987 को निधन हो गया।

श्री नारायण दीन बाल्मीकि वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र तिलहर-शाहजहांपुर (पूर्व), जिला शाहजहांपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री नारायण दीन बाल्मीकि सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिये प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी रुचि थी।

श्री नारायण दीन बाल्मीकि के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामेश्वर प्रसाद का 13 फरवरी, 1998 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष के थे।

श्री रामेश्वर प्रसाद वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र महराजगंज (पश्चिम), जिला रायबरेली तथा 1957 में निर्वाचन क्षेत्र बछरावां, जिला रायबरेली से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रामेश्वर प्रसाद वर्ष 1948 से 1952 तक ग्राम प्रधान रहे थे।

श्री रामेश्वर प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपर्व सदस्य श्री बलवन्त सिंह का 11 मार्च, 2000 को निधन हो गया।

श्री बलवन्त सिंह ने बी0 ए0, एल-एल0 बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री बलवन्त सिंह वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरनगर पूर्व-जानसठ उत्तर, जिला मुजफ्फरनगर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री बलवन्त सिंह एक प्रसिद्ध एडवोकेट थे। वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेते थे।

श्री बलवन्त सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपर्व सदस्य श्री हरीश चन्द्र अस्थाना का 22 नवम्बर, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे।

श्री हरीश चन्द्र अस्थाना का जन्म 6 नवम्बर, 1925 को हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एम0 ए0, एल-एल0 बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री हरीश चन्द्र अस्थाना सर्वप्रथम वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र सीतापुर (उत्तर-पश्चिम), जिला सीतापुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र सीतापुर, जिला सीतापुर से कांग्रेस के टिकट पर पुनः विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री हरीश चन्द्र अस्थाना ने स्वतंत्रता आन्दोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे जेल भी गये थे। वे वर्ष 1963 से 1988 तक सिविल कोर्ट, सीतापुर मे शासकीय अधिवक्ता रहे। वे सीतापुर बार एसोसियेशन तथा स्वतंत्रता सैनिक परिषद् के अध्यक्ष भी रह चुके थे।

श्री हरीश चन्द्र अस्थाना के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपर्व सदस्य श्री हुकुम सिंह परिहार का 16 अगस्त, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे।

श्री हुकुम सिंह परिहार का जन्म ग्राम बांगुरी, जिला आगरा में 7 जनवरी, 1928 को हुआ था। उन्होंने आगरा कालेज, आगरा से शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री हुकुम सिंह परिहार वर्ष 1967 व 1969 में निर्वाचन क्षेत्र फतेहाबाद, जिला आगरा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र फतेहाबाद, जिला आगरा से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री हुकुम सिंह परिहार डा0 राम मनोहर लोहिया के सम्पर्क में आकर सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। वे आपातकाल में डेढ़ वर्ष जेल में बन्द रहें कविता में इनकी विशेष रुचि थी। वे अपनी मृत्यु के अन्तिम समय तक समाज की सेवा करते रहे।

श्री हुकुम सिंह परिहार के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपर्व सदस्य श्री नन्द राम का 20 अगस्त, 2006 को निधन हो गयां वे लगभग 85 वर्ष के थे।

श्री नन्द राम का जन्म कुतुबपुर, जिला मुजफ्फरनगर में हुआ था।

श्री नन्द राम वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर से भारतीय क्रांति दल के टिकट पर प्रथम बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात् वे वर्ष 1977 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के टिकट पर पुनः विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री नन्द राम की समाज सुधार के कार्यों में विशेष रुचि थी। वे दलित वर्गों के उत्थान के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। वे वर्ष 1967 से 1973 तक जिला परिषद् के सदस्य भी रहे। वे वर्ष 1980-81 मे आई0टी0आई0 के चैयरमैन रहे। उन्होंने लगभग 18 पुस्तकें भी प्रकाशित करायी हैं। जिसमें "रैदास भजनावली" तथा "अम्बेडकर भजनावली" प्रमुख हैं।

श्री नन्द राम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रेमचन्द्र शर्मा का 12 सितम्बर, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 89 वर्ष के थे।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा का जन्म 5 सितम्बर, 1917 को हुआ था। उन्होंने हाईस्कुल तक शिक्षाग्रहण की थी।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र हाथरस, तत्कालीन जिला अलीगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा, लखनऊ के प्रधान मंत्री तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली के उप मंत्री रहे थे। वे प्रदेश तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनेक वर्षों तक सदस्य रहे। वे जिला कांग्रेस कमेटी, अलीगढ़ के अध्यक्ष भी रह चुके थे। वे श्री कमलापति त्रिपाठी मंत्रिमण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। बागवानी में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि 2 मिनट के लिये मौन धारण करें।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट के लिये मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जायें।

जनपद लखीमपुर के निघासन थानान्तर्गत एक गांव में गोहत्या के सम्बन्ध में इकट्ठी हुई भीड़ पर पुलिस द्वारा फायरिंग किये जाने सम्बन्धी सूचना

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, एक सूचना आपको देना है। निघासन थाना लखीमपुर में गो हत्या के मामले में एक गांव में कुछ लोग इकट्ठा हुए और पुलिस ने उनको मारना शुरू किया, भीड़ वहां इकट्ठी हो गई, इस समय वहां फायरिंग हो रही है इसलिये वहां कोई आदेश भेजना जरूरी है अन्यथा वहां कोई बड़ा काण्ड हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता विरोधी दल ने सूचना दी है कि अभी वहां फायरिंग हो रही है, जानकारी करा लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नेता सदन ने नहीं, नेता प्रतिप्रक्ष ने सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

हां-हां, नेता प्रतिपक्ष ने सूचना दी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

देखें, किस कदर कष्ट है, अगर गलती से भी मुंह से निकल गया, खुदा न करे कि कभी नेता सदन आप हो जायें तो आत्म हत्या कर लेंगे लोग, गलती से निकल गया, रिकार्ड में लिख जाता है तो अच्छा है। मान्यवर, रिकार्ड में यह बात जरूर आ जाये कि आपत्ति भी आपके साथी ने की।

श्री अध्यक्ष-

कृपया विषय पर आयें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, क्योंकि यह सरकार के संज्ञान में आ गया है लिहाजा तुरन्त कार्यवाही होगी।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं। पहली सूचना श्री राधेश्याम सिंह की कुशीनगर के राम कोला क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण एवं स्वीकृत धन आवंटित होने के बाद भी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अभी तक कार्य प्रारम्भ न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की आर0 पी0 रस्तोगी इण्टर कालेज, मलाक हरहर, इलाहाबाद के प्राचार्य के अपहरण की सी0बी0सी0आई0डी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह की जौनपुर नगर क्षेत्रान्तर्गत भदेटी गांव में वर्ष 2001-2002 में लेपन स्तर तक स्वीकृत लगभग 900 मीटर सड़क का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की गाजियाबाद जनपद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रताप बिहार कालोनी में दिनांक 27-08-03 को किये गये 100 भूखण्डों के आवंटन पत्र शीघ्र जारी करवाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन के कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत समीक्षा अधिकारी के कार्यकलापों की जांच कराने के सम्बन्ध में है। (इस समय 12 बकर 32 मिनट पर श्री अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए) छठी सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में आवासीय भवनों में चल रहे व्यावसायिक दुकानों को दिल्ली की तर्ज पर नियमितीकरण करने के सम्बन्ध में हैं, सातवीं सूचना श्री बाबू लाल कुशवाहा की वर्ष 2005-2006 में बांदा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री जंग बहादुर सिंह की जनपद सुल्तानपुर में बेसिक शिक्षा के वित्त एवं लेखा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की अम्बेडकर नगर के न्याय पंचायत क्षेत्र ऐनवां एवं बसन्तपुर में लगभग 40 गांव की विद्युत आपूर्ति महरी प्र0 फीडर टाण्डा अथवा केदार नगर (कलेसर) फीडर से किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत बसफोर (डोम) जाति के जानवरों (सुअर) के बीमारी से मर जाने की जांच कराकर मुआवजे की राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री रामकरन आर्य की नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत

लगड़ी पम्प कैनाल के उच्चीकरण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत इस्टीमेट की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की भदोही जनपद के निर्माणाधीन नरपतपुरचौरी 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को तत्काल धन मुहैया कराने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की गोण्डा के कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत करनैलगंज मलौना घाट मार्ग पर टेढ़ी नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की जनपद गौतमबुद्धनगर अन्तर्गत दादरी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि पर अविलम्ब निर्माण प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक पूरनपुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कराने के सम्बन्ध में है। ये सूचनाएं स्वीकृत एवं पढ़ी हुई मानी जाती हैं। चूंकि सब उपस्थित है इसलिये प्रतीक्षा सूची में श्री ओ0 पी0 सिंह की सूचना को लेने का प्रश्न नहीं उठता है, यह अस्वीकार की जाती हैं तथा श्री जगदीश नारायण राय, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री मुंशी लाल गौतम, डा0 यशवंत सिंह, श्री मदन चौहान, श्री सदल प्रसाद और श्री श्याम देव राय चौधरी की सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

कुशीनगर के रामकोला क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण एवं स्वीकृत धन आवंटित होने के बाद भी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अभी तक कार्य प्रारम्भ न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम सिंह-

[माननीय सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामकोला एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कप्तानगंज को उच्चीकृत कर सामुदायिक विकास केन्द्र बनाने तथा ग्राम मोखन, टेकुआटार पुरना, परसोनी, खोटही और मडखल खास में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु शासन से धन अवमुक्त किया जा चुका है। उक्त कार्य हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 एवं लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया गया है परन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है जिससे जनता में असंतोष है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करता हूं कि उक्त निर्माण कार्य अति शीघ्र जनहित में प्रारम्भ कराया जाए।]

आर0 पी0 रस्तोगी इण्टर कालेज, मलाक हरहर, इलाहाबाद के प्राचार्य के अपहरण की सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[आर0 पी0 रस्तोगी इण्टर कालेज, मलाक हरहर इलाहाबाद के प्राचार्य उदय नारायण त्रिपाठी का अपहरण 4-5-2006 को हुआ था। इस सम्बन्ध में मैंने 12-5-06 को कार्य-स्थगन के माध्यम से विषय उठाया था इस पर सरकार द्वारा बताया गया था कि थाना कैंट इलाहाबाद में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5-5-2006 को मुकदमा दर्ज किया गया है तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय एवं नगर चतुर्थ के निर्देशन में एस0 ओ0 जी0 प्रथम एवं द्वितीय की टीमें प्रधानाचार्य की सकुशल बरामदी हेतु प्रयासरत है।

साढ़े तीन महीने से अधिक का समय बीत गया है, परन्तु अभी तक प्रधानाचार्य का कोई पता नहीं चल सका है। इनके परिवार में 4 पुत्र, 1 पुत्री तथा पत्नी है, जोकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इलाहाबाद के शिक्षकों ने धरना, प्रदर्शन आदि किया परन्तु पुलिस प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। प्राचार्य के गायब हो जाने से इलाहाबाद व शिक्षक समुदाय में भारी रोष है। सरकार से प्रकरण की सी0बी0 या सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराने की माग करता हूं।

उक्त विषय लोक महत्व का एवं अविलम्बनीय है अतः मैं नियम-301 की अन्तर्गत देता हूं।]

जौनपुर नगर क्षेत्रान्तर्गत मदेही गांव में वर्ष 2001-2002 में लेपन स्तर तक स्वीकृत लगभग 900 मीटर सड़क का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

[जौनपुर नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत करंजाकला ब्लाक में भेदेटी गांव में मुख्य मार्ग से राजभर बस्ती तक नाबार्ड फेज 6 के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में लगभग 900 मीटर सड़क लेपन स्तर तक लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत है। सड़क निर्माण हेतु रुपया 6.93 लाख लोक निर्माण विभाग को वर्ष 2001 में ही प्राप्त हो गया है किन्तु इस मार्ग का निर्माण अभी वर्ष 2006 अगस्त तक पूरा नहीं कराया गया। मार्ग निर्माण पूर्ण न होने से आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल इस मार्ग को पूरा करने की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद जनपद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रताप बिहार कालोनी में दिनांक 27-8-2003 को किये गये 100 भूखण्डों के आवंटन-पत्र शीघ्र जारी करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[गाजियाबाद जनपद में जी0डी0ए0 के द्वारा प्रताप विहार कालोनी में 100 भूखण्डों का आवंटन दिनांक 27-8-03 को किया गया था परन्तु शासन द्वारा दिनांक 8-9-03 को जारी आदेश के अनुसार आवंटन पत्र जारी नहीं किये गये, प्राधिकरण (जी0डी0ए0) के द्वारा इस सम्बन्ध में शासन को 5-11-03, 2-01-04, 14-01-04, 4-02-04, 20-7-04, 17-5-05, 8-02-06 को पत्र भेजे जा चुके हैं परन्तु शासन से अब तक आवंटन पत्र जारी करने हेतु कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। 100 आवेदकों का अग्रिम धन फंसा है, यह प्रकरण लोकमहत्व का है। अभी हाल में ही जी0डी0ए0 के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकारियों ने इस स्कीम को कैंसिल करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी हैं यह स्कीम कैंसिल करना जनहित में उचित नहीं है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो आवंटन दिनांक 27-8-03 को किये गये थे उनको तत्काल आवंटन पत्र जारी करवाये जायें।]

समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन के कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरंत समीक्षा अधिकारी के कार्य कलापों के जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन में कार्यरत समीक्षा अधिकारी श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा उक्त विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों से सांठ-गांठ करके विगत आठ वर्षों से बिना किसी प्रकार का अवकाश सम्बन्धी लिखित सूचना दिये प्रत्येक वर्ष आठ-नौ महीने तक अनधिकृत रूप से कार्यालय से गायब रहने के बावजूद उक्त विभाग द्वारा बिना अवकाश स्वीकृत के आदेश निर्गत किये विगत आठ वर्षों से उन्हें प्रत्येक महीने अनियमित रूप से वेतन का भुगतान कर लाखों रुपये के शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है जबकि विशेष सचिव महोदय द्वारा श्री पाण्डेय के अवकाश स्वीकृत हो जाने पर वेतन आहरित करने तथा उसकी सूचना प्रत्येक माह लेखा कोष्ठक तथा समाज कल्याण अनुभाग-1 के अधिष्ठान को उपलब्ध कराने के आदेश उक्त प्रकोष्ठ के प्रभारी/अनुभाग अधिकारी को दिये गये थे जिसे प्रभारी द्वारा दबा लिया गया। इतना ही नहीं उक्त विभाग द्वारा उनके विरुद्ध दण्डात्मक अनुशासनिक कार्यवाही करना तो दूर रहा, उन्हें प्रत्येक वर्ष मानदेय/विशेष मानदेय तथा पुरस्कार के रूप में हजारों रुपये की धनराशि अनियमित रूप से देकर बड़ी मात्रा में शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया।

श्री पाण्डेय इस वर्ष जनवरी, 2006 से अब तक 185 दिन अनधिकृत रूप से बिना अवकाश सम्बन्धी लिखित सूचना दिये कार्यालय से गायब रहने के बावजूद उक्त प्रकोष्ठ द्वारा उनके विरुद्ध बिना दण्डात्मक कार्यवाही किये उन्हें प्रत्येक महीने अनियमित रूप से वेतन का भुगतान कर लाखों रुपये का शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है जिसे सचिवालय के कर्मचारियों पर अत्यन्त रोष व्याप्त है। उक्त स्थिति अत्यन्त विस्फोटक है। भ्रष्टाचार के इस विषय पर निराकरण हेतु मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

लखनऊ कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में आवासीय भवनों में चल रहे व्यवसायिक दुकानों को दिल्ली की तर्ज पर नियमितीकरण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र की लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में आवासीय भवनों में चल रही व्यवसायिक दुकानों को नियमितीकरण करने के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि स्वैच्छिक शमन योजना, 1998 आवास अनुभाग-1, सं0-9-आ-1/97/डी.ए.-81/लखनऊ, 1998

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के आदेश के अन्तर्गत एल0डी0ए0 के दुकानदारों ने व्यवसायिक कराने हेतु शमन शुल्क जमा कराया, जिस पर अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। अतः शासन को निर्देशित करें व दिल्ली की तर्ज पर दी गई व्यवस्था को लागू करते हुए दुकानों का नियमितीकरण करने का शासन को निर्देश देने की कृपा करें।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाकर शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

वर्ष 2005-06 में बांदा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू लाल कुशवाहा-

[जनपद बांदा के 303 बांदा विधान सभा क्षेत्र में विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि वित्तीय वर्ष 2005-06 के सम्पूर्ण एक करोड़ के प्रस्तावित योजनायें प्रस्तुत कर दिये गये थे। उसमें से 33 प्रस्तावित योजनायें (कार्यों) 53 लाख 84 हजार के कार्यदायी संस्था सी0सी0डी0एल0 (सेन्ट्रल कोआपरेटिव कान्स्ट्रक्सन एण्ड डवलपमेन्ट डीवीजन लि0) निर्माण इकाई को प्रस्तावित किये गये थे उक्त कार्यों का धन अवमुक्त करा दिया गया उक्त सी0सी0डी0एल0 के सभी कार्य अधूरे पड़े हैं। जिसकी शिकायत जनपद बांदा व चित्रकूट धाम मण्डल के सभी अधिकारियों को प्रस्तुत करने के बाद भी उक्त विकास कार्यों व योजनाओं को पूरा नहीं कराया जा रहा हैं। सी0सी0डी0एल0 के सभी कार्य अधूरे पड़े होने से बांदा विधान सभा क्षेत्रवासियों के मूलाधिकारी का हनन है। जिससे उनमें भारी जनाक्रोश व्याप्त है। ऐसी स्थिति में 303 बांदा विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास वित्तीय वर्ष 2005-06 के अधूरे पड़े कार्य को जनहित में शीघ्र निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य दिलाने एवं वित्तीय वर्ष 2005-06 के 303 बांदा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर में बेसिक शिक्षा के वित्त एवं लेखा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जंग बहादुर सिंह-

[मैं आपका ध्यान जनपद सुल्तानपुर के बेसिक शिक्षा विभाग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बेसिक शिक्षा विभाग में वित्त एवं लेखा विभाग का कार्यालय जब से खुला होगा तब से तीन लेखाकार जिनके नाम श्री राधेश्याम वरिष्ट लेखाकार व विजय प्रकाश श्रीवास्तव लेखाकार व राम कुमार यादव लिपिक/लेखाकार वहीं पर तैनात किये गये हैं। जो लगातार गम्भीर अनियमितताएं करते हैं जबकि इस सम्बन्ध में अर्द्धशासकीय पत्र सं 16/3-80-कार्मिक-2 उ0प्र0 शासन, कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ दि0 28 मई, 1981 का भी अनुपालन नहीं किया गया है। इतना ही नहीं बेसिक शिक्षा विभाग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को वर्ष 1982 से बढ़ी हुयी मंहगाई भत्ते, अन्य अवशिष्ट धनराशि राजाज्ञानुसार जी0पी0एफ0, ब्याज के आगणन शासनादेशानुसार निर्धारित देय में भी भारी गड़बड़ी पाई गई है और इसमें भी राजाज्ञाओं का घोर उल्लंघन हुआ है। हमारे जनपद के सम्मानित अध्यापकगणों का धरना 15 अप्रैल, 2006 से अनवरत आज तक चल रहा है।

मान्यवर, लोकमहत्व के इस प्रश्न पर व्यवस्था की मैं मांग करता हूं कि पुराने लेखाकारों को हटाने एवं सम्मानित अध्यापकों के समस्त देयों का भुगतान राजाज्ञानुसार कराते हुए सदन में उत्तर दिलाने की कृपा करें।

ताकि हमारे जनपद सुल्तानपुर में प्राथमिक अध्यापकों में व्याप्त असन्तोष दूर हो सके।]

अम्बेडकर नगर के न्याय पंचायत क्षेत्र ऐंनवां एवं बसन्तपुर में लगभग 40 गांव की विद्युत आपूर्ति महरी प्र0 फीडर टाण्डा अथवा केदारनगर (कलेसर) फीडर से किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी वर्मा-

[तहसील टाण्डा जनपद-अम्बेडकरनगर के न्याय पंचायत क्षेत्र ऐंनवाँ एवं बसन्तपुर के लगभग 40 गांवों की विद्युत आपूर्ति बाया जनपद फैजाबाद से की जाती है जबकि उक्त विद्युत लाइन की देखरेख उपखण्ड टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर से की जाती है तथा बिलों की वसूली भी अम्बेडकरनगर से की जाती है दो बिलों के बीच में उक्त ग्रामों के बिजली आपूर्ति की व्यवस्था होने के कारण उक्त दोनों न्याय पंचायतों के ग्रामों की बिजली प्रायः बाधित रहती है जिसके कारण आम जनता में आक्रोश व्याप्त है। स्थिति अत्याधिक विस्फोटक बनी हुई है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उपरोक्त ग्रामों की विद्युत आपूर्ति महरी प्र0 फीडर टाण्डा अथवा केदारनगर (कलेसर) फीडर से किये जाने की मांग करता हूं।]

कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत बसफोर (डोम) जाति के जानवरों (सुअर) के बीमारी से मर जाने की जांच कराकर मुआवजे की राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूर्णमासी देहाती-

[अवगत कराना है कि हमारे क्षेत्र नौरंगिया, जनपद-कुशीनगर के अन्तर्गत भारी मात्रा में बसफोर (डोम) जाति के लोग निवास करते हैं। ग्राम छितौनीबुलहवां, नौसार, नेबुआ रायगंज, गोपी अपरा, खड्डा, कोआसाख, खोटही, सची जनपद-कुशीनगर के सैकड़ों गांव में एक विशेष बीमारी (महामारी) के प्रकोप से बसफोरों के हजारों जानवर (सुअर) मर गये। बसफोरों के पास सुअर पालन के अलावा और कोई रोजगार नहीं होता है। जानवरों के मरने से इनकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थिति दयनीय हो गयी है और यह लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। इसे दैवीआपदा घोषित किया जाना चाहिए।

अतः इस अवलिम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह मांग करता हूं कि इसकी जांच कराकर मरे हुए बसफोरों के जानवरों के सहायतार्थ जांच कराकर मुआवजे की राशि स्वीकृति की जायं।]

नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत लगड़ी पम्प कैनाल के उच्चीकरण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत इस्टीमेट की धनराशि अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम करन आर्य-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर पूर्व बस्ती में कुआनों नदी पर लगड़ी पम्प कैनाल है बरसात के दिन में नदी के पानी में डूब जाने के कारण जून के अन्त में पम्प निकाल लिया जाता है जिससे पूरे खरीफ की फसल की सिंचाई नहीं हो पाती है इस समस्या के निराकरण के लिए पम्प उच्चीकरण हेतु एक करोड़ दस लाख रुपये का स्टीमेट सिंचाई विभाग द्वारा बन गया है मगर शासन से अभी तक धन अवमुक्त नहीं हुआ है जिससे पम्प ऊंचा नहीं हो पा रहा है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पम्प उच्चीकरण कराने के लिए एक करोड़ दस लाख रुपया शासन से अवमुक्त कराने हेतु शासन से कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

भदोही जनपद के निर्माणाधीन नरपतपुर चौरी 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को तत्काल धन मुहैया कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रंगनाथ मिश्र-

[नरपतपुर चौरी में 1998 में कालीन उद्योग की आवश्यकता को देखते हुए पावर कार्पोरेशन ने लो बोल्टेज की समस्या से निजात पाने के लिए 132 के0वी0 के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करने की योजना बनायी विद्युत बोर्ड ने इसकी आवश्यकता को देखते हुए इसे स्वीकृत करते हुए 7 करोड़ की इस योजना को मंजूरी देते हुए एक करोड़ रुपया अवमुक्त भी किया किन्तु कुछ कार्य जैसे पोल लगभग 20 कि0मी0 तक खड़ा कर दिया तथा बाउन्ड्री आदि का भी निर्माण कर लिया किन्तु सात वर्ष से कार्य रोक दिया है। जिसके कारण भदोही के किसान मजदूर व व्यवसायी की लो बोल्टेज की समस्या ज्यों कि त्यों बनी होने के कारण कालीन निर्यात भी प्रभावित हो रहा है साथ ही ओवर लोड की समस्या से आये दिन विद्युत ट्रिप होती है साथ ही 33 के0वी0 के विद्युत उपकेन्द्र की मशीन खराब होती जा रही हैं।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर 132 के0वी0 उपकेन्द्र को तत्काल धन मुहैया कराने की मांग करता हूं जिससे कालीन नगरी भदोही जिले की विद्युत आपूर्ति ठीक हो सके।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोण्डा के कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत करनैलगंज मलौना घाट मार्ग पर टेढ़ी नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बैजनाथ दूबे-

[मैं मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र और कैसरगंज को जोड़ने वाली सड़क के बीच में टेढ़ी नदी बहती है, दोनों जनपदों में सड़क बनी है, परन्तु पुल के न होने के कारण आवागमन में बहुत ही असुविधा होती है। पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र के निवासीगण आक्रोश में लोक सभा एवं विधान सभा चुनाव में बहिष्कार करते आ रहे हैं। इस समस्या को कई बार प्रमुखता से इलेक्ट्रानिक मीडिया व प्रिन्ट मीडिया द्वारा प्रसारित किया जा चुका है। इस क्षेत्र के लोग काफी दिनों से आन्दोलनरत हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को मा0 सदन के संज्ञान में लाते हुए करनैलगंज मलौनाघाट मार्ग पर पुल निर्माण हेतु चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत दादरी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि पर अविलम्ब निर्माण प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नवाब सिंह नागर-

[जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत दादरी रेलवे फाटक यातायात की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फाटक है, जिसके एक ओर से नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा का पूरा यातायात जी0टी0 रोड पर आता है, वही रेलवे का कन्टेनर भी फाटक के साथ बना है। जिससे घण्टों-घण्टों यातायात बाधित रहता है। मीलों लम्बी लाइनें लग जाती हैं, वहीं अब दादरी साइड में ग्रेटर नोएडा फेस-द्वितीय बनाने का निर्णय हुआ है जिससे यातायात और अधिक बढ़ेगा, इस ओवरब्रिज के लिए जमीन भी ली जा चुकी है, किन्तु अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से जनता में शासन एवं प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक पूरनपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 विनोद तिवारी-

[मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र 44 विधान सभा पूरनपुर की एक महत्व पूर्ण जानकारी नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्रीमान जी, जनपद पीलीभीत में शासन द्वारा नये परिसीमन के अनुसार पूरे जनपद में आंगनबाड़ी के सैकड़ों केन्द्र बढ़ाये गये थे जिनके आवेदन दिसम्बर 2005 में मांगे गये थे। दो बार पद निरस्त किये जा चुके हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/महिलाओं ने तीसरी बार आवेदन किये हैं मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार 31 मार्च, 2006 तक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिये थी किन्तु नहीं हुयी तदोपरान्त सचिव बाल विकास उ0 प्र0 शासन के दोबारा 30 जून, 2006 तक चयन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के आदेश निर्गत किये जनपद पीलीभीत के सभी ब्लाकों में चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है परन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक पूरनपुर में आगनबाड़ी कार्यकत्री के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी है इससे आवेदनकर्ताओं में काफी रोष व्याप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सात सूचनायें प्राप्त हुयीं। इसमें पहली सूचना श्री दद्दू प्रसाद, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लालजी वर्मा व श्री रंगनाथ मिश्र जी की दिनांक 22 अगस्त, 2006 के उपवेशन में अध्यक्ष पीठ से श्री दद्दू प्रसाद, सदस्य, विधान सभा को सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु दिये गये विशेष ध्यान के निर्देश के सम्बन्ध में है।

*श्री दद्दू प्रसाद अहिरवार-

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे नियम-300 के औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही का माननीय सदस्यगण एक प्रमुख अंग है और जब माननीय सदस्य की सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो फिर उसका क्या महत्व रह जायेगा। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के अन्तर्गत वाक् स्वतंत्रता एवं विचार की अभिव्यक्ति के अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रदत्त है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अनुसार विभिन्न विषयों को माननीय सदस्य यहां पर उठाते हैं। मान्यवर, ददुआ जैसे दुर्दान्त दस्यु ने हमें जान से मारने की धमकी दी है, जिसे मैंने 22 अगस्त को उठाया था। उसने 21 अगस्त को हमें जान से मारने की धमकी दी है और हमारी जान को खतरा है। एक ऐसा अपराधी जो पच्चीस साल से जंगल में घूम रहा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस को ठेंगा दिखा रहा है और बड़े ही अमानवीय ढंग से लोगों की आंखें निकाल लेता है, हड्डी तोड़ देता है, ऐसे अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए मैंने मांग की थी 22 अगस्त को। 22 अगस्त को ही आपने हमारी सुरक्षा के सम्बन्ध में अपनी पीठ से निर्देश दिये थे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया है। मात्र एक गनर, जो सभी विधायक को दिया जाता है वह ही दिया गया है, जबकि ददुआ जैसे खूंखार अपराधी हमारे मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के जंगल में कोहराम मचा रहा है और स्वच्छन्द विचरण कर रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः अनुरोध करता हूं और भयभीत भी हूं क्योंकि इस विधान सभा के अनेक सदस्यों की हत्याएं हो रही हैं-जैसे राजू पाल की, श्री कृष्णानन्द राय की, विधान परिषद् में अनेक विधायकों की हत्याएं की जा चुकी हैं, इसलिए मैं इस विषय में आपका संरक्षण चाहता हूं और मांग करता हूं कि कम से कम वाई श्रेणी की सुरक्षा सरकार द्वारा प्रदत्त कराने की कृपा करें ताकि हम अपने संवैधानिक प्रदत्त

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकार का प्रयोग कर सकें और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में प्रदत्त अधिकारों के तहत जनता की सुरक्षा के लिए लोक हित के मुद्दे को सदन में उठा सकें। अभी पिछले दिनों कई माननीय सदस्यों को सुरक्षा प्रदान भी की है और वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है, तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे भी कम से कम वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाय ताकि हम लोक हित और जनता के हित के उन मुद्दों को यहां पर उठा सकें। हमारी जान की सुरक्षा रहे इसलिए मैं औचित्य के इस प्रश्न के माध्यम से आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, चूंकि विषय गम्भीर है और जब निर्वाचित सदस्य इस सदन में नहीं आयेंगे तो प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं को उठायेगा कौन। जैसा कि हमारे दद्दू प्रसाद जी ने इसी सदन में विगत 22 तारीख को अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में गुहार लगायी थी और मान्यवर, पीठ से भी निर्देश हुए थे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाये जाने के, लेकिन मान्यवर, उस पर सरकार अभी भी गम्भीर नहीं हुई हां इतना जरूर हुआ है कि माननीय पीठ के निर्देश के बावजूद जिले से एक गनर की सुरक्षा व्यवस्था की गई वह भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर शैडो की व्यवस्था की गई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वह जो भी प्रदेश की ज्वलन्त समस्यायें होती हैं समय-समय पर यहां पर उठाते हैं। भाई दद्दू प्रसाद जी ने चित्रकूट में जो वहां पर तमाम निर्मम हत्यायें विगत दिनों में हुई हैं, उनको यहां पर रखा है, जिसके लिए दस्यु सरगना ने इनको जान से मारने की धमकी दी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत हम सभी लोगों को जो भी माननीय सदस्य हैं उनको इस सदन में अपनी बात कहने का अपना पक्ष रखने का पूरा का पूरा अधिकार है। मान्यवर, विधान सभा संचालन नियमावली, 1958 के अन्तर्गत भी माननीय सदस्यगण समय-समय पर प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं को विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से सदन के माध्यम से आपको सम्बोधित करते हुए उस प्रकरण को रखते हैं और सरकार उनका संज्ञान लेती है और समय-समय पर उस पर उचित कार्यवाही भी करती है। मान्यवर, इस पर सरकार भी गम्भीर रही। सरकार ने भी स्पष्ट कहा था कि हम माननीय सदस्य की पूरी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं बहुत वरिष्ट हैं इस सदन के सदस्य रह चुके हैं साथ ही आपके संज्ञान में भी यह पूरा का पूरा प्रकरण है मैं ऐसे गम्भीर विषय पर ऐसे औचित्यपूर्ण विषय पर जहां पर माननीय सदस्य की जान को खतरा है किसी भी तरीके से जानलेवा हमला हो सकता है जैसा कि इसी उत्तर प्रदेश में तमाम विधान सभा सदस्यों, विधान परिषद् सदस्यों अनेक अन्य पदाधिकारियों, जैसे जिला पंचायत या आपकी छोटी पंचायतों के माननीय सदस्यों की हत्याओं का जो सिलसिला चल पड़ा है, इसलिए मान्यवर, एक और विधायक की हत्या हो यह अच्छी बात नहीं होगी। घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से इस बात के लिए निवेदन करता हूं कि इसको अति गम्भीरता से लेते हुए माननीय सदस्य की सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। मान्यवर, जब कि इस सदन में एक बार नहीं इससे पहले भी उठ चुका है पीठ से निर्देश हो चुके हैं, सरकार भी आश्वस्त कर चुकी है और इन सब के बावजूद भी अभी तक कोई

कठोर कार्यवाही नहीं की गयी। यह औचित्य का प्रश्न है, गम्भीर है और माननीय सदस्य पर जानलेवा हमला होने का खतरा है इसलिए मैं आपके माध्यम से इस औचित्य के प्रश्न को उठाता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमेशा आम आदमी की जिन्दगी का भी सरकार को ख्याल रखना है और माननीय विधायकगण तो जाहिर है जनता के प्रतिनिधि हैं उनका ख्याल रखना हमारा दायित्व है, लेकिन मान्यवर, इसके लिए कुछ मानक हैं, मानक यह कि हर विधायक को गनर उपलब्ध है, माननीय मंत्रीगण को भी है, जिनके जीवन का भय है उसके ऐतबार से है, पुलिस रिकार्ड के एकार्डिगली है। अगर किसी पर कोई हादसा या हमला हो जाता है उसके लिए मानक अलग है। मान्यवर, इस मामले को निश्चित देख लिया जायेगा और जो भी ज्यादा से ज्यादा न्यायोचित कार्यवाही सम्भव होगी की जायेगी। माननीय सदस्य की सुरक्षा सम्बन्धी किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी जायेगी। मान्यवर, आपने तो नेता सदन का तरीका देखा है जब कभी भी इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है तो हमारे नेता सदन स्वयं खड़े होकर आश्वासन दे देते हैं तो मैं इस सम्बन्ध में नेता सदन से बात कर लूंगा, आज भी किसी वक्त वह आ सकते हैं तो जब वह आ जायेंगे तो खासतौर से आपके बारे में मैं उनसे जरूर बात कर लूंगा।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, दस्यु सरगना करीब 25-30 वर्षों से जंगलों में घूम रहा है उसके विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी है तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में इनको सुरक्षा की विशेष जरूरत है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इनकी परिस्थितियों को देखते हुए विशेष रूप से इनके लिए सुरक्षा मुहैया कराने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब उस दिन पीठ से निर्देश हुए थे तो पीठ से निर्देश मिलने के बाद कोई रिपोर्ट मंगाई है सरकार ने इस सम्बन्ध में ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, एक तो मुस्तकिल तौर पर इस तरह की रिपोर्ट आती रहती है, सरकार के संज्ञान में सब बातें रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को मालूम नहीं है कि किसकी दुश्मनी किस वजह से है और क्या कारण है। राजनीतिक है या व्यक्तिगत है या सामाजिक है। मान्यवर, सरकार की जानकारी में सब कुछ है। मान्यवर, मैंने कहा है कि मैं इस सम्बन्ध में माननीय नेता सदन से अलग से बात करूंगा आज सदन में आते तो कर लूंगा वरना कल बात करूंगा और जो इसमें राहत सम्भव हो सकती है वह उपलब्ध कराने की बात की जायेगी।

श्री ददूदू प्रसाद-

मान्यवर, मैं एक अल्प आय का व्यक्ति हूं और मेरी दस्यु ददुआ से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। मान्यवर, मेरा कोई कारोबार नहीं है न ही मैं बालू या शराब का व्यवसायी हूं। मान्यवर, जनसेवा के ऊपर और अल्प वेतन पर जीवन निर्वाह करता हूं। मान्यवर, जो मेरे ऊपर जान का खतरा है वह सामाजिक कारणों से है और जनहित के कारणों से है इसलिए मेरी सुरक्षा सरकारी खर्चे

पर करायी जाये। मान्यवर, मैं एक अल्प वेतन का व्यक्ति हूं मैं खुद ही नहीं चाहता हूं कि मेरे साथ दस आदमी रहे क्योंकि उन्हें खाना भी देना पड़ेगा। मान्यवर, मुझे जो क्षेत्र से सूचनाएं मिल रही हैं और सीधे धमकी दी गयी है उसको देखते हुए मुझे सुरक्षा की अत्यन्त जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें। मैंने इस सम्बन्ध में श्री दद्दू प्रसाद, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लाल जी वर्मा एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुना। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि वे इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री से बात करके कुछ कार्यवाही कराने का काम करेंगे। मैं सरकार को निर्देशित करता हूं कि इस सम्बन्ध में किसी ठीक व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जाये।

(व्यवधान)

दूसरी सूचना श्री हुकुम सिंह जी की प्रदेश की नहरों, रजबाहों एवं माइनरों की सफाई, मरम्मत एवं रख-रखाव में हुए धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र संख्या-50 शाहजहांपुर के नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकृत हैण्डपम्पों की स्थापना न कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री नरेन्द्र शिशौदिया की प्रदेश की अस्पष्ट दवा नीति तथा ड्रग लाइसेंसों के नवीनीकरण में अपनाई जा रही अव्यहारिक नीति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की वर्ष 2006-07 में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 150 हैण्डपम्प लगाये जाने की घोषणा के बावजूद अभी तक हैण्डपम्पों को न लगाये जाने एवं जल निगम मेरठ को हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु धनराशि प्राप्त न होने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री कौशल किशोर की प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री मुंशीलाल गौतम की जिलाधिकारी बांदा द्वारा बांदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी अथवा हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र कोंच से बहुजन समाज पार्टी से विधान सभा का टिकट मांगे जाने के सम्बन्ध में है। यह सभी सूचनाएं नियम-300 में नहीं आती हैं इसलिए अग्राह्य की जाती है।

एक अन्य सूचना जो श्री प्रमोद तिवारी व श्री जगदम्बिका पाल की नियम-300 में प्राप्त हुई है वह भी नियम-300 में नहीं आती है इसलिए निरस्त की जाती है।

अब मैं मद संख्या-4 लेता हूं।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

आप लोग नियम-300 का जो प्राविधान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में जो वर्णित है उसको देख लें। चूंकि दद्दू प्रसाद जी की सूचना व्यक्तिगत थी और उसमें पीठ से दिये गये निर्देशों के बावजूद अभी तक संतोषजनक व्यवस्था नहीं हुई है इसलिए उसे औचित्य के प्रश्न के रूप में सुना गया। चूंकि ये सभी सूचनाएं नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं इसलिए मैं इन सबको निरस्त करता हूं।

संस्थागत वित्त कर निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां †

कर एवं निबन्धन, व्यापार कर राज्य मंत्री (संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त कर निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-587/ग्यारह-9-(76)-2004-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-(05)-2006, दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा-3-क की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त कर निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-110/ग्यारह-7-(312)/91-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-(03)-2006, दिनांक 24 फरवरी, 2006 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा-3-क की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त कर निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-275/ग्यारह-9-(35)/2003-उ0 प्र0 अधि0-15-48-नियम 1-948-2006(2), दिनांक 16 फरवरी, 2006 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त कर निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-3263/ग्यारह-9-(85)/2003-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-(48)-2005, दिनांक 02 दिसम्बर, 2005 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, शहरी क्षेत्र की प्रक्रिया को बदला जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (19वां संशोधन) नियमावली, 2006 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (19वां संशोधन) नियमावली, 2006 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, भण्डारण भवन, न्यू हैदराबाद, लखनऊ के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा 2004-2005 ††

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शारदानन्द अंचल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, भण्डारण भवन, न्यू हैदराबाद, लखनऊ के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा 2004-2005 को उत्तर प्रदेश भण्डारागार अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा-11 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 6 माह हो गये और एक भी नल शहरी क्षेत्र में नहीं लगा है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

श्री अधिष्ठाता-

आप आसन ग्रहण करें मैं सरकार को निर्देश दे दूंगा।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने आसन पर वापस चले गये)

डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 सितम्बर, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 सितम्बर, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 सितम्बर, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि सहारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक,

2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 सितम्बर, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 अगस्त, 2006 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 अगस्त, 2006 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अगस्त, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 अगस्त, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 सितम्बर, 2006 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अगस्त, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 अगस्त, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 सितम्बर, 2006 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का बाईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 अगस्त, 2006 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 अगस्त, 2006 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2006 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का तेईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनयमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 अगस्त, 2006 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 अगस्त, 2006 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2006 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 150 हैण्डपम्प लगाये जाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री की घोषणा के बावजूद अभी तक शाहजहांपुर एवं मेरठ में आवश्यक धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी की सूचना वैसे तो नियम-300 में नहीं आती। लेकिन इनका कहना यह है और इन्होंने चिन्ता व्यक्त की है कि स्थानीय निकाय चुनाव होने लगेंगे तो आचार संहिता लग जायेगी, यह 6 महीने की घोषणा है, हैण्डपम्पों का मामला है, कृपा करके इसको दिखवा लें कि यह आचार संहिता से बाधित न होने पाये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

क्यों नहीं लगे हैं, लग तो रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसा नहीं है, केवल देहात क्षेत्र में लग रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लग रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिये अवश्य बता दूं कि नगरीय और गैर नगरीय का कोई विरोध नहीं है, यह दोनों के लिये है और जल निगम के हैण्डपम्प लगाने का प्रतिशत 4 गुना ज्यादा है। क्योंकि बहुत ज्यादा हैण्डपम्प लगने हैं और तयशुदा स्टाफ है लेकिन बहुत तेजी से लगाये जा रहे हैं। यह तो मेरे देखने का है, इसे मैं देखता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

केवल ग्रामीण क्षेत्र में लग रहे हैं। इसमें मेरा कहना यह है कि नगरीय क्षेत्र में पैसा जाने की जो प्रक्रिया है उस पर जरूर विचार किया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं दिखवा लेता हूं। मैं इस सम्बन्ध में यह भी सदन को अवगत करा दूं कि आचार संहिता लग जाने से हैण्डपम्प के लगने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हैण्डपम्प लगना, वह अलग काम है और यह अलग काम है। आचार संहिता लग जाने से विकास का कोई काम नहीं रुकता।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, हमारे मेरठ में भी हैण्डपम्प नहीं लग रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरठ में एक भी नल नहीं है, यह तो बहुत बुरी बात है, यह सूचना ही बड़ी खतरनाक है।

"स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जांच समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन †

डा0 पी0के0 राय-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुमति से मैं "स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जांच समिति, का अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में मस्तिष्क ज्वर से लगभग 1411 मौतें होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके संज्ञान में नियम-300 प्रस्तुत करना चाहता हूं और आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र की नींव, लोकतंत्र की नींव ...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जांच समिति वाले प्रतिवेदन की प्रतियां प्राप्त नहीं हुयीं।

श्री प्रमोद कुमार-

अरे वर्मा जी, इसमें हमारा निकल जायेगा।

मान्यवर, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी एक निर्णय दिया है, जस्टिस अम्बानी ने कि ईस्टर्न यू0पी0 में इंसेफ्लाइटिस की वजह से कई मौतें हुयी हैं, सरकार उसके लिये विशेष उपक्रम करे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

बैठे हुये हज यात्रियों की सब्सिडी के बारे में भी तो कहो।

श्री प्रमोद कुमार-

हज यात्रियों को सब्सिडी मिलनी चाहिये, इसीलिये केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हज सब्सिडी के लिये मूव भी किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है और माननीय राजस्व मंत्री जी ने यहां कहा था कि मस्तिष्क ज्वर को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया है और पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है। मान्यवर, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया है, उसे मैंने पढ़ा है, उसमें साफ तस्वीर उभरकर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को मस्तिष्क ज्वर से निपटने के लिये जो कदम उठाने चाहिये थे वह नहीं उठाये गये हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह विषय बहुत ही गम्भीर है और चिन्ता का विषय है कि उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में 1411 लोगों के मरने की रिपोर्ट है। इसके सम्बन्ध में बार-बार इस सदन ने अपनी चिन्ता प्रकट की है लेकिन फिर भी

---

† छापा नहीं गया।

इसे गम्भीरता से नहीं लिया गया। एक जनहित याचिका जब राजीव कुमार ने प्रस्तुत की तो उस पर निर्णय लिया गया कि जो भी कदम सरकार द्वारा उठाये गये, वह पर्याप्त नहीं। सबको शिक्षा और स्वास्थ्य का हवाला देते हुये न्यायालय ने बहुत विस्तृत निर्णय दिया है और कहा है कि सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिये। मान्यवर, उन्होंने बहुत ही कर्कश टिप्पणी की है और कहा है कि जो सरकार जनता को स्वास्थ्य न दे सके उस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जस्टिस अम्बानी के निर्णय का शतप्रतिशत अनुपालन कराया जाना चाहिये और सरकार सदन को स्पष्ट करे कि वह इस मामले को गम्भीरता से लेगी और उसके निदान के लिये आवश्यक उपाय करेगी। मान्यवर, औचित्य का प्रश्न इसीलिये बनता है कि औचित्य के नियमों में है कि औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा। और मान्यवर, न्यायालय संविधान के तहत गठित हुआ है और जब न्यायालय कोई निर्णय देता है तो सरकार को उसे मानना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संविधान का अनुच्छेद-1682 पढ़कर सुना दें, कहां है ?

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, 1682 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है यह संविधान का अनुच्छेद 168(2) है। जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है वह नियम-300 के अन्तर्गत ग्राह्य हो जाता है वह प्रश्न औचित्य के विषय में ग्राह्य होता है। निश्चित रूप से इस सदन में यह विषय उठाया गया था और कहा गया था कि मस्तिष्क ज्वर से लोग पीड़ित हैं, सत्तारूढ़ दल के लोगों ने भी चिन्ता व्यक्त की थी और सरकार ने सदन में स्पष्ट किया था कि सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई है, सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों बस्ती, गोरखपुर, मेडिकल कालेज, पडरौना, देवरिया सभी जगहों पर दवाओं और डाक्टरों का इन्तजाम करा दिया गया है और जिला प्रशासन को भी सचेत कर दिया गया है और मान्यवर, उसके बाद हाईकोर्ट की टिप्पणी आ जाए, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी उपाय किये गये हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं। मान्यवर, मैं सरकार के खिलाफ नहीं लेकिन अगर यहां कोई विषय हम उठाते हैं और सदन में सरकार के द्वारा जवाब आ जाए और सभी लोग मान लें कि सरकार की सूचना सही है और उसके बाद में इस प्रकार की स्थिति सामने आये। मान्यवर, उस दिन भी यही सूचना दी गई थी कि पर्याप्त उपाय कर दिये गये हैं लेकिन जनहित याचिका के निर्णय में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि पर्याप्त उपाय नहीं किये गये थे। मान्यवर, आज भी हमारे उधर वायरल की टेस्टिंग के लिये सेंटर नहीं हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक वायरल रिसर्च सेंटर बनाया जाये क्योंकि बच्चों को कौन सा वायरल है इसकी जानकारी करने में ही 15 दिन का समय लग जाता है और इसी बीच बच्चों की मौत हो जाती है। मान्यवर, 1411 मौतें अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में हो जायें तो बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, क्रान्ति आ जाएगी लेकिन फिर भी जनता धैर्य बनाये हुये है। जनता गरीब है, वह धैर्य बनाये है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके स्वास्थ्य को बनाये रखें। मान्यवर, विकास की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजनाओं में जन-स्वास्थ्य की प्राथमिकताएं हों, इससे ज्यादा औचित्य का प्रश्न और कोई हो ही नहीं सकता। सदन में एक बार कहा गया और सरकार ने जो उत्तर दिया वह सत्य नहीं था, हाईकोर्ट ने भी कह दिया तो मान्यवर, इससे सदन का कार्य विनियमित होता है।

श्री अधिष्ठाता-

यह नियम-300 में किसी भी प्रकार से नहीं आता है, इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि वह गम्भीरता से उपाय करें।

प्रदेश की नहरों, रजबाहों एवं माइनरों की सफाई, मरम्मत एवं रखरखाव में हुये धन के दुरुपयोग सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो निर्णय हुआ वह शिरोधार्य है, आपकी पीठ से जो सकारात्मक टिप्पणी की गई, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कहा कि औचित्य का प्रश्न सदन की कार्यवाही से संबंधित होना चाहिये। अगर मेरे प्रश्न को पढ़ लेते तो उसकी एक-एक पंक्ति सदन की कार्यवाही से संबंधित है। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि मैंने एक सूचना दी और सूचना में कहा कि सिंचाई विभाग में नहरों के रख-रखाव का पैसा खंडों में न भेज करके निगम विशेष को भेजा जा रहा है। इस पर कृपापूर्ण नियम-56 में वक्तव्य मंगा लिया। वक्तव्य में कहा गया कि यह बात सही नहीं है। जबकि सही यह है कि रख-रखाव का पैसा खंडों में भेजा जा रहा है, विशेष मरम्मत का पैसा निगम को भेजा जा रहा है। मान्यवर, अनुरक्षण के लिये कुछ लाख और विशेष मरम्मत के लिये करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी केवल इतना चाह रहा हूं कि अगर प्रदेश के किसानों का पैसा एक कारपोरेशन में भेज करके सारा का सारा अपव्यय हो जायेगा तो उसे आप भी पसन्द नहीं करेंगे। अधिष्ठाता महोदय, आप निर्देशित कर दें कि इस पर उचित कार्यवाही करें तो सीधे इससे किसानों का फायदा हो जाता। मैंने अपनी बात नहीं उठायी है, प्रदेश के करोड़ों किसानों की बात उठायी है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय हुकुम सिंह जी, आज की कार्यसूची देखें तो इसी विषय पर मद संख्या-29 के अन्तर्गत नियम-51 की सूचना पर वक्तव्य है। जब वक्तव्य आयेगा तो उस समय आप स्पष्टीकरण प्राप्त कर लीजियेगा। मद संख्या-14 व 15 में कुछ नहीं है। मद संख्या-16 मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य।

दो वर्ष पूर्व श्री सलिल विश्नोई द्वारा दी गई तथा विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द की गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर अभी तक कोई कार्यवाही न होने पर आपत्ति

*श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, मद संख्या-14 से ही संबंधित है। सदस्यों के मान-सम्मान की रक्षा के लिये विशेषाधिकार की सूचना दी जाती है। मैंने दो वर्ष पूर्व विशेषाधिकार हनन की सूचना दी थी। उसको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विशेषाधिकार समिति को संदर्भित भी किया गया, समिति ने अपना निर्णय भी दिया परन्तु उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अधिष्ठाता-

श्री सलिल विश्नोई जी ने जो बात विशेषाधिकार समिति से संबंधित उठायी है उसको दिखवा लिया जायेगा।

जनपद बुलन्दशहर के थाना अगौता में डकैतों द्वारा फौजी जसवीर सिंह के घर पर डकैती डालने एवं उनकी हत्या किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय विधायक द्वारा जनपद बुलन्दशहर के ग्राम किसौली मे दि0 02-5-06 को पूर्व फौजी के घर में डकैतों/बदमाशों द्वारा लूटपाट कर पूर्व फौजी जसवीर सिंह की गोली मारकर हत्या किये जाने की घटना से जनता में आक्रोश उत्पन्न होने का उल्लेख किया गया है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[प्रश्नगत प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर से आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि वादी श्री विजयवीर पुत्र रामवीर नि0 किसौली, थाना अगौता, बुलन्दशहर की सूचना पर मु0अ0सं0 37/2006 धारा 396 भादवि थाना अगौता पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के घर में घुसकर 75000/- नकद, सोने के जेवर, 07 भैसें, 60 कुन्तल गेहूं, जई आदि सामान लूट कर ले जाने तथा जसवीर सिंह को गोली मारकर हत्या कर देने के संबंध में दि0 03-5-06 को पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान 1-फईमुद्दीन नि0 विडावक, गुलावटी, 2-नसरुद्दीन नि0 तातारपुर, कोतवाली नगर, 3-सलीम नि0 फरकना, पहासू, 4-शमशुद्दीन नि0 रसीदपुर, सलेमपुर, 5-हब्बी नि0 विडावक, गुलावटी, 6-फिरोज नि0 रसीदपुर, सलेमपुर, 7-ताजुद्दीन नि0 रसीदपुर,सलेमपुर, समस्त जनपद बुलन्दशहर, 8-अनवर नि0 बड़ी मोडी, हाफिजपुर, 10-रहीशुद्दीन नि0 उपरोक्त, 11-अली मोहम्मद नि0 मुदाफरा, बाबूगढ़, 12-गुल मोहम्मद नि0 खेड़ा, थाना बहादुरगढ़ समस्त जनपद गाजियाबाद अभियुक्त प्रकाश में आए। अभियुक्त फईमुद्दीन, नसरूद्दीन, सलीम उपरोक्त दिनांक 28-05-06 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना गुलावटी की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। मौके से उक्त अभियोग में लूटी गई मोटरसाइकिल यूपी 13 के 0290 डीबीएस व नाजायज असलहे बरामद हुए, जिसके संबंध में थाना गुलावटी पर मु0अ0सं0 149 से 152/06 धारा 307 भादंवि व 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत हुए हैं। बयान पर अभियुक्तों ने जुर्म

नोट :-- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इकबाल करते हुए अपने उक्त साथियों के नाम बताए। अभियुक्तगण के कब्जे से लूट की 10,000 रु0 नकद, 32 कुंतल गेहूं, मोटरसाइकिल बरामद की गई तथा घटना में प्रयुक्त कैन्टर गाड़ी नं0 यू0पी0-14 डी-7226 भी पकड़ी गई है। अभियुक्त हबीब उर्फ हब्बी दिनांक 06-6-06 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्त ताजुद्दीन, मोहम्मद अली दिनांक 8-6-06 तथा अनवार दिनांक 15-6-06 को हाजिर न्यायालय होकर जेल गए, अभियुक्त अनवार व ताजुद्दीन को पुलिस कस्टडी रिमान्ड पर लेकर अभियुक्त अनवार से डकैती में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर मय एक कारतूस तथा मृतक जसवीर की घटना में लूटा गया सेना का मैडल, अभियुक्त ताजुद्दीन से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा एक कारतूस मय चांदी की पाजेब की बरामदगी की गई है। अभियुक्त शमशुद्दीन व फईमुद्दीन दि0 27-7-07 को हाजिर अदालत होकर जेल गए। गुल मोहम्मद नि0 खेड़ा, थाना बहादुरगढ़, गाजियाबाद दिनांक 27-8-06 को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से तीन भैंस, कुंडल, पाजेब बरामद किए गए। अभियुक्त रहीमुद्दीन दि0 6-7-06 को पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर में गिरफ्तार किया गया जिसका इस अभियोग में वारन्ट बनवाना शेष है। अभियुक्त फिरोज की गिरफ्तारी शेष है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।]

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, अगर आज की कार्यसूची का मद संख 10(1) देखें।.....

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, चूंकि यह मद पास हो चुका है। इसलिए मद संख्या-18 ले लें। आपने 'हां' 'न' भी करा लिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

अधिष्ठाता जी, यह जो राजस्व संहिता विधेयक मैंने आपकी आज्ञा से पुरःस्थापित किया है इस सम्बन्ध में मेरा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि इसके सम्बन्ध में विचारार्थ नेता प्रतिपक्ष, अन्य दलों के सभी नेतागण एक बैठक कर लें मैं स्वय आपके कक्ष में उपस्थित हो जाऊंगा। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष जी से पूछकर व नेतागण की सहमति से जो सदस्य इसके लिए नामित हों वह भी शामिल हो जायं। मैं चाहता हूं कि इसमें एक आम सहमति बने जिसकी प्रतीक्षा बहुत दिनों से हो रही थी एक सोचा समझा प्रस्ताव आए। यह प्रदेश के किसानों से जुड़ा बड़ा सवाल है इसीलिए इस विधेयक को हम जल्द बाजी में नहीं पास कराना चाहते हैं इसके लिए हम सबसे परामर्श करना चाहते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष महोदय को इसमें बुला लें सभी दलों के नेतागण उपस्थित रहेंगे आप लोग रहेंगे एक विचार आपस में हो जाएगा जो आवश्यक है।

श्री हुकुम सिंह-

प्रवर समिति के गठन में भार साधक मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है एक अच्छा प्रस्ताव रखा गया है। इसमें प्रक्रिया यह है कि भार साधक मंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन होता है उसी का प्रस्ताव आ जाय। वहां पर मंत्री जी स्पष्टीकरण दे सकते हैं। काम का एक तरीका होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

इसका विधिवत प्रस्ताव भी आना चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

इसमें मैंने अनुरोध किया है कि अध्यक्ष जी तय कर देंगे, नेता प्रतिपक्ष व अन्य दलों के नेताओं से उनके कक्ष में वार्ता कर लेंगे।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं कार्य स्थगन के प्रस्ताव ले रहा हूं। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए मैं नियम 56 की सूचनाओं के सदस्यों के नाम व विषय पढ़कर सुनाए दे रहा हूं।

आज दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को नियम-311 की 3 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

इसमें श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की सूचना प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र 2006-07 के लिये सरकार द्वारा गन्न मूल्य की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में है। नियम-311 में प्राप्त श्री चन्द्रदेव राम यादव, श्री रंगनाथ मिश्र की सूचना जनपद-आजमगढ़ स्थित सहकारी चीनी मिल सठियांव/भदोही के कर्मचारियों का वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। श्री प्रदीप जैन आदित्य, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 विनोद तिवारी की सूचना प्रदेश के 5 आयुर्वेदिक कालेजों एवं 2 यूनानी कालेजों की मान्यता सी0 सी0 आई0 एम0 द्वारा निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। श्री पीटर फैन्थम, श्री प्रमोद तिवारी डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की सूचना लखनऊ स्थित लैरेटो कान्वेन्ट स्कूल, लखनऊ में कुछ संगटनों द्वारा स्कूल के गेट को जबरन तोड़ने एवं उसमें प्रवेश किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। श्री सुखदेव राजभर, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री हीरालाल गौतम, श्री राम इकबाल सिंह की सूचना जनपद आजमगढ़ स्थित खत्री टोला के दस वर्षीय सुभाग रूंगटा की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मेरा विषय अलग है। आप इससे जोड़ रहे हैं हमारा विषय आप पढ़ दीजिये कि क्या विषय है।

श्री अधिष्ठाता-

पढ़ देंगे। आप आसन तो ग्रहण करिये।

श्री नवाब सिंह नागर-

बहुत महत्वपूर्ण मामला है। किसानों का उत्पीड़न हो रहा है।

श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

मान्यवर, किसानों की जमीनों को लिया जा रहा है।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, प्राइवेट बिल्डर्स के लिये किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। किसी जनहित के विषय के लिये जमीन लिया जाना ठीक है लेकिन इस तरह से किसानों की जमीन नहीं ली जानी चाहिये। आप सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग आसन ग्रहण करें।

श्री नवाब सिंह नागर-

इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय और कोई नहीं हो सकता है। किसान की लूट नहीं चलेगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

मैं माननीय हुकुम सिंह को बुला चुका हूं। इसके बाद आपकी बात सुन ली जायेगी। हुकुम सिंह जी किसानों की बात कहने के लिये खड़े हैं। उनको अपनी बात कह लेने दीजिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने हुकुम सिंह जी को बुला लिया है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की सूचना जनपद बिजनौर के ग्राम हरगनपुर निवासी श्रीमती सुनीता द्वारा भूख एवं गरीबी के कारण स्वयं एवं बच्चों को जहर देने से हुई मृत्यु के संबंध में है। श्री जगदम्बिका पाल, श्री अजय कपूर, श्री सुशील चौधरी की सूचना पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में यूरिया खाद की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय, श्री चन्द्रदेव राम यादव की सूचना जनपद जौनपुर की जिला पंचायत सदस्य श्री के0 के0 मौर्या की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। श्री विवेक बंसल की सूचना जनपद अलीगढ़ स्थित वर्षों पुरानी बहुमंजिली इमारतों को गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। श्री मुन्शी लाल गौतम की सूचना बुलन्दशहर के श्री राम प्रकाश शर्मा की मृत्यु के उपरान्त उनकी विधवा को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री कौशल किशोर की सूचना जनपद मऊ की तहसील सदर के लेखपाल एवं कानूनगो द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। श्री शिव तपस्या पासवान की सूचना जनपद चन्दौली स्थिति नौगढ़ में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दलित महिलाओं को नियमानुसार वेतन का भुगतान न किये जाने के संबंध में हैं। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की सूचना लखनऊ में बंगला देशी घुसपैठियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुयीं अतः अस्वीकृत हुई हैं। इसमें नियम-311 में प्राप्त एवं नियम-56 मे परिवर्तित श्री लालजी टण्डन एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचना है। इसके अतिरिक्त नियम-311 में प्राप्त एवं नियम-56 में परिवर्तित श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री लालजी वर्मा, श्री नवाब सिंह नागर, श्री ओ0पी0 सिंह, श्री सलिल विश्नोई की सूचना है। यह सूचनायें अस्वीकृत हुयी हैं।

(श्री हुकुम सिंह को पुकारे जाने पर)

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, हत्या की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है।

(शोर)

श्री नवाब सिंह नागर-

आपने मेरी सूचना निरस्त कर दी है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, उनका भी सुन लीजिये वो कह रहे हैं कि यह खाद्य का प्रश्न पूरे प्रदेश का है। इसको सुन लीजिए। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने कार्य-स्थगन की सूचना पर हुकुम सिंह जी को बुला लिया है। उनको सुनने के बाद ही आपकी व्यवस्था के प्रश्न को सुना जायेगा।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल जी और माननीय वर्मा जी आप दोनों वरिष्ठ सदस्य हैं। मैंने हुकुम सिंह जी को बोलने के लिये कह दिया है वे खड़े हैं। आपको अभी नहीं सुना जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, हम लोगों का व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न तो आप सुनिये।

श्री अधिष्ठाता-

जब मैंने एक सूचना को प्रारम्भ कर दिया है और हुकुम सिंह जी को बोलने के लिये कह दिया है तो आपकी व्यवस्था का प्रश्न अभी नहीं। हुकुम सिंह जी के बोलने के बाद कहियेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इसी में जोड़ लीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने कह दिया है कि हुकुम सिंह जी के बाद इनकी व्यवस्था का प्रश्न सुन लूंगा। हुकुम सिंह जी बात बोलिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के जीवन का प्रश्न है। प्रदेश में 25 हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्र है और इस वर्ष सितम्बर माह खत्म होने जा रहा है अक्टूबर में सारी की सारी चीनी की मिलों अपना पेराई कार्य शुरू कर देंगी। ऐसी स्थिति में कोल्हू चलना शुरू हो गया और आज तक सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है। मैं दो बातें संक्षेप में कहना चाहता हूं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। मान्यवर, आज चीनी का भाव 22 रुपये प्रति किलो से नीचे नहीं आ रहा है। इस वर्ष किसानों को गन्ना उत्पादन के लिये दोगुनी लागत और दोगुनी मेहनत लगानी पड़ी है। दोगुनी लागत इस तरह से कि बिजली न आने से डीजल का प्रयोग करना पड़ा है। डीजल का मूल्य 22 रुपये से बढ़कर 36-37 रुपये हो गया है। इस तरह से किसान को गन्ना पैदा करने के लिये लागत ज्यादा लगानी पड़ रही है। बाजार में मिल मालिक को चीनी का भाव ज्यादा मिल रहा है। एक समय में जब चीनी का मूल्य 11 रुपये किलो था तो तत्कलीन सरकार ने किसानों को गन्ना मूल्य 100 रुपये-105 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से दिलवाया था। आज जब चीनी का दाम 11 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 22 रुपये हो गया है तो क्या आज किसानों का यह हक नहीं है कि उस अनुपात में उसे गन्ने का मूल्य मिले। 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना का मूल्य किसान को मिलना चाहिए।

इस सरकार के कार्य काल में एक-एक मिल मालिक ने फायदा उठाया है और उसने दो-दो तीन-तीन मिलें खड़ी कर ली हैं। किसानों का उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार को सितम्बर के महीने में 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को भुगतान किये जाने के लिये निर्देशित कर देना चाहिए। मिल मालिकों को निर्देशित करें कि पेराई शुरू करने से पहले किसानों को 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को उत्पादन लागत दी जायेगी। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कुछ बोलने पर) अपने गिरेबान में झांक कर देखिये। तत्कालीन सरकार ने जब 11 रुपये चीनी का भाव था प्रति किलो तो 105 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किसानों को दिया था आज जब 22 रुपये किलो चीनी का भाव है तो किसानों को 200 रुपये प्रति क्विंटल उत्पादन लागत मिलनी चाहिए। इसका फायदा कुछ लोग उठाना चाहते हैं किसानों को इसका लाभ नहीं देना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसानों को गन्ना भाव 200 रुपये मिलना चाहिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

काबे किस मुंह से तुम जाओगे गालिब शर्म फिर तुमको नहीं आती। मान्यवर, बड़ी हिम्मत चाहिए इस सरकार के बारे में इस तरह की बात कहने के लिये। गन्ना किसानों की जो हालत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। क्या हालत की थी ? वे भुखमरी के कगार पर पहुंच नहीं गये थे बल्कि भुखमरी के कगार पर थे। अगर उन्होंने अपने लिये कुछ मांगा तो उनको क्या मिला ? उनको गोलियां दी गईं। उन्होंने जिन्दगी मांगी तो उनको मौत दी गई। आज सूरते हाल यह है कि गन्ना किसान कितना खुश है ? गन्ने का पैसा लेने के लिये उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, रोना नहीं पढ़ता, किसी से कहना नहीं पड़ता। मिल मालिक उसको बुलाता है। उसको ढूंढकर भुगतान करता है। आज हालात पूरी तरह

से बदल गये हैं और किसान पूरी तरह से खुश हैं कि मिल मालिक उसको गन्ना का पूरा मूल्य दे रहे हैं। कोई वेदना नहीं है वेदना सिर्फ हुकुम सिंह जी को है।

श्री हुकुम सिंह-

आपने कोई गन्ने के बारे में घोषणा की। पेराई सत्र आने वाला है, की कोई घोषणा आपने ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

अधिष्ठाता जी, मैंने दो बातें कही थीं। 11 रुपये से चीनी का भाव 22 रुपये हो गया, फिर 100 से बढ़कर गन्ने का भाव 200 रुपये क्यों नहीं होगा ? इसका कोई उत्तर दिया आपने ? मान्यवर, चीनी के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ गए.....

श्री मोहम्मद आजम खां-

बहिष्कार न करिएगा।

श्री हुकुम सिंह-

इन्होंने किसानों को मिल मालिकों का गुलाम बनाकर रख दिया है।

(शोर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह असत्य है।

श्री हुकुम सिंह-

100 फीसदी गन्ने का भुगतान हमारी सरकार ने कराया था। जिस भा0ज0पा0 सरकार ने गन्ना किसानों का भुगतान कराया.....

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह असत्य है। हमारी सरकार की किसान जय-जयकार बोल रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

हमारा आग्रह है कि सितम्बर के महीने में गन्ने का सरकारी मूल्य सरकार घोषित करे और इस बात को दृष्टिगत रखते हुए करे कि जिस तरह से चीनी का मूल्य बढ़ा है उसी तरह से गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस सूचना पर माननीय हुकुम सिंह जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना श्री चन्द्रदेव यादव और मा0 श्री रंगनाथ मिश्रा जी की है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जनता पार्टी के और खासतौर से जो किसानों के मामलात को सदन में रखते थे और खासतौर से जिनके अगुआ मा0 हुकुम सिंह जी थे मान्यवर, इनकी हिम्मत नहीं

है कि यह गन्ना किसानों के मामले में, खुद अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसानों से बात भी कर सकें। क्योंकि गन्ना किसानों को इनके पुराने किए हुए पाप अच्छी तरह से याद हैं मान्यवर, यह मामला, मुकदमा जनता में रख नहीं सकते हैं। किसानों में रख नहीं सकते क्योंकि उन्हें उनकी बरबादी याद है कि किस तरह से इन्होंने किसानों को बरबाद किया था। किस तरह मिल बन्द किए थे। मान्यवर, मैं अवगत करा दूं जय-जयकार है किसानों में समाजवादी पार्टी की। गन्ना किसानों में जय-जयकार है। अब इन्हें मालूम न हो तो इनका दुर्भाग्य है।

श्री अधिष्ठाता-

पाल जी आपका व्यवस्था का प्रश्न था।

श्री जगदम्बिका पाल-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आपने कृपापूर्वक कार्य-स्थगन की विषय की सूचना को स्वीकार किया। कार्य-स्थगन की सूचना हुकुम सिंह जी की स्वीकार की। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं इस सदन में जो विषय आप स्वीकार करते हैं। उसकी प्राथमिकता भी आप तय करते हैं। निश्चित तौर पर वह सबसे ज्यादा जनहित और ज्वलन्त विषय जो होते हैं उनको प्राथमिकता पर लेते हैं। मेरा अनुरोध है गन्ने का पेराई सत्र अभी शुरू भी नहीं हुआ लेकिन उसके बावजूद भी कृपा करके आपने सुन लिया। क्योंकि जब मिलें चलेंगी तो निश्चित रूप से गन्ने का समर्थन मूल्य देंगी। लेकिन आज प्रदेश में जो खाद का संकट है उसको आप प्राथमिकता के आधार पर ले लें। मान्यवर, आज सबसे ज्वलन्त समस्या खाद की है। प्रदेश के करोड़ों किसान खाद के लिए परेशान हैं। उनको खाद और डाई नहीं मिल रही है इसके कारण बहुत परेशानी हो रही है।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

पाल जी कृपया आसन ग्रहण करें। पाल जी यह निर्णय मा0 अध्यक्ष जी का है। प्राथमिकता उन्होंने जो तय की उसके अनुसार आ गया। मैं अगली सूचना ले रहा हूं। इसको अग्राह्य करता हूं। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

*श्री चन्द्र देव यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरा सवाल बदलकर नियम-311 से नियम-56 में कर दिया। जबकि यह अच्छा नहीं था। नियम-311 में ही इसको सुनना चाहिए था। यह नियम-56 में सवाल मैं अगले सत्र में लगा चुका था। निवेदन के साथ आपको अवगत कराना चाहता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ में सहकारी चीनी मिल मजदूर, 500 कर्मचारी यहां मजदूर हैं। लगभग 15 दिन से यह आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और 6 महीने से उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। इतना चीनी मिल का सवाल उठा, गन्ने का दाम उठा, सारी चीजों पर बहस हुई लेकिन मजदूरों की मजदूरी पर बहस नहीं हुई। चीनी मिल चलाने की बात होती है 15 दिन से कर्मचारी अनशन पर हैं प्रशासन के लोग अनशनकारियों को उठा ले जाते हैं। जब उनकी हालत खराब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होती है। उनका टेंट तोड़ देते हैं। उनका माइक तोड़ देते हैं और सरकार के लोग ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं कि जय-जयकार सरकार की हो रही है। यह स0पा0 की जिम्मेदारी है। उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। मजदूर इंतजार कर रहे हैं कब वह दिन आएगा जब 6 महीने का वेतन मिलेगा। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं जिनके पास बच्चे हैं वह रोटी नहीं पा रहे। वह स्कूल नहीं जा पा रहे हैं न उनके पास कपड़े हैं। न उनके पास खाना है। प्रजातंत्र के जमाने में वह कर्मचारी अनशन पर बैठे हुए थे उन कर्मचारियों को प्रशासन उठा ले गया। वह जमीन पर बैठे अनशन कर रहे हैं। अनशनकारियों को ले जाकर कहां रख देते हैं यह पता नहीं लगता है। चोरों की तरह से मजदूरों को रात को उठा ले जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं चीनी मिल चलाने के साथ-साथ गरीबों को, मजदूरों को 6 महीने का जो वेतन बकाया है। पी0एफ0 बकाया है, उनकी हालत खराब है तो उनको वेतन दिलाने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी पीठ से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात से मुझे अवगत करावें क्या मजदूरों का वेतन उनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ? वह मर जाऐंगे या तब दिया जाएगा। मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूं। सरकार से जवाब चाहता हूं क्या उन मजदूरों की मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ? धन्यवाद।

*श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, भदोही जनपद में काशी सहकारी चीनी मिल 1970 में स्थापित की गई। मान्यवर, 1250 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली यह चीनी मिल शायद पूर्वांचल में सबसे बड़ी चीनी मिल है। अब उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पेराई और उसके अनुदान और पैसे की व्यवस्था सरकार क्या कर रही है यह तो अलग की बात है लेकिन जो कर्मचारी वहां कार्यरत हैं उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो यगा है। चीनी मिल नहीं चल पा रही है इसके लिए चीनी मिल कर्मचारी कतई दोषी नहीं हैं उसके लिए शासन में बैठे हुए लोग दोषी हैं ऐसे-ऐसे प्रबन्धक को भेजते हैं जो सबसे खराब होता है और जाने के बाद कभी-कभी भी चीनी मिल में नहीं बैठते हैं। लखनऊ रहकर कमीशनखोरी करते हैं जिसके कारण एक औराई चीनी मिल नहीं चल पा रही है। औराई चीनी मिल न चल पाने के कारण महदूरों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। जो भी पैसा है, अनुदान सरकार देती है सारे लोग जो वहां के प्रबन्धक हैं अधिकारी हैं, जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के जरिए आते-जाते रहते हैं वह अपनी तनख्वाह लेकर के, वहां के जो जनरल कर्मचारी हैं पिछले 10 माह से वहां के कर्मचारियों के एक पैसे वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। आज हालत यह है, मान्यवर, आप स्वयं समझ सकते हैं, आज की महंगाई के समय जो व्यक्ति उसी पर आश्रित हो, जिनकी जमीनें चली गई हैं, उसकी एवज में ही चीनी मिल में उनकों नौकरी दी गई थी। कम से कम 700-800 एकड़ जमीन उस इलाके के किसानों की ली गई थी, तब वह चीनी मिल बनी थी। आज जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं, जिनकी जमीनें चली गई हैं, आज उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिल रहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, उन कर्मचारियों की दशा कैसी होगी, न उनके पास खेत रह गये हैं और उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। उनकी हालत बहुत खराब है, वे अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, न उनके पास दो वक्त की रोटी के लिये पैसे हैं। मान्यवर, दो कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने आर्थिक स्थिति खराब होने के

कारण छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सरकार दो-मुंही राजनीति कर रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिलों के लिये पैसा दे रही है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिलों के लिये कोई ध्यान सरकार नहीं दे रही है। वह जानबूझ कर पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर रही है। वहां की चीनी मिलों को चलाने के लिये न तो कोई अनुदान सरकार दे रही है और न ही उनके कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था कर रही है। फेडरेशन में बैठे हुये अधिकारी भी उसी प्रकार काम करते हैं जैसे शासन में बैठे हुये अधिकारी कर रहे हैं। आज हालत यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का दबदबा बना है। मुख्य मंत्री भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, सारा बजट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूरों और किसानों की घोर उपेक्षा हो रही है, ऐसी उपेक्षा आज तक किसी भी सरकार में नही रही है। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आज तो बहुत पुराने और सीजेंट सदस्य हैं, मुख्यमंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सदस्य होंगे तो हमारे सहयोगियों का क्या होगा ? वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कहां से हो गये, मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मिश्रा जी, आप की बात आ गई।

श्री रंगनाथ मिश्र-

अभी हमारी खत्म नहीं हुई है, आप की चार महीने बाद खत्म होने जा रही है। मान्यवर, कम से कम कर्मचारियों के साथ पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भेद आप न करे। कर्मचारी का वेतन उनका पेट भरने के लिये, बच्चों की पढ़ाई आदि के लिये होता है, जब उनको वेतन ही नहीं मिलेगा तो उनका काम कैसे चलेगा। इतना ही नहीं जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनको कोई भी पेंशन नहीं मिल रही है, जो उनका बकाया पी0 एफ0 और ग्रेच्युटी है, वह भी नहीं मिल रही है । इसलिये मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि औराई चीनी मिल के कर्मचारियों को जिन्हें 10 माह से वेतन नहीं मिला है, उनका वेतन दिलाने की व्यवस्था करें ताकि उनके सामने आत्महत्या करने की स्थिति पैदा न हो। वे अपने बच्चों की परवरिश कर सकें और अपने घर की व्यवस्था को चला सकें। चीनी मिल औराई को अनुदान दिया जाय जिससे वहां के कर्मचारियों और चीनी मिल दोनों की सुरक्षा हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए, धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जानकारी ली जायेगी। माननीय सदस्य वरिष्ठ साथी हैं, कभी भी ऐसी बात नहीं कह सकते कि हमारी सरकार श्रमिकों की हितैषी नहीं है। हम उन्हें वेतन देना चाहते हैं, उसके कारणों को देख लिया जायेगा।

(इस समय 1 बजकर 37 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

(श्री रंगनाथ मिश्र तथा चन्द्र देव राम यादव सदन के वेल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा तो है कि इसके कारणों को देखेंगे।

श्री चन्द्रदेव राम यादव-

मान्यवर, 6 महीने का मजदूरों का वेतन बाकी है वह दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि वह देखेंगे कि क्यों नहीं मिल रहा है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय सदस्य ने अभी अपने वक्तव्य में कहा है कि 4 महीने की ही बात है। तो थोड़ा और सब्र कर लीजिये जहां इतना किया है। फिर तो आप आकर खुद ही दे देंगे जैसे पहले दिया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चन्द्रदेव राम यादव जी, माननीय मिश्रा जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि वह देखेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं दोनों माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि पूरी जानकारी की जाएगी।

श्री रंगनाथ मिश्रा-

मान्यवर, इतना आश्वासन दिला दें कि एक महीने में उन्हें वेतन दे दिया जायेगा। अगर नहीं बाकी है तो नहीं दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप खुद ही कह रहे हैं कि मत दीजिये। यह बात मजदूरों को पता चलेगी तो क्या कहेंगे ? मान्यवर, हम श्रमिकों के हितैषी हैं। ज्यादा से ज्यादा जो हम कर सकते हैं करेंगे।

(श्री चन्द्रदेव राम यादव, श्री रंगनाथ मिश्र अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर श्री चन्द्रदेव राम यादव, श्री रंगनाथ मिश्र और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। इनको सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। खाद की समस्या का जो आपने लिया है उसमें मेरा नाम भी शामिल कर लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। शामिल कर लेंगे। तीसरी सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और डा0 विनोद तिवारी की प्रदेश के 5 आयुर्वेदिक कालेजों एवं 2 यूनानी कालेजों की मान्यता सी0 सी0 आई0 एम0 द्वारा निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध हैं।

*श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं और उसी के अनुसार यह दावा करते हैं कि समाज के हर वर्ग को उसका हक और अधिकार मिलेगा। लेकिन आजादी के 50 वर्षों के बाद जो नहीं हुआ वह आज आजाद हिन्दुस्तान में हो रहा है। आज प्रदेश के 5 आयुर्वेदिक और 2 यूनानी कालेजों की मान्यता रद्द कर दी गयी हैं आज पूरे प्रदेश के आयुर्वेद के छात्र लखनऊ में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बाबा रामदेव की प्रशंसा पूरे प्रदेश में करते हैं वहीं आयुर्वेद विभाग को पर्याप्त बजट नहीं मिलता। मैं कहना चाहता हूं कि जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति एलोपैथी है और जो आयुर्वेद है इन दोनों में विषमता है। नये-नये मेडिकल कालेज खुल रहे हैं। लेकिन जो प्राचीनतम पद्धति है, जिससे हमारे छात्र लाभान्वित होते हैं, चिकित्सा करते हैं उसी के पांच आयुर्वेदिक कालेजों और दो यूनानी कालेजों की मान्यता पिछले पांच वर्षों में रद्द कर दी गयी है। जो सी0पी0एम0टी0 द्वारा काउन्सिलिंग की गयी है तथा जो सी0पी0आई0 की वैब साइट पर दिखाया जा रहा है कि यह रिकमन्डेड नहीं है, तो जब वह रिकमन्डेड नहीं थे तो उन छात्रों का प्रवेश क्यों किया गया ? आज झांसी आयुर्वेदिक कालेज की बात मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर छत से पानी चूता है, लड़कियां रो रही थीं।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय नहीं है। विषय यह है कि यह महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर आप बोलें। विवरण तो बाद में दिया जाता है।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, ऐसी विषम परिस्थितियों में छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया और सी0 पी0 आई0 द्वारा मान्यता रद्द कर दी गयी तो यह रिकमेन्ड क्यों किया गया। मान्यवर, आज सात आठ सौ की संख्या में छात्र आन्दोलित हैं, पांच-छः लड़के चक्कर खाकर गिर गये, पांच लड़कियां बेहोश हो गयीं तो ऐसी परिस्थितियों में एक प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिले और उनकी समस्या को सुने। आज भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है। परास्नातक की सीटें वैसे ही न्यूनतम हैं और कोई आयुर्वेदिक विद्यालय है नहीं। इन्टर्नशिप करने वाले छात्र-छात्राओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है तो उनकी मान्यता बहाल की जाय और इनका नियमितीकरण किया जाय। परास्नातक की सीटें बढ़ायी जायं, झांसी आयुर्वेदिक कालेज में कई विसंगतियां हैं वहां पर हास्टल नहीं है, ओ0पी0डी0 नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है तो उसको ध्यान रखा जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप बैठ जायं और भी लोगों को बोलना है।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, एक दिन वहां के छात्रों ने प्राचार्य को बन्धक बना दिया था कि जब पांच वर्षों से मान्यता नहीं है तो आप प्राचार्य कैसे हैं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

जैन साहब आपकी पूरी बात आ गयी है, अब आप बैठ जायें।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, जब प्रश्नकाल हो रहा था तो मैं खड़ा हुआ था और मैंने कहा था कि एक पत्र पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने पत्र नहीं कहा था। आपने कहा था कि आपका मामला हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नियम-56 में तरमीम कर दिया था। आपने उसे नहीं कहा और वह मामला चला गया।

श्री लालजी टण्डन-

पर इससे मेरा अधिकार तो खत्म नहीं हो जाता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाजपेयी जी यहां पर बैठे थे मैंने कहा था कि इसे नियम-56 में ले लीजियेगा। उसमें लिया गया। उस पर आपको कहने का अवसर दिया गया था यह विषय दूसरा है। वैसे आपका अधिकार है हस्तक्षेप करने का।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं एक पत्र पढ़कर सुना रहा हूं। एक पत्र जिलाधिकारी, बांदा ने लिखा है इस पर सरकार का स्पष्टीकरण दिलाया जाय कि क्या कार्यवाही हो रही है। यह सर्विस रूल्स का उल्लंघन हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

मैं पूछ लेता हूं कि इसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जिलाधिकारी, बांदा ने कोई पत्र लिखा है, कोई टिकट वगैरह की मांग की गयी है, इसके संदर्भ में कहना चाहता हूं कि क्या आप इससे भिज्ञ हैं और क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह पत्र तो सभी माननीय सदस्यों को डाक से मिला है, मंत्रियों को भी मिला है, आज के समाचार पत्रों में भी छपा है तो वह बस इसी हद तक है मान्यवर अभी लेकिन यह सही है या गलत है।

श्री जगदम्बिका पाल-

उन्होंने इसका खण्डन किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, इस वकालत की क्या जरूरत है कि उन्होंने खण्डन किया है या नहीं किया है। एक जिलाधिकारी की किसी वरिष्ठ नेता को वकालत करने की क्या जरूरत है ? मान्यवर, यही दरअसल प्रश्न गम्भीर है, यह काम सरकार के देखने का है हमारी एजेन्सीज के देखने का है कि जिलाधिकारी ने पत्र लिखा है या नहीं लिखा है, एक इतना वरिष्ठ सदस्य बार-बार खड़े होकर यह कहे कि जिलाधिकारी ने पत्र नहीं लिखा है यह उनके गवाह बन कर खड़े हुये हैं। माननीय कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य उनके गवाह बन कर खड़े हुए हैं। यह बात गम्भीर है कि उनके वकील सदन में बैठे हुये हैं उनकी शान में गुस्ताखी हो गयी, उनका पत्र छप गया नेता विरोधी दल ने आपके माध्यम से मुझसे पूछ लिया तो जिलाधिकारी के यहां कारिन्दे मौजूद हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

अगर आप जिलाधिरी को नियुक्त कर रहें हैं तो उसके जिम्मेदार वह होंगे मेरी व्यवस्था का प्रश्न आपसे है मान्यवर, कि आपने एक प्रश्न उटाने कि लिये भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता दी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह बात माननीय सदस्य की सही हो सकती है कि नियुक्ति सही है या गलत, बिल्कुल कोई आसमानी किताब नहीं है मुख्य मंत्री या नियुक्तियां आसमानी किताब नहीं हैं कभी-कभी कोई तजुरबे की कमी हो सकती है, लेकिन मान्यवर, उनके हिमायती, एक जिलाधिकारी की हिमायत इतने वरिष्ठ माननीय सदस्य को शोभा नहीं देती है मान्यवर, बार-बार उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, उनकी सफाई यह क्यों दे रहे हैं ? सरकार खुद देख लेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल साहब, आप बैठ जायें, नेता विरोधी दल जब खड़े हो जाते हैं तो सबको बैठना चाहिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष को हर समय अवसर है, इसलियें हमको पहले अवसर दे दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है और व्यंग्यात्मक शब्द कहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने नाम नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष-

नाम नहीं लिया है, वरिष्ठ सदस्य कहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने वरिष्ठ सदस्य कहा है, इतना मान रखा है कि नाम नहीं लिया है लेकिन यह बात अच्छी नहीं है, मैंने आपका मान रखा है, सम्मान रखा है कि नाम नहीं लिया है लेकिन हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि हम सरकारी कर्मचारियों की सदन में इस तरह हिमायत न करें। जिलाधिकारी भी कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को कर्मचारी ही रहने दीजिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, अगर आप हमें बोलने का अवसर नहीं देंगे तो हमारे कार्य-स्थगन नहीं आयेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपका कार्य-स्थगन लिया जायेगा, जब नम्बर आयेगा तो बोलवायेंगे। अब यह कौन सा तरीका है कि पहले हम बोलेंगे। कौन पहले बोलेगा ? यह प्राथमिकता हम तय करेंगे कि आप तय करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आप तय करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

तो फिर आप बैठ जायें, आपको बोलने का अवसर मिलेगा, पहले नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कह लें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इसमें तीन बड़े गम्भीर प्रश्न हैं एक तो एक मंत्री के ऊपर आक्षेप है, दूसरा यह है कि पैसा देकर पोस्टिंग की बात है, तीसरा बिन्दु यह है कि एक पार्टी से टिकट मांगने के लिये कुछ लोगों को पैसा दे दिया गया अब यह पूरा पत्र लिखा हुआ है उसका पैड है, उसके दस्तखत हैं अब अगर इसका सदन में इस बात के ऊपर कहां से हम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नियंत्रण करेंगे। अगर इस तरह के पत्र लिखने के बाद यहां पर मंत्रियों के ऊपर छीछालेदर एक डी0 एम0 कर सकता है, एक किसी दल के नेता को पैसा पहुंचा सकता है, पोस्टिंग के लिये वह कहता है कि हमने पैसे दिये हैं अगर इतना सब करने के बाद यह सरकार बरदास्त कर रही है अभी तक यह उत्तर नहीं आया माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का कि इस गम्भीर बात के ऊपर वह क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप इस पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने तो गम्भीर संज्ञान लिया सदन में, मैं तो इसका भी हिमायती नहीं हूं कि कोई सदस्य इस तरह से उनकी हिमायत और वकालत करें गम्भीर बात है मान्यवर, इसका संज्ञान लिया जायेगा।

मान्यवर, अब क्या करेंगे यह तो नहीं पता। यह पत्र सही होगा तो कुछ करेंगे ही।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल वह पत्र पढ़ दें।

श्री मुंशी लाल गौतम-

वह धन कहां से इकट्ठा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जैसे आप चाहें सदन को चलायें। आप नेता प्रतिपक्ष को अवसर दे रहे हैं। मान्यवर, वह पत्र तो सदन के संज्ञान में आने के बाद सदन की सम्पत्ति बन गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल साहब यह तो सदन की परम्परा रही है कि सदन में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष कभी भी किसी भी अवसर पर हस्तक्षेप करना चाहें, वह बोल सकते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह सही है कि यह अधिकार दोनों को है। लेकिन जो तत्समय विषय चल रहा है उसमें पहले पूरी बातें आ जानी चाहिए अगर कोई नया विषय उठा रहे हैं तो उसकी अलग व्यवस्था है। पिछले दिनों माननीय डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी और माननीय श्री प्रदीप जैन जी के द्वारा उपस्थित विषय पर चर्चा चल रही थी। तो जब तक वह विषय पूरा नहीं हो जाता है तब तक किसी अन्य को अवसर देने की बात नहीं है। आप अपनी व्यवस्था देने के पहले इस पर विचार कर लें मान्यवर, कि एक विषय पूरा नहीं हुआ उस विषय को पहले पूरा होने दिया जाय। अब उसमें अगर हस्तक्षेप करना होता तो निश्चित रूप में आप इजाजत दे देते।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेजों के साथ छल हो गया है। मान्यवर, जब इन कालेजों का सी0सी0आई0एम0 ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद वर्ष 2000 में यह पाया यह कालेज सी0सी0आई0एम0 अधिनियम-170 के अनुरूप नहीं हैं। इनमें भवन प्रयोगशाला, उपकरण, 7-7 विभागों का न खुलना, प्रोफेसर के 93 पद, रीडर के 93 पद, वरिष्ठ प्रवक्ता के 272 पद, प्रवक्ता के 173 पद, प्रयोगशाला सहायक/परिचर एवं लिपिकीय संवर्ग के 166 पदों की स्वीकृति न्यूनतम आवश्यक है। इनमें 60 प्रतिशत स्वीकृत पद रिक्त हैं, इस तरह से वहां पूर्णतः अराजकता का वातावरण है।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है। मान्यवर, माननीय न्यायालय ने अपने 27-7-2006 के फैसले में पृष्ठ 10 पर पैरा 12 में स्पष्ट कहा है उसकी मैं चार लाइनें पढ़ देना चाहता हूं।

"इन न्यू आफ द फैक्ट्स एण्ड सर्कम्सटैन्सेस, आई एम लेफ्ट विद नो आप्सन बट टू डायरेक्ट दैट आल दीज 09 स्टेट मेडिकल कालेजेस इम्पार्टिंग एजूकेशन इन इन्डियन मेडिसिन शैल नाट बी एलाइड टू फंक्शन. आई फरदर डायरेक्ट दैट द स्टेट गवर्नमेन्ट शैल नाट कान्टीनिऊ विथ काउन्सिलिंग फार एडमिट एण्ड गिव एंडमीशन टू द स्टूडेन्ट्स टू दीज कालेजेस. इट विल हाउएवर बी ओपेन टू द स्टेट गवर्नमेन्ट टू सीक रिकगनिशन फ्राम द इन्डियन मेडिसिन सेन्ट्रल काउन्सिल आर टू इवेन सीक प्राविजनल/टेम्प्रेरी रिकगनिशन इफ इट इस परमिसिबल अन्डर द रेगूलेशन फ्रेम्ड वाई द काउन्सिल फार रनिंग द कोर्स एण्ड फार काउन्सिलिंग टू एडमीशन. एज सून एज द स्टेट गवर्नमेन्ट आब्टेन्ड सच ए रिकगनिशन फार दीज, कालेजेस द इण्टरिम आर्डर्स शैल स्टैण्ड डिस्चार्ज्ड"

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाजपेयी जी हमारे सदन की भाषा हिन्दी है कृपया इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, कोर्ट ने यह कहा है कि सी0सी0आई0एम0 ने जो निरीक्षण किया उसमें इन सबको मानकों के अनुरूप नहीं पाया है। उन्होंने कहा है कि यह चलाये जाने की स्थिति में नहीं है इसलिए अनुमति नहीं देते हैं। यदि सकरार उचित समझती है तो इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल काउंसिल से परमानेन्ट या टेम्परेरी रिकगनिशन मांगे या अगर टेम्पुरेरी रिकगनिशन फिलहाल लेनी है तो फिर इन कमियों की पूर्ति करने के बाद ही काउंसिलिंग की प्रक्रिया करे। मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 27-7-06 के निर्णय में यह सब कहा है आज दो महीने हो गये हैं 14 सितम्बर हो रही है लेकिन इसके बाद भी कुछ न होने पर उनके छात्रों को सड़कों पर आन्दोलन के लिए आना पड़ा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कान में तेल डालकर बैठे हुए सरकार के अधिकारियों ने सी0सी0आई0एम0 के निर्देशों को नहीं माना है। वर्ष 2000 में निर्देश दिये गये उसके बाद 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 बीत गया और 2006 चल रहा है। फिर यह सी0पी0एम0टी0 से काउंसिलिंग किस आधार पर की गयी है। जो यहां से बच्चे पढ़कर निकलेंगे उनका भविष्य क्या होगा उनकी सरकारी नौकरियों में स्थिति क्या होगी ? 27 जुलाई को सरकार ने निर्देश दिया उसके बाद भी सरकार नहीं चेती है। मान्यवर, यह 6-7 साल के बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में केवल एक आयुर्वेदिक कालेज मुजफ्फरनगर का स्वामी रामदेव कालेज, उसके अलावा शेष आयुर्वेदिक यूनानी कालेजों की मान्यता रद्द कर दी है। प्रतिबन्ध लगा दिया है। मान्यवर, जब स्वीकृत पद 60 प्रतिशत रिक्त हैं तो पढ़ाई का स्तर क्या होगा उसके बावजूद जब उनकी पढ़ाई और दाखिला सब अवैधानिक हो गया है, और छात्रों के सामने एक संकट खड़ा हो गया है। मैं कार्य-स्थगन के माध्यम से मांग करता हूं कि सारे सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें और कम से कम सरकार तिथिवार यह निर्णय घोषित करें कि कब तक प्राविजनल परमीशन सी0सी0आई0एम0 से लेकर इनकी जो अवैधता हो गयी है उसको वैधता में परिवर्तित कर देगी और कितने दिन में परमानेन्ट मान्यता प्राप्त कर लेगी सी0सी0आई0एम0 से मानक को पूरा करके, इस पर मैं कार्य-स्थगन के माध्यम से चर्चा कराने की मांग करता हूं और सरकार से इस पर स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, आपने मुझे इस पर अपनी बात रखने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हम से पूर्व माननीय सदस्य कांग्रेस श्री जैन साहब ने और माननीय लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी ने सारी चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है सदन का। मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी पीलीभीत आयुर्वेदिक कालेज का स्नातक छात्र रहा हूं। मान्यवर, पीलीभीत, अतर्रा, हंडिया, बांदा, झांसी, बरेली और इसके साथ-साथ दो यूनानी मेडिकल कालेजों की मान्यता सी0सी0आई0एम0 द्वारा रद्द कर दी गयी। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सी0सी0आई0एम0 द्वारा मान्यता रद्द की गयी। उनका एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश में आया और

उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों से बात की। सरकार ने उन्हें यह आश्वस्त किया कि 15 दिन के अन्दर हम सारे मानक पूरे कर देंगे, सारी फार्मेल्टीज पूरी हो जायेंगी। लेकिन जब 15 दिन में वह चीज नहीं की गयी तो सी0सी0आई0एम0 ने कहा कि ये तो हमें भी ब्लफ दे रहे हैं 2001-02,03,04,05 जैसा कि बाजपेयी जी ने कहा कि 5-5, 6-6 साल तक सी0पी0एम0टी0 के द्वारा काउन्सिलिंग होती रही और विद्यार्थियों का प्रवेश इन मेडिकल कालेजों में होता रहा। उन विद्यार्थियों का क्या होगा ? 2001 में और आज तक सरकार क्या कर रही थी ? जब 15 दिन का वायदा किया था। जहां 35 प्रोफेसर होने चाहिए थे वहां 7 प्रोफेसर कार्य कर रहे हैं। सी0सी0आई0एम0 का यह कहना था कि अगर 7 प्रोफेसर हैं तो यह विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई करने आये हैं, क्या पढ़कर जायेंगे और क्या यह लोगों का उपचार करेंगे ? इस हालत में मान्यवर, सी0सी0आई0एम0 को यह निर्णय लेना पड़ा। मैं यह कहना चाहता हूं जब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आश्वस्त किया था सी0सी0आई0एम0 को कि 15 दिन के अन्दर प्रोफेसरों की नियुक्ति कर ली जायेगी और सारे मानक पूरे कर लिये जायेंगे तो उसे क्यों नहीं किया गया ? मान्यवर, इसके साथ आयुर्वेदिक कालेज भरतपुर में यह भी था कि स्नातकोत्तर कालेजों में अधिक विषयों में पढ़ाई कराई जाय, पोस्ट ग्रेजुएशन कराया जाय, सीटें बढ़ाई जायं इसके बारे में भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। इसके साथ-साथ स्टेट मेडिकल ग्रेजुएशन में इन्टीग्रेटेड मेडिकल प्रेक्टिशनर के अन्तर्गत जो मेडिको आयुर्वेदिक छात्र आये हैं उनको रजिस्टर्ड करना चाहिये था। इसके साथ-साथ तमाम समस्याएं हैं। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जहां पर धरना दिया है इन आयुर्वेदिक छात्रों ने स्वयं मैं धरना स्थल पर गया हूं। मान्यवर, 5 चीजें विद्यार्थियों ने की हैं एक तो इन लोगों का जो रजिस्ट्रेशन सी0सी0आई0एम0 द्वारा जो है, टेम्परेरी पहले दे देना चाहिए और उसके बाद परमानेन्ट सी0सी0आई0एम0 के द्वारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके साथ जो रिक्त पद हैं उनको तत्काल भरा जाना चाहिए। अगर वह पद भरे नहीं जाते हैं तो सी0सी0आई0एम0 उनको मान्यता नहीं देगा। इसके साथ-साथ यह भी एक मांग है कि जब इतने आयुर्वेदिक कालेज हैं तो एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय होना चाहिए और सभी कालेज उससे एफीलियेटेड कर दिये जायें। आज मान्यवर, सारे छात्र सड़कों पर हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। यह कोई चर्चा नहीं हो रही है, ग्राह्यता पर बोल रहे हैं, अब सरकार का जवाब आने दीजिये।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर आ रहा हूं और यह कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के यूनानी और आयुर्वेद छात्र आज सड़कों पर हैं और नवम्बर में उनकी परीक्षायें होनी हैं। यदि इस पर तत्काल निर्णय नहीं हुआ तो सत्र जीरो हो जायेगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस बारे में सरकार वक्तव्य दे और यह निश्चित घोषणा करे कि कितने दिन के अन्दर मानक पूरे करके सी0सी0आई0एम0 द्वारा मान्यता दिलायी जायेगी ताकि इन छात्रों का भविष्य अंधकार में न जा सके। मैं इस अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न पर आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस कार्य-स्थगन के विषय पर चर्चा कराई जाये जिससे सरकार का मत आ

सके और आयुर्वेदिक तथा यूनानी छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकार में डूबने से बच सके। मैं आपके माध्यम से सरकार के वक्तव्य की मांग करता हूं और कार्य-स्थगन के द्वारा चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, इसलिये इस पर चर्चा स्वीकार कर लीजिये। थोड़ी देर चर्चा हो जाय, हजारों छात्रों का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

सारे विचार तो आ गये अब सरकार का जवाब आ जाये।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, आप सरकार को निर्देश दें कि इस पर सरकार शाम तक निश्चित रूप से घोषणा करे कि कब तक मान्यता करके इन विद्यालयों में पढ़ाई सुचारु रूप से शुरू करा दी जायेगी।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, इस पर संरक्षण तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप सरकार का जवाब तो सुनिये।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

एक अखबार की खबर के अलावा विधान सभा में बोलने का कुछ अर्थ नहीं होता, वह लड़के जो सड़कों पर बैठे हैं जिनका पूरा भविष्य अधर में लटका है, हम यहां केवल भाषण देने नहीं आये हैं कि अखबार में दो लाइनें आ जायें, कम से कम विधान सभा में बोलने के बाद उस पर कार्यवाही नहीं हो तो हम लोगों का यहां भाग लेना कोई उपयुक्त नहीं है। हम झांसी में बैठकर धरना-प्रदर्शन करें या लखनऊ आकर करें। माननीय अध्यक्ष जी, हम यह चाहते हैं कि इस पर निर्णय होना चाहिये। आज छात्रों का भविष्य अधर में लटका है, आज झांसी के तीन लड़कों ने इच्छा मृत्यु के लिये राज्य सरकार को लिखकर भेजा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, इनको समझाये।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि चर्चा हो तो निर्णय भी हो।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, प्रश्न की गम्भीरता इस तरह है कि एक दिन सदन में होम्योपैथिक से संबंधित प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा था, उसी दिन फिर मैंने अपने यहां आयुर्वेदिक के बारे में भी बात की थी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

और उनका यही कहना था कि समस्या बहुत गम्भीर है और यह आज की बात नहीं है। मान्यवर, मानक कहां से कहां तक पहुंच गये आयुर्वेदिक कालेजों का यह हाल, एक दिन में, दो दिन या एक साल, दो साल में नहीं हुआ है। बहुत लम्बा अरसा लगा है, इनको इस हालत में पहुंचने में। बहुत गम्भीरता से लिया जा रहा है और जो भी ज्यादा से ज्यादा इन्हें बचाने की कोशिश हो सकती है, मान्यता दिलवाने की कोशिश हो सकती है, उसमें सरकार बड़ी संजीदगी से लगी हुयी है। मैं आपमें से किसी भी साथी को बहलाने के लिये या सिर्फ बात को टाल देने के लिये नहीं कह रहा हूं मान्यवर, हमारा भी पूरा मत है कि जो भी हमारी ऐसी पद्धतियां हैं, यूनानी है, आयुर्वेदिक हैं, इसे जिन्दा रहना चाहिये। लेकिन एक रूझान एलोपैथी की तरफ जिस तरह से है, वह भी आप जानते हैं। आज के आधुनिक युग में लोग बीमारी को किस तरह जल्दी से ठीक करना चाहते हैं, यह भी आप जानते हैं। जिस तरह की क्रोनिक डिजीजेज होने लगी हैं, उनमें बहुत सी जगह एलोपैथी ज्यादा कामयाब है, यह भी सही है। तो मान्यवर, दोनों के अपने-अपने योगदान हैं, लेकिन मान्यवर, अपने यूनानी और आयुर्वेदिक को बचाये रखना भी हमारा दायित्व है और इसके लिये सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। मान्यवर, पूरी कोशिश हो रही है और मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों को भी अंदाजा होगा कि कितने दिन में गिरावट आई है और मानक पूरा करने के लिये समय की जरूरत है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर्स के बारे में आपने कहा, प्रोफेसर्स की नियुक्ति के बारे में, तो अब क्या कठिनाइयां हैं, सदन में जरूरी नहीं है, उन चीजों पर बहस करने की। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि पुनः मैं इसको अलग से देखूंगा, अलग से फिर बैठक करता हूं, अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में, आपके कक्ष में बैठक बुलाकर, उन सारे सदस्यों की,...जिनके बीच यहां हो रही है, इसका हल वाकई निकलना चाहिए, जिस स्टेज में यह है, दम तोड़ता हुआ स्टेज है, अगर हमने इस वक्त इसकी मदद नहीं की तो एक रोजी का जरिया समाप्त हो जाएगा। एक रोजी का जरिया भी है यह जो हमारे बच्चे आयुर्वेदिक कालेजों से डिग्रियां लेकर निकलते हैं, उनकी रोजी का भी यह जरिया है, अगर उनको नौकरी नहीं मिली तो वह कहीं बैठकर, दवाखाना खोलकर कुछ कमा सकते हैं। तो मान्यवर, गम्भीर प्रश्न है, मैं आग्रह करूंगा कि आप इस सम्बन्ध में एक बैठक बुला लें, हम भी रहेंगे माननीय सदस्य भी रहेंगे अधिकारीगण भी रहेंगे और बैठक के बाद कोई न कोई हल निकल आयेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, बैठक से हमें कोई आपत्ति नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर जो टिप्पणी की है मैं चाहता हूं कि सरकार वहां पक्ष रखकर उनसे एक वर्ष का समय मांग ले, सी0सी0एम0 को अपने अधिकारी भेजकर एक वर्ष का समय मांग लें और तत्काल अस्थाई आधार पर इनकी मान्यता को पुनर्स्थापित करा दें। इससे छात्रों के भविष्य में जो अनिश्चितता है वह समाप्त हो जाएगी और फिर सरकार एक वर्ष में अपना कार्य करे। मैंने 22 अगस्त को नियम-51 में सूचना दी थी तभी सरकार को सूचना मिल गयी थी। 22 अगस्त से 14 सितम्बर तक सरकार ने क्या काम किया ?

(व्यवधान के मध्य)

(श्री प्रदीप जैन आदित्य अपने स्थान से खड़े होकर अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय जैन साहब, आपको पूरी बात कहने का मौका मिला है, आप विद्वान सदस्य हैं आप बार-बार उसी बात को कह रहे हैं।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं, मुझे सुन तो लें, तिवारी जी, आप इनको समझाइये, आप तीन बार उसी बात को कह चुके हैं, अब मुझे भी कुछ कहने दीजिए। जो कुछ आप कह रहे हैं यह लिखा नहीं जाएगा।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

फिर तो आपको सोचना चाहिए कि विधान सभा में आना है या नहीं। अब आपका लिखा नहीं जाएगा, मैंने आपकी बात सुन ली है।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

[x x x]

(श्री प्रदीप जैन आदित्य के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मेरा आग्रह है कि अब आप बैठ जाएं, यह अच्छी बात नहीं है।

डॉ0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, अभी जो जवाब दिया गया है, उसमें कहा गया है कि मानक पूरे नहीं हुए, मैं जानना चाहता हूं कि जिम्मेदारी किसकी थी, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया इसलिए यह बात हो गई है।

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ जानना नहीं चाहता हूं, आप सारी बातों को समझते हैं, आपने अपनी बात को कह दिया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि एक बैठक बुला ली जाए, बस ठीक है। अब आपका कुछ लिखा नहीं जाएगा।

माननीय आदित्य जी को बाजपेयी जी को मैंने सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किया कि जिन माननीय सदस्यों ने इसे उठाया है, उनकी एक बैठक जिसमें संसदीय कार्यमंत्री भी हों और सम्बन्धित अधिकारी भी हों, मेरे कक्ष में बुला ली जाए तो कोई समाधान जरूर निकल आयेगा। मैं समय तो अभी निश्चित नहीं कर पा रहा हूं लेकिन समय निश्चित करके सभी लोगों को बुलाकर बैठक करके इसका समाधान निकाला जाएगा। मैं इस मामले को अग्राह्य करता हूं।

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चौथी सूचना श्री पीटर फैन्थम, श्री प्रमोद कुमार व डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी की है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सूचना अलग है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना अलग है लेकिन विषय एक ही है और वह है लखनऊ स्थित लोरेटो कान्वेन्ट स्कूल, लखनऊ में कुछ संगठनों द्वारा स्कूल के गेट को जबरन तोड़ने एवं उसमें प्रवेश किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री पीटर फैन्थम-

माननीय अध्यक्ष जी, लोरेटो कान्वेन्ट की घटना का प्रकरण मैं रख रहा हूं। दो घटनायें हुई थीं, एक 06-09-2006 को तथा दूसरी 10-09-2006 को। घटना के बारे में बताने से पहले यह बताना चाहता हूं कि लारेटो कान्वेन्ट लखनऊ में ही नहीं है, कोलकाता, दार्जिलिंग, शिलांग सहित तमाम शहरों में है। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है। एशिया, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, यूरोप सभी जगह लोरेटो कान्वेन्ट के स्कूल हैं तथा जो सिस्टर होती हैं उन्हें स्पेशल आर्डर होते हैं।

श्री अध्यक्ष-

भाषा की समस्या आपके सामने हैं, आप धीरे-धीर अपनी बात रखिये।

श्री पीटर फैन्थम-

यह शादी नहीं कर सकते हैं और ये पूर्णतया शिक्षा के प्रति समर्पित होती हैं। हमारे पास मदर टेरेसा थीं वह लोरेटो नन थीं बच्ची लोग होते हैं टोटली उनकी शिक्षा के प्रति यह स्कूल समर्पित होते हैं। जो घटना हुई थी वह 06 ताारीख को, उसमें अगर किसी पैरेन्ट के पास ऑब्जेक्शन होता तो मैनेजिंग कमेटी होती है उसके आगे सीनेट होती है उसके समक्ष अपना कम्पलेन दर्ज कर सकते हैं और यह जब घटना हुई तो मुख्य मंत्री जी ने तुरन्त एक्शन लिया था और जांच के आदेश दिये गये। क्या सच और क्या झूठ यह तो जांच में निकलेगा और यह मंत्री जी बता पायेंगे। जो घटना 10 तारीख को हुई यह एकदम शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। लड़कियों के स्कूल के दरवाजे तोड़कर इण्ट्री किये और स्कूल के अन्दर तोड़फोड़ किये। जो चर्च है उसके अन्दर घुसकर तोड़फोड़ किया। यह 4.30 से लेकर 7.00 बजे तक चला लेकिन वहां कोई नहीं पहुंचा। इस सदन में मुझे लगभग 10 साल हो रहे हैं लेकिन कोई अवसर नहीं आया जब हमें बोलना पड़ा हो लेकिन यह जो 10 तारीख को घटना हुई यह हम लोगों के लिये, हर सदस्य के लिये शर्म की बात है। इसी तरह की घटना पिछले वर्ष हुई थी 24 अक्टूबर, 2005 को सेण्ट टेरिसॉज स्कूल, मॉडल हाउस में हुई थी तो मा0 मुख्य मंत्री जी को पत्र दिया था। लामार्टीनियर कालेज, लखनऊ के एक टीचर का भी मर्डर हो गया, गजरौला, झांसी, मेरठ में नन के साथ बलात्कार हुआ। इस तरह की घटनायें शर्म की बात हैं। मेरी इस मामले में मांग है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, दूसरी बात सुरक्षा की है। हमारे समुदाय के सभी स्कूलों में सुरक्षा होनी चाहिए। हर थाने को सूचना होनी चाहिए। सब स्कूल्स में डर है। हम लोग किसी शिशु मंदिर के अन्दर जाकर तोड़फोड़ करते नहीं। हम किसी से यहां

पर कभी बदतमीजी से बात नहीं करते हैं। किसी ने हमसे गाली कभी नहीं सुना है। हम सबको इज्जत देते हैं। हम सब सिटीजन हैं, प्रीच करते हैं। आपसे यही निवेदन है कि आइंदा ऐसा इंसीडेंट नहीं होना चाहिए। हम बहुत इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। जो सिस्टर्स हैं, भक्तिन हैं वह शादी नहीं करती हैं टोटली डेडीकेटेड हैं टू द गर्ल्स साइड के लिये। यह डेढ़ सौ साल पुराना आर्गनाइजेशन है। यह नहीं है कि कल किसी ने कोई स्कूल खोल दिया। लोरेटो-फख्र की बात है कि हमारे सिटी के अन्दर है। हम लोगों को फख्र होना चाहिए कि अच्छा स्कूल है। आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वहां पर।

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष जी, जिस तरह से मिस्टर पीटर फैन्थम बोल रहे थे, आहत भावनाओं का गुबार निकल रहा था। जो बात उन्होंने कही है वह मन को छू जाने वाली है। यह बहुत संवेदनशील विषय है और यदि इस पर तत्परता से कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो इसका संदेश पुरी दूनियां में गलत जायेगा। हमें दोनों घटनाओं को अलग-अलग देखना पड़ेगा। एक 6 सितम्बर की घटना है और दूसरी 10 सितम्बर की घटना है। 6 सितम्बर को जो घटना हुई है प्रबन्ध समिति ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। वह पूरी तरह से वैकल्पिक था।, प्रिंसिपल ने कहा था कि जो शामिल होना चाहें हों, जो शामिल न होना चाहें वह न हों। इस पर मैं विस्तार से केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 तथा 30 अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं को संरक्षण प्रदान करता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था शिक्षा क्षेत्र में या अपनी संस्कृति बचाये रखने के लिये संविधान में ऐसी व्यवस्था की थी। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में एक एंग्लो इण्डियन समुदाय का एक सदस्य मनोनीत किया जाता है। यह निर्वाचित नहीं होते हैं। मनोनीत इसलिये होता है कि उनकी संस्कृति और उनकी बात को यहां पर कह सकें। पीटर फैन्थम उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अनुसार चाहे वह मुस्लिम हों, सिक्ख हों या क्रिश्चियन समुदाय के हों इनको संरक्षण दिया जाता है और यह अपनी शिक्षा का प्रचार और प्रसार करते हैं। मान्यवर, इस घटना से मैं इसलिये आहत हूं कि यह घटना मेरे घर के सामने हुई है, मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं देख रहा था और आहत हो रहा था कि जो कुछ होने जा रहा है उससे क्या इस सभ्य समाज में हमें सभ्य कहलाने का अधिकार है।

मान्यवर, 6 तारीख की जो घटना है जो लोग चाहे क्रिश्चियंश कालेज में पढ़े होंगे या किसी अल्पसंख्यक कालेज में पढ़े होंगे वहां पर मस्जिद भी होगी, इबादतगाह होगी और इसी तरह से क्रिश्चियंश का एक चैपेल भी होता है जहां पर अपनी प्रार्थना वह करते हैं और वहां पर रहने वाली "नन" जिन्हें भक्तिन कहा जाता है, जो अपना जीवन समर्पित कर देती हैं और विद्यालय से जुड़े लोग वहां पर अपनी आराधना करते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पर किसी को निमंत्रण भेजकर नहीं बुलाया गया था कि 6 तारीख के कार्यक्रम में आयें। एक कार्यक्रम देने आये जो बहुत से लोगों को पसंद आया और बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी गार्जियन ने किसी संरक्षक ने, किसी लड़की के मां-बाप ने कोई शिकायत नहीं की। 9 तारीख को भी कोई शिकायत नहीं की। कोई भी छात्र इसमें बेहोश नहीं हुआ, हास्पिटलाइज्ड नहीं हुआ कोई ऐसी वहां पर घटना नहीं हुई जो यह कही जा सके कि वहां पर कुछ ऐसी अनहोनी हो गयी। अगर कोई घटना हो गयी तो

6 सितम्बर की घटना के लिये कानून अपना काम करता। उसकी प्रबन्ध समिति की शिकायत की जाती। शिक्षण संस्थाओं से शिकायत की जाती, जिलाधिकारी से शिकायत की जाती। मान्यवर, यह नये दरोगा कहां से पैदा हो गये ? यह कानून तोड़ने वाले कानून के रखवाले कैसे हो गये, इन्हें किसने यह अधिकार दिया। 10 तारीख को मेरी आंखों के सामने 70-80 लोग खड़े हैं। झंडा लिये खड़े हुए हैं यह भी नहीं कि पहचान छिपाना चाहते हों। पहचान भी नहीं छिपा रहे हैं क्योंकि अब केन्द्रीय नेतृत्व ने खेद व्यक्त किया है इस घटना की निन्दा की है। वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे या नहीं थे लेकिन उनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झण्डा था। सबने देखा है हमने खुद देखा है दरवाजा तोड़ा जाता रहा व दरवाजा तोड़कर अन्दर घुस गये। 6 तारीख की घटना के लिये किसी को अधिकार नहीं है कि वह 10 तारीख को इस तरह से प्रतिक्रिया स्वरूप वहां घुसकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करे जिन अपशब्दों का वहां प्रयोग किया गया उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। असभ्य भाषा का प्रयोग वहां किया जा रहा था। मुझसे यह बताया गया कि वहां पर उपासना स्थल को भी क्षतिग्रस्त किया गया है लेकिन मैंने कहा कि जब तक मैं खुद उसे नहीं देख लूंगा तब तक न तो प्रेस में इस पर कोई बात करूंगा न ही विधान सभा के अन्दर उसे उद्धृत करूंगा। मैंने स्वयं जाकर देखा और मैं आश्चर्य चकित रह गया यह देखकर कि वहां पर चर्च की खिड़कियां तोड़ी गयीं, कुर्सियां तोड़ी गईं और जो बर्तन होते हैं वह हिन्दुओं के हों या मुसलमानों के उनको क्षतिग्रस्त किया गया। इसकी जितनी आलोचना की जाय कम है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि एक घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह का आचरण करे व इमारत को क्षति पहुंचाए। अपने 120 साल के इतिहास में लौरेटो पर कभी इस तरह का आरोप नहीं लगा है। चाहे लौरेटो कान्वेंट हो या इसी तरह की अन्य एंग्लो इंडियन संस्थाएं जहां पर शिक्षण कार्य संचालित होता है वह पूरी तरह से शिक्षा के प्रति ही समर्पित रही हैं। यहां पर एक गम्भीर विषय आया है जहां स्कूल क्षतिग्रस्त किया गया, दरवाजा तोड़कर स्कूल परिसर में प्रवेश किया गया, खिड़कियों को तोड़ा गया ऐसा जिन्होंने किया उनकी टेलीविजन चैनलों पर तस्वीरें आईं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार-

उनको रोककर उनको पहचाना जा सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। घटना के दिन शाम को एक नेता ने मैं उनका नाम नहीं लूंगा उन्होंने कहा कि हो सकता हो कि कुछ लोगों ने जोश में यह कार्य किया हो, तो जोश में मस्जिद तोड़ देंगे, जोश में मंदिर तोड़ देंगे जोश में गिरजाघर या अन्य उपासना स्थल तोड़ देंगे। तो यह तो बहुत खराब शुरुआत होगी। इस कृत्य में जो लोग शामिल हैं उनको चिन्हित करने में समय न लगाया जाय व एक-एक के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उपासना स्थलों की अगर सुरक्षा नहीं होगी तो उनकी सुरक्षा के लिये बहुत से लोग खड़े हो जायेंगे इसलिये मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का कृत्य जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और इस तरह के कार्य की जितनी निन्दा की जाय कम है।

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब आपकी सूचना 6 सितम्बर की घटना के सम्बन्ध में है आप भी पहले अपनी बात रख लें उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जी एक साथ जवाब दे देंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

अध्यक्ष जी, हमारे यहां सभी लोग परिचित हैं कि हमारे देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर शिक्षा की जो व्यवस्था है सरकारी विद्यालय होता है, सरकारी कालेज व प्राइवेट कालेज होते हैं, पब्लिक स्कूल व ऐंग्लो इंडियन स्कूल हैं। सभी विद्यालय एक तरह का धर्म मानते हैं कि विद्यार्थियों को शिक्षा दें व शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करें। लेकिन एक संस्थान वहां धर्म के प्रचार की दृष्टि से कोई कार्य करता है तो संवधिान में निहित भावना के विपरीत है। मान्यवर, 6 सितम्बर को यहां पर हमारी राजधानी लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे लोरेटो कान्वेन्ट स्कूल में भगवान यीशू से साक्षात्कार कराने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें कक्षा-8 से कक्षा-12 की 250 छात्राएं चयनित की गई थीं जो उस प्रार्थना सभा में उपस्थित थीं। इस प्रार्थना सभा में पश्चिम बंगाल से आये लोगों ने एक डिमान्स्ट्रेशन किया। हमने तो नहीं देखा लेकिन सुना था वहां पर नोबो कुमार नाम के व्यक्ति ने उपस्थित लोगों का आशीर्वाद देने के लिये यीशू को लाने के लिये माध्यम की भूमिका निभाई और इसके दौरान जिस तरह के भयानक दृश्य वहां पर उपस्थित हुए जिसको देखकर वहां पर उपस्थित छात्रायें भयभीत हो गईं और कुछ बेहोश हो गईं।

मान्यवर, स्कूल कालेज पढ़ाई के केन्द्र हैं शिक्षा प्रदान करते हैं वहां पर इस तरह के धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिये। हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि उनके अभिभावकों को पता था। मैं कहना चाहता हूं वहां पर जो 250 छात्रायें उपस्थित थीं क्या उनके अभिभावकों से इस बारे में उनकी अनुमति ली गई थी ? क्या उनको इस बारे में जानकारी थी ? मेरा मानना है कि हमारे देश में प्रदेश में विद्यालय चलें और वे शिक्षा दें। मान्यवर, मैं इलाहाबाद से आता हूं। इलाहाबाद के अन्दर तमाम इस तरह के कान्वेन्ट स्कूल हैं। इलाहाबाद में एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट है। वहां पर हर रविवार को यीशू दरबार लगता है और गरीब तबके के लोगों को बुलाकर दवा मुफ्त में बांटी जाती है। दवा के नाम पर धार्मिक शिक्षा का प्रचार किया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो स्कूल हैं वह हमारे यहां चले लेकिन वे शिक्षा प्रदान करें। क्या इन कान्वेंट स्कूलों के ऊपर सरकार का शासन प्रशासन नहीं होना चाहिये। उनमें प्रवेश किस तरह से होता है यह किसी से छिपा नहीं है। कितना शुल्क लिया जाता है। प्रवेश के लिये किस तरह से डोनेशन लिया जाता है। मुझसे भी कई लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारा प्रवेश करवा दीजिये। माना कि यह माइनॉरिटीज के इन्स्टीट्यूशन्स हैं लेकिन इनको यह अधिकार तो नहीं है कि इस तरह से शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक आयोजन करें और उसमें छात्रों को शामिल करें। अभी माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कहा कि यह गम्भीर है। मेरा भी कहना यही है कि इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिये और इसके लिये एक सर्वदलीय समिति बनाई जानी चाहिये और वह इसके बारे में विचार करें कि इनको किस तरह से कार्य करना चाहिये संविधान में उनको अधिकार है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इस तरह से एक्स्प्लायटेशन करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बार कहा था कि वो समान शिक्षा के पक्षधर हैं। मैं

कहना चाहता हूं कि वे समान शिक्षा की बात करते हैं इसके लिये एक हाई लेबिल कमेटी बना दें जो इस प्रकरण की जांच करें। माननीय प्रमोद जी ने कहा कि 6 सितम्बर को यह कार्यक्रम हुआ और उसके विरोध में 10 तारीख की घटना घटी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर बच्चा पैदा ही नहीं होगा तो बाद में बड़ा कैसे होगा। अगर 6 सितम्बर की घटना नहीं होती तो उसके रिएक्शन में 10 तारीख की घटना कैसे होती। इसलिये मैं यही कहना चाहता हूं कि एक सर्वदलीय समिति बना दें जो टोटेलिटी में इसके बारे में विचार करें कि किस प्रकार से स्कूलों में शिक्षण का कार्य हो।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, 6 सितम्बर को स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ और 10 तारीख को जो घटना स्कूल में घटी है, वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हमको निन्दा करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप इस पर मत बोलिये। पाल साहब यह आपका नहीं है। आपको तो अगली पर बोलना है। आप इस पर क्यों बोल रहे हैं ? अब आप बैठ जायं। इस पर आपका नाम भी नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ी गम्भीरता के साथ इस मामले को रखा और यह सच है कि यह मामला है भी गम्भीर। इतनी ही गम्भीरता के साथ गौर साहब ने रखा लेकिन दूसरी तरह से। मन में दुःख होना चाहिए इसलिये कि वे खुद भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एक ऐसे शहर से आते हैं जिसका दुनिया में बड़ा सम्मान है। मान्यवर, हमारा किसी धर्म से विरोध हो सकता है, किसी धार्मिक पद्धति से विरोध हो सकता है लेकिन उसके विरोध का यह उग्र रूप होगा, उसे रोकने का, उसे समझने का या उसे समझाने का, आज के सभ्य समाज में कम से कम इसके लिये कोई गुंजाइश नहीं है। करने के लिये तो लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ हुआ भी है लेकिन उससे भी देश कलंकित हुआ, समाज कलंकित हुआ। इतिहास कलंकित हुआ। यह तो बहुत छोटा सा वाक्या है मान्यवर, यह जरूर है-

"जब मैंने अपने गिरेबां के किये थे टुकड़े, तुमको क्यों अपना गिरेबां याद आया" तो बहुत से बड़े-बड़े हादसे भी हुए हैं। उधर से जो बातें रखी गई हैं उस पर तो बहस की ही नहीं जा सकती है लेकिन गौर साहब जो कह रहे हैं वह जरूर गौर करने की बात है। मैं जहां रहता हूं वहां नगर निगम का स्कूल है उसमें मेरी बड़ी दिलचस्पी है। मैं चला जाता हूं, बच्चों से खेलता हूं बातें करता हूं बहुत प्यारे बच्चे हैं। उसका जीर्णोद्धार मैंने किया है सभी माननीय सदस्यों को वहां लेकर चलूंगा। उसमें मैंने मान्यवर, तीस प्रतिशत गरीब बच्चों का रिजर्वेशन भी किया है। उसकी फीसें भी मैंने उनकी आधी रखी हैं। उस स्कूल का नाम मान्यवर, मैंने "चिल्ड्रैन्स पैलेस" रखा है, नगर निगम के स्कूल का, और उसे अन्दर से ऐसा ही बनाया है जैसे कोई महल होता है। उसमें गरीब बच्चों की बहुत आमद हो गई है। एक जमाने में सुनते हैं कि इस नगर निगम के स्कूल की ख्याति यह थी कि आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 लाइन लगाकर इसका फार्म लिया करते थे। टण्डन जी इससे वाकिफ़ होंगे। मैं इसकी पुरानी खोई हुई ख्याति को लाना चाहता हूं। एक बहुत अच्छी प्रिंसिपल को लाया हूं। बहुत अच्छी टीचर्स वहां हैं। बहुत अच्छा माहौल वहां का हो गया है। आप देखेंगे तो आपका मन गदगद हो

जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी कान्वेंट स्कूल इतना सुन्दर, इतना अच्छा, इतना व्यवस्थित और इतनी अच्छी पढ़ाई का आने वाले एक-दो साल में नहीं होगा और इस वक्त भी वह बहुत अच्छा है। मान्यवर, पिछले साल वहां बच्चों ने रामलीला की थी मैं वहां गया था। मैं मुसलमान हूं बच्चों ने रामलीला की थी मैं उसमें गया था तो मेरा न तो धर्म ही चला गया, न मेरा धर्म इतना कमजोर है। मेरा धर्म कच्चा धागा नहीं है और जिन्हें यह डर है उनको विचार करना चाहिए। यह बड़ा गम्भीर सवाल है। हमारे अपने घरों की, हमारी अपनी तहजीबें हैं।

मान्यवर, एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा हिन्दू बच्चा आकर, हमारे यहां हालांकि हमारी आस्था में नहीं है, अगर वह चरण छूता है तो कभी-कभी हिन्दू भाई मुझे माफ करेंगे अच्छा भी लगता है और वह छोटा सा बच्चा, गुरुद्वारे में कभी आप जाइए, कभी मौका लगा होगा साथियों का, तो बहुत मासूम बच्चे, बच्चियां आकर सीधा सजदा करते हैं गुरु ग्रन्थ साहब को। हम बहुत मासूम उम्र से अपने बच्चों को अपनी धार्मिक आस्थाओं के करीब ले जाते हैं। उन्हें सिखाते हैं छोटे-छोटे बच्चे मस्जिद को जाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे मन्दिरों को जाते हैं। मान्यवर, किसी एक कार्यक्रम से किसी का धर्म परिवर्तित हो जाएगा, किसी की आस्था बदल जायेगी। मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान का कोई भी धर्म इतना कमजोर नहीं है और अगर कोई समझता है तो उसे उस पर विचार करना चाहिए। दूसरी चीज मान्यवर, जिस तरह से टेलीविजन पर देखा गया, जिस तरह से तोड़े गये दरवाजे, जिस तरह से दाखिल हुआ गया, मैं इस सिलसिले में एक बात और अर्ज करूं मान्यवर, जितनी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, चाहे वह सिखों की हों, मुसलमानों की हों, ईसाइयों की हों, जैनियों की हों, पारसियों की हों, बौद्ध धर्म वालों की हों, बहुत सी संस्थायें हैं सरकार के पास अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वह सारे देशवासियों को, सारे बच्चों को शिक्षा दे सकें। इसलिए मान्यवर, मजबूरन भी हमने इन दरवाजों को खोल रखा है कहीं ऐसा तो नहीं है मान्यवर, कुछ लोग बहुत आगे चलकर एक नया दहशत का माहौल बनाना चाहते हों इन स्कूलों के लिए। मान्यवर, कोई बच्ची वहां जबर्दस्ती लाकर दाखिल नहीं की गई। सारी बच्चियां वहां क्रिश्चियन नहीं हैं क्रिश्चियन बच्चियां तो मान्यवर, वहां जीरो प्रतिशत होंगी सारे हमारे समाज की बच्चियां हैं और बड़ी सिफारिशों के बाद वहां दाखिले होते हैं। वह किसी को बुलाने नहीं जाते हैं मैं उसका पक्षधर नहीं हूं मान्यवर, मुझे मालूम है वहां दाखिले बहुत मुश्किल से होते हैं और राजनीति करने वालों को तो वहां बहुत मुश्किल से एन्ट्री मिलती है। वह किसी को बुलाने नहीं जाते हैं। उनके यहां दाखिला लेने के लिये लोग बड़ी-बड़ी सिफारिशें लगाते हैं। मान्यवर, हमारे पास आते हैं हमारी सलाम-दुआ खत्म हो जाती है लोगों से। कहेंगे, दाखिला कराइए हमारी बच्ची का, अरे वहां हमको कोई नहीं जानता, अरे, साहब आपको कोई कैसे नहीं जानता, आप इतने बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं आपके बगैर स्कूल चला सकते हैं। अरे भई, हम नहीं जानते। अच्छा चिट्ठी दे दीजिए, अच्छा भई लो चिट्ठी, अब चिट्ठी अलग रख देते हैं यह अलग बात है लेकिन वहां दाखिला लेने के लिए, समाज का बेहतरीन व्यक्ति वहां दाखिला कराता है तो मान्यवर, वह किसी को बुलाने नहीं जाते इसलिए उनके साथ जो बर्ताव हुआ, जितनी भी उसकी निन्दा की जाए, जितना भी उसे बुरा कहा जाए और इसके लिये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस पर किसी भी किस्म का दिखा मत कीजिए, उसे किसी भी तरह से अच्छा मत कहिए। मान्यवर, मैंने उसे आपसे अर्ज किया कि रामलीला

में मैं खुद शरीक हुआ, मैंने उस फंक्शन को प्रेजाइड किया। सी0एम0एस0 में एक कार्यक्रम हुआ था, बड़ा हाल है, हमारे मुख्य मंत्री जी मुख्य अतिथि थे, मैं भी उसमें हाजिर था, विधायकों को सम्मानित किया गया था, मा0 अध्यक्ष महोदय, आप भी उसमें थे, आपने देखा है, एक प्रेयर हुई थी, कामन प्रेयर हुई थी, हिन्दू बच्चों ने, बच्चियों ने की थी, मुसलमान बच्चों को सिजदे में जाते हुए, जिसे हम सिजदे में जाना है, कहते हैं, मान्यवर, मैं खड़ा हो जाता कि यह मस्जिद नहीं है, यहां सिजदा नहीं हो सकता, या फिर हिन्दू यह कहते कि सी0एम0एस0 हाल को मस्जिद बना दिया। ये सारी चीजें सिम्बोलिक होती हैं, अब सिम्बोलिक चीजों के लिये अगर हम 6 दिसम्बर जैसा माहौल बनायेंगे तो वह निन्दनीय तो होगा ही। मान्यवर, और जो आखिरी बात कही है, प्रमोद कुमार जी ने, वह और भी अफशोसजनक बात है कि एक जिम्मेदार सदस्य ने, एक पार्टी के नेता ने यहां उन तमाम चीजों को जो निखालिस अभद्रता से, गुंडागर्दी से और असामाजिक होने से और इससे भी ज्यादा कोई सख्त शब्द कहा जाए, वह भी कहा जा सकता है, उन सबको नकार दिया कि चलिए इससे भी कोई लेना देना नहीं, यह भी बर्दाश्त किया जा सकता है, दरवाजे को तोड़ा जाना बर्दाश्त किया जा सकता है, मान्यवर, लेकिन वहां नन हैं, बच्चियां हैं, क्या पता हालात कहां तक पहुंच जाते। एक बच्चियों के स्कूल में उग्र भीड़ का इस तरह दाखिल होना और इस हद तक चले जाना, कुछ भी सन्देश दे सकता था। कहां तक बचायेंगे, मान्यवर, हर व्यक्ति को कहां तक सुरक्षा दी जायेगी, हर स्कूल को कहां तक सुरक्षा दी जायेगी, अगर हर व्यक्ति इसी तरह कानून को हाथ में लेने में उतर आयेगा, होगा क्या, जंगल का राज कायम हो जायेगा। आखिर कौन लोग हैं जो जंगल का राज कायम करना चाहते हैं ? तो मैं माननीय सदस्यों और प्रमोद कुमार जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन जो बात आपने आखिर में कही है, उस पर विचार कानून कम करेगा, समाज और सदन ज्यादा करेगा। जो काम हुआ है, गिरजे को नुकसान पहुंचाने वाला, यह सबसे गम्भीर विषय है। मैं निन्दा करता हूं, हमारी सरकार निन्दा करती है और इस पर सख्त कार्यवाही होगी, सख्त कार्यवाही।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इस देश के संविधान ने ही सबको अपनी धार्मिक आजादी का अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार दिया है, किसी को रोक नहीं है लेकिन किसी को दूसरे धर्म के ऊपर और इस तरह की चीजें क्योंकि कान्वेन्ट स्कूल जो हैं, वह प्रोग्रेसिव माने जाते हैं कि यहां आकर अच्छी एजूकेशन मिलेगी यदि वहां एक रिक्शे वाला आकर और वह ईसा की आत्मा को अपने में बुलाकर वह काम करे जो गांव में ओझा और टोटके करने वाले लोग करते हैं और उसमें कई बालिकायें बेहोश हो जायें यदि इसको उचित समझते हैं और इसको किसी धर्म का हिस्सा मानते हैं तो मैं समझता हूं कि यह गलत प्रथा होगी, इसे नहीं मानना चाहिए। वहां पर प्रार्थना होती है, प्रार्थना सभा सारे कान्वेन्ट स्कूल में होती है, किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से वहां पर जादूगरों को बुलाकर, ओझा को बुलाकर, इन अशिक्षित लोगों को बुलाकर और ईसा की आत्मा को बुला रहे हैं तो वह क्या पाखण्ड करने जा रहे हैं, उस पर हमारा और समाज का सरोकार है। स्कूल चले, उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। वहां जो लोग सर्विस कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना है लेकिन जिसने यह कार्यक्रम किया है और जिस तरह का कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम की भी हम निन्दा नहीं करते हैं। लेकिन जिस प्रकार

का कार्यक्रम हुआ है कि बच्चियां बेहोश हो जाएं। मुझे बताया गया कि एक मिट्टी लेकर जवान लड़कियों की छाती के ऊपर क्रास बना रहे थे। यह स्थिति है। इसकी वकालत कैसे की जा सकती है ? हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि बच्चों के दिमाग पर इस तरह की बातें हो। कल अखबार में था कि एक लड़की डिप्रेशन में चली गयी। अगर वह सही नहीं हुई तो उसकी जिन्दगी बरबाद हो गयी। सारे मीडिया ने जो दिखाया कि क्या है क्या नहीं। उनकी वकालत करने के लिये नहीं खड़े हैं कि किसने क्या कहा। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए लेकिन साथ ही इस तरह के पाखण्ड भी नहीं होने चाहिए। धर्म के नाम पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और जहां तक बच्चों के दिमाग पर असर की बात है वह शायंद इसको जिन्दगी में भूल न पायें। ऐसे कार्यक्रमों की जितनी निन्दा की जाये कम है। इसको एकपक्षीय नहीं देखना चाहिए। प्रमोद कुमार जी खड़े हैं तो हो सकता है कि उन्होंने ही भेजा हो। यह बड़े शर्म की बात है कि उनके सामने यह हो रहा है। अगर मेरे घर के सामने यह घटना हो रही होती तो चाहे मेरी जान चली जाती लेकिन मैं उसे रोकता और यह देखते रहे। पहले दिन की घटना की यह वकालत कर रहे हैं और दूसरे दिन की घटना की कुछ और बात कहते हैं। कहीं इसमें उनका ही तो हाथ नहीं है। यह बहुत गम्भीर विषय है। न इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए और न इस तरह के आयोजन होने चाहिए। जब हम समाज में कोई व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो हम दोनों को सहिष्णुता की बात करनी चाहिए। एकपक्षीय बात करने पर उसका रिएक्शन होता है। कहते हैं कि किसी गार्जियन ने शिकायत नहीं की। मान्यवर, गार्जियनों को धमकी दी जा रही है वहां के प्रिंसिपल और मैनेजर के द्वारा कि कोई मीडिया में बयान नहीं देगा। यह कहा जा रहा है कि जिन्हें आपत्ति है वह अपनी लड़कियों को हमारे स्कूल से हटा लें। आखिर इस तरह की धमकी में कौन अपना एक साल बरबाद करेगा। यह सबने देखा है, उनका बयान देखा है। यह धमकी क्यों दी गयी है उनके गार्जियन को अगर यह होगा तो एक्शन का रिएक्शन भी होता है। इस तरह के कार्यक्रम भी नहीं होने चाहिए और उस तरह के कार्यक्रम भी नहीं होने चाहिए। हम दोनों की निन्दा करते हैं। लेकिन एकपक्षीय बात करना उचित नहीं होगा, न्यायसंगत नहीं होगा, संविधान संगत नहीं होगा। वह घोर अनैतिक बात होगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कतई मंशा नहीं है कि कोई अनैतिक कार्य किसी शैक्षणिक संस्थान में हो और जहां तक आपने धर्मिक भावनाओं का इजहार किया या उस तरह का भाषण किया। मान्यवर, जिस तरह का हमारे मुल्क का ढांचा है उसमें आप देख रहे हैं कि रोज बलि दी जा रही है। रोज झाड़फूंक हो रही है। सब कुछ हो रहा है। एक बात गलत हुई है उसे ज्यादा लपेटने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर गार्जियन्स को धमकी दी गयी है तो यह बात गलत है इसकी भी जांच होगी। लेकिन यह भी सही है कि जो बच्चियां यह समझती हैं, जो वाल्देन यह समझते हैं कि यह स्कूल गलत है तो उनको वहां पर नहीं भेजना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि वह लोग जबरदस्ती नहीं बुलाते हैं, हम लोग जबरदस्ती करते हैं, सिफारिश कराते हैं। अगर हमें लगता है कि गलत है तो हमें नहीं भेजना चाहिए। लेकिन एक गलत हादसे को दूसरी जगह सही करार देना यह सही नहीं हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसका नाम सुन्दर लाल इण्टर कालेज था। वहां हमें सिखाया

जाता था कि 'वह शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कम होने न पाये' वह हमें याद है और ख्वाब में भी याद रहेगा। वह आरएसएस का स्कूल था और हमने पचासों लाख रुपया उस स्कूल को दिया है, क्योंकि मैंने वहां से नौवा, दसवां, और ग्यारहवां पास किया है। तो इससे मेरा कोई मजहब या धर्म नहीं चला गया। आप जब वहां पर दाखिल होंगे तो एक भव्य इमारत देखेंगे और यह सही है कि वह रामपुर का सबसे अच्छा स्कूल है। तो इससे कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता है और मैं हमेशा उस स्कूल का सम्मान करूंगा। मैं नेता प्रतिपक्ष से भी यह कहूंगा कि वह इस भाव से न देखें। आप लखनऊ की पुरानी शख्सियत हैं। आपसे लोग मुखालिफत की उम्मीद नहीं करते हैं। आपके एक बहुत वरिष्ठ सदस्य को मैंने बोलते सुना और उनको सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ क्योंकि वह मेरे रामपुर के लिये कहते हैं कि यह दूसरा पाकिस्तान है। हर रामपुर वाला पाकिस्तानी है। मुझे लगता है कि कुछ दिखाना जरूरी है। उनका भी परीक्षण होना चाहिए। इस मामले को ऐसे नहीं देखना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने बोला था उसके बाद पीटर फैन्थम जी ने 6 सितम्बर की घटना पर बोला था। गौर साहब भी 6 सितम्बर की घटना तक सीमित थे। इस घटना और 10 सितम्बर की घटना पर संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब बड़ा माकूल था। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 6 और 10 सितम्बर की नोटिस को पढ़ना गंवारा नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि दस तारीख की घटना के समय मैं घर जा रहा था तब 60, 70 लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर तोडफोड़ कर रहे थे और जिस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

आप इसे खत्म करिये।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, या तो इसे वहीं रोक दिया होता। लेकिर अगर नहीं रोका है तो मुझे स्पष्टीकरण करने का अधिकार है। तो मैं यह कह रहा था, मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल का बड़ा आदर करता हूं और यह सोचता था कि यह उसकी निन्दा करेंगे उन गुन्डों और अपराधियों की जिन्होंने यह कार्य किया। मान्यवर, मैं खासकर बहुत बल देकर कहना चाहता हूं, एक सीधा सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 6 सितम्बर की घटना विवादित थी, गलत थी या सही थी। गलत थी तो निन्दा करनी चाहिए लेकिन किसी को भी यह अधिकार कैसे मिल गया कि वह गुन्डे बनकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेकर लरेटो कान्वेन्ट स्कूल में घुस गये और तोड़फोड़ की । ऐसे लोग देशद्रोही हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद जी, अब आप बैठ जायें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, ऐसे काम नहीं चलेगा, जब आपने बोलने की इजाजत दी है.तो मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, यह वह मानसिकता है जिसने 06 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद शहीद करके इन हत्यारों ने देश को तोड़ने की कोशिश की है।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद कुमार-

06 सितम्बर की घटना के लिये कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद जी अब आप समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार-

यह वही मानसिकता है जिसने बाबरी मस्जिद शहीद की थी मान्यवर, यह वह लोग हैं जिन्हें इस सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यह देश द्रोही हैं, भारत के संविधान के द्रोही है। भारत के द्रोही हैं भारत में रहने लायक नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा। माननीय फैंथम साहब को, प्रमोद कुमार जी को और गौर साहब को, माननीय नेता विरोधी दल को और संसदीय कार्य मंत्री को सुना इसको अब मैं अग्राह्य करता हूं, लेकिन शासन से अपेक्षा करता हूं कि इन घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच करायें।

ये कई घटनायें हैं और कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक भी होनी है, इसलिए अगर थोड़ा-थोड़ा करके संक्षेप में बोलना चाहें तो जो विषय आया है उसमें उस पर सभी लोगों को बोलने का अवसर मिल सकता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उर्वरक की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है, पहले इसको ले लें।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप सब लोग यूरिया के बिन्दु पर सहमत हों तो पहले इसी को ले लेते हैं।

श्री मुन्शी लाल गौतम-

मान्यवर, मेरा भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

पहले यूरिया पर सुन लीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अत्यन्त लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न को कृपापूर्वक आपने स्वीकार किया है इसके लिये हम आपके आभारी हैं। अध्यक्ष महोदय प्रदेश में वर्तमान समय में किसानों की खरीफ की फसल में सबसे महत्वपूर्ण फसल धान की है। विगत दिनों अवर्षण की स्थिति से एक तो धान के पौध में और उसके उत्पादन में एक प्रश्नचिन्ह लग गया था, लेकिन उस धान की उत्पादकता को बढ़ाने के लिये मान्यवर, अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है तो यूरिया खाद की आवश्यकता होती है और आज पूरे प्रदेश में यूरिया खाद का संकट पैदा हो गया है। मान्यवर, कारण क्या है ? कि

अगर यूरिया का भण्डार है उसके बावजूद भी जिस तरह से बिचौलिये ब्लैक मार्केटिंग करने वाले आज प्रदेश के किसानों के समक्ष यूरिया की स्थिति यह हो गयी है कि कहीं ढाई सौ बोरा अगर यूरिया मौजूद होता है या किसी वितरण केन्द्र पर पहुंचता है तो ढाई हजार आदमी खड़े रहते हैं, मान्यवर, यह एक कानून व्यवस्था का भी प्रश्न हो गया है।

मान्यवर, स्पष्ट घटना का मैंने उल्लेख किया है कि 12 सितम्बर को इसी यूरिया खाद की कमी के कारण सिद्धार्थनगर जनपद के सोहरतगढ़ कस्बे में लोग उस खाद की आवश्यकता के लिए, खाद की प्राप्ति के लिए, खाद खरीदने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए उन्हें खाद नहीं मिली वह घण्टों लाइन में खड़े रहे और वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी जिसके कारण शैलेश एक किसान मरणासन्न स्थिति में हो गया और यह केवल सोहरतगढ़ की ही स्थिति नहीं है मैंने कई जगह अपनी आंखों से खुद देखा मान्यवर, यह स्थिति डुमरियागंज की थी, बेवा की थी, लोग इस तरह से लाइन लगा कर खड़े थे कि आज कानून व्यवस्था की परिस्थिति उत्पन्न हो गयी पूरे प्रदेश में मान्यवर, आपने स्वयं देखा कि माननीय सदस्य आजमगढ़ हों, माननीय सदस्य अम्बेडकर नगर हों, या मान्यवर, प्रतापगढ़ हों या बस्ती हो, सिद्धार्थनगर हो, सन्त कबीरनगर हो, आज मान्यवर पूरे प्रदेश में खाद का संकट पैदा हो गया है।

(इस समय 2 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए।)

मान्यवर, इससे ज्यादा गम्भीर विषय और इससे ज्यादा सुनिश्चित विषय प्रदेश के किसानों का और कोई नहीं है। यह तात्कालिक है अत्यन्त लोक महत्व का है। इसके बावजूद खाद प्रदान करने की दिशा में आज सरकार संवेदनशील नहीं है। आज खाद की जितनी आवश्यकता है या कृषि विभाग ने जो आवश्यकता का आंकलन किया है कि किस जनपद की कितनी आवश्यकता है उसके सापेक्ष यूरिया, डाई और एन0पी0के0 की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। हालत यह है कि बस्ती और सिद्धार्थनगर में डाई खाद नहीं है। मान्यवर, भोजपुरी में एक गाना चलता है कि "पियजिया अनार हो गयी और आज वहां कहा जाता है कि खदिया अनार हो गयी"। आज खाद की कीमत अनार की कीमत के बराबर हो गयी है। उसके बावजूद भी आज खाद किसानों को ब्लैक मार्केट से खरीदनी पड़ रही है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि आज खाद नेपाल जा रही है आप उसे रोकने की स्थिति में नहीं हैं। मान्यवर, सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी ने अगर कल चार घंटे खड़े होकर खाद का वितरण न कराया होता तो कई किसानों की तो मृत्यु हो जाती।

मान्यवर, आज खाद्यान्न और कृषि उत्पादन की जो आवश्यकता है उस दिशा में अभी तक सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है। इन जनपदों में आज खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। किसानों को खाद उपलब्ध नहीं है। फसलें सूख रही हैं और दूसरी तरफ खाद का अभाव है। यह केवल किसान की क्षति नहीं है मान्यवर, यह नेशनल लॉस है और यह प्रदेश की क्षति है। आपने जितना लक्ष्य रखा है धान में 100 मीट्रिक टन के आस-पास का वह कैसे पूरा होगा। आज मान्यवर, जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है उसमें सरकार को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई होगी। वह पूरा नहीं हो पायेगा। इसमें सरकार क्या उपाय कर रही है इसमें सरकार की ओर से सदन में वक्तव्य आना चाहिए। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में आज किसानों के सामने खाद के

अभाव को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। खाद के संकट की स्थिति व्याप्त है और इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है कि खाद की क्या व्यवस्था की है ? मान्यवर, जो खाद की कालाबाजारी हो रही है उसमें यह सूचना नहीं आ रही है कि कितनी जगह छापे मारे गये हैं और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग खाद की होर्डिंग करते हुए पकड़े गये हैं। मान्यवर, आज लोगों ने जो खाद का स्टाक किया हुआ है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मान्यवर, बस्ती में कलवारी में वनकटी में लोगों ने सड़क जाम किया है 4-4 घंटे जाम किया। इसी तरह से शोहरतगढ़ में विषम स्थिति उत्पन्न हुई है। संत कबीरनगर में स्थिति उतपन्न हुई है। आज तमाम जगहों पर जगह-जगह किसानों ने रास्ता जाम किया हुआ है। मान्यवर, आज किसान खाद को लेकर जिलाधिकारी के यहां और कृषि केन्द्रों पर चक्कर लगा रहा है। बाजारों में जा रहा है लेकिन कहीं से उसको राहत नहीं मिल रही है खाद नहीं मिल पा रही है। अगर वह चाहे तो खाद ब्लैक मार्केटिंग में मिल जायेगी। मान्यवर, आज खुलेआम यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। उसकी तस्करी हो रही है। बस्ती, सिद्धार्थनगर से खाद नेपाल जा रही है। आज आप मंत्री जी खड़े होकर कह देंगे कि सिद्धार्थनगर में हमने तीन रेक खाद भेज दी है। लेकिन फिर भी खाद नहीं मिल रही है। मान्यवर, आप सदन की एक समिति गठित कर दें और उसे जांच के लिये भेज दें। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों के सामने कोई संकट है तो सबसे बड़ा संकट उन्हें खाद नहीं मिलने का है। मान्यवर, सरकार कुछ भी कहे लेकिन स्थिति वास्तविकता से विपरीत है। मान्यवर, इसके चलते कभी भी कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है अगर कृषि मंत्री जी ने तत्काल कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। मान्यवर, इन्हें स्वीकार करना चाहिए कि आज खाद की कमी है। आप कह देंगे कि गुजरात में पानी आ- गया इसलिये फैक्ट्रियों से खाद की आपूर्ति कम हुई है लेकिन मान्यवर, इसके लिये तो राज्य सरकार जिम्मेदार है कृषि विभाग के अधिकारियों को इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, उसके उपाय करने चाहिए। मान्यवर, आज किसानों को खाद की आवश्यकता बढ़ गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप संक्षिप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, किसानों की दो ही फसल है धान खरीफ में और रबी में गेहूं की। मान्यवर, प्रदेश के तमाम किसान और पूर्वी क्षेत्र के किसान खाद की कमी से प्रभावित रहते हैं। खरीफ की फसल धान है चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो। यह स्वयं सरकार ने कहा है कि सामान्य वर्षा से बहुत कम वर्षा हुई है। इसके कारण फसलों की क्षति हुई है। मैं उसकी टैक्नलटी में नहीं जाना चाहता हूं। 50 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है। इसके ज्यादा चिन्ता का विषय आज के लिये राज्य सरकार के पास दूसरा और कोई नहीं हो सकता है। आज मान्यवर, उस टेक्नलटी के आधार पर कह लें कि 50 प्रतिशत फसल नुकसान नहीं हुई इस नाते हम सूखाग्रस्त घोषित नहीं करेंगे लेकिन हकीकत यह है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल नुकसान हो चुकी है। अब चाहे बारिश भी हो जाय क्योंकि मान्यवर, ट्रांसफारमर तमाम जगह जल गये, आज मान्यवर, वह बदले नहीं जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हम बिजली दे रहे हैं अगर बिजली दे भी रहे हैं और ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं

सरकारी कहीं ट्रांसफारमर खराब है, मोटर खराब है। लोग यही वजह है कि लोग पम्पिंग सेट से धान की सिंचाई कर रहे हैं, पम्पिंग सेट से कितनी सिंचाई हो सकती है धान के लिये कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है।

श्री अधिष्ठाता-

पाल साहब, आपका विषय यूरिया खाद से सम्बन्धित है, खाद तक सीमित रहिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यूरिया खाद के कारण धान की फसल प्रभावित हो रही है।

(कुछ सदस्यों द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगने पर व्यवधान)

मान्यवर, इससे गम्भीर विषय और कोई नहीं है। माननीय लालजी वर्मा जी को या और माननीय सदस्य को, इसमें अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आप सबके विषय भी सम्बद्ध कर दिये गये हैं।

मान्यवर, इस विषय को आप ग्राह्य करें और आज सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें। और मैं समझता हूं कि पूरा सदन इससे सहमत है। सत्ता पक्ष के लोग कार्य-स्थगन नहीं ला सके लेकिन चर्चा में सभी लोग भाग लेंगे। आप इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

*श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, खाद की चर्चा अभी रसायनिक उर्वरक की हुई विशेष रूप से यूरिया खाद की उपलब्धता की जरूरत होती है एक तरफ तो किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है और दूसरी तरफ सिंचाई करके किसी तरह अपनी फसल का उत्पादन लेना चाहता है। यूरिया खाद की अनुपलब्धता के कारण वह पूरी तरह से उसकी फसल नष्ट हो रही है। वह उसका उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहा है। अम्बेडकर नगर में जो स्थिति मैंने देखी। मैंने अपने क्षेत्र में भ्रमण करने का काम किया है। हमारे यहां जितनी भी साधन सहकारी समितियां हैं जो बन्द पड़ी साधन सहकारी समितियां हैं, उनसे सम्बन्धित जो कृषि निवेश केन्द्र हैं पूरे अम्बेडकर नगर में एक भी फ्रेन्चाइजी जो समितियां हैं उस पर खाद की उपलब्धता नहीं कराई गई है। मैंने वहां पर देखा है कि बड़े पैमाने पर रसायनिक उर्वरक का ब्लैकमेल हो रहा है 320 रुपये से लेकर 350 रुपये तक में यूरिया खाद की बिक्री हो रही हैं इतना ही नहीं अम्बेडकर नगर में जो जिला कृषि अधिकारी है जो रसायनिक उर्वरक आती है, यूरिया खाद आती है उन्हीं किसानों को आवंटित कर रहे हैं जिनसे उनको पैसा प्राप्त होता है। इसके अलावा सामान्य लोगों को, सामान्य दुकानदारों को नहीं प्राप्त हो पा रहा है और विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में साधन सहकारी समितियां बन्द पड़ी हैं और उसके प्रतिपूर्ति के लिये शासन ने उन साधन सहकारी समितियों की फ्रेन्चाइजी के आधार पर कृषि निवेश केन्द्र खोलने का काम किया है। पूरे अम्बेडकर नगर में साधन सहकारी समिति के एक भी फ्रेन्चाइजी पर खाद उपलब्ध कराने का काम नहीं किया गया है। इसके अलावा भी जो साधन सहकारी समितियां है ज्यादा से ज्यादा किसी भी दुकानदार को एक तरह से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रसायनिक उर्वरक प्राप्त हुआ है। बड़े पैमाने पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। किसानों के सामने दो समस्या भयंकर है एक तो सूखे की मार सह रहा है। डीजल में ज्यादा पैसा लगाकर उत्पादन कर रहा है उसमें भी खाद की कमी के कारण किसी तरह से सिंचाई करके चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे धान की फसल हो किसी तरह से सिंचाई करके जीवित रखे हुए है उसमें भी खाद न मिल पाने के कारण निश्चित रूप से उसको क्षति हो रही है।

श्री अधिष्ठाता-

वर्मा जी, अब समाप्त करें।

श्री लालजी वर्मा-

इतना ही नहीं, अगर सामान्य वर्षा हुई होती तो बड़े पैमाने पर खाद की उपयोगिता होती। चूंकि सामान्य वर्षा नहीं हुई इसलिये खाद की उपयोगिता की जरूरत कम पड़ी।

श्री अधिष्ठाता-

अब वर्मा जी जो बोल रहे हैं, अब लिखा नहीं जायेगा।

(डा0 सुशील चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, इसी पर मेरी भी इसमें सूचना है।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठ जाइये, आपकी सूचना नहीं है। आपकी सूचना निरस्त की जा चुकी है। केवल लालजी वर्मा की विशेष तौर पर बुलवाने को कहा गया था। अब आप आसन ग्रहण कर लें। आपको नहीं सुना जायेगा।

(श्री ओम प्रकाश सिंह के पुनः अनुरोध करने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है और माननीय अध्यक्ष जी ने यह बात रखी भी थी कि जब एक ही विषय से सम्बन्धित तमाम सूचनायें हैं तो उनको एक में ही सम्बद्ध करके उनको सुन लिया जायेगा। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, चूंकि प्रदेश व्यापी किसानों से सम्बन्धित समस्या है, इसलिये एक-एक मिनट में, जिनकी भी सूचनायें हैं, उनको सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मौर्य जी, माननीय लालजी वर्मा और श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) जी की सूचना निरस्त है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने कह दिया था इसलिये माननीय वर्मा जी को सुन लिया गया। जहां तक आपका यह आग्रह है कि एक-एक मिनट सुन लिया जाय तो आप स्वयं साक्षी होंगे कि विषय को बार-बार रिपीट करके नई बात न कह कर सदन का समय लग रहा है। ठीक है मैं पहले सुशील जी को सुन लूं। उसके बाद एक मिनट आपको सुन लूंगा।

*डा0 सुशील चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यूरिया खाद जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पाल साहब ने और वर्मा जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात रखी, सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल भी इस गम्भीर समस्या से पीड़ित है और यूरिया उपलब्ध न होने के कारण, किसान परेशान है तो मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और किसानों को खाद की उपलब्धता, बीज की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता करायें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) जी जैसे चौधरी जी ने एक मिनट में आपनी बात कही, उसी तरह एक मिनट में खत्म कर दीजिये।

* श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, मैं शुरू करूं, आप तो पहले ही निरस्त किये दे रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनपद सुल्तानपुर में जहां एक तरफ बरसात न होने के कारण धान की फसलें पूरी तरह बरबाद हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ सिंचाई का भी कोई साधन नहीं है। मैंने अपनी सूचना में भी दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) जी केवल खाद पर बोलिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मेरी सूचना को देख लें।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सूचना की बात नहीं है। केवल माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आग्रह को स्वीकार करते हुए आपको समय दिया गया है, इसलिये केवल खाद पर बोलिये। सूचना आपकी पहले ही निरस्त है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

[X X X]

श्री अधिष्ठाता-

आप अपना विषय रखना चाहते हैं तो रखें। आपकी जितनी अनुमति दी गई है, उस विषय को रखें, शेष जो इन्होंने बोला है, वह लिखा नहीं जायेगा। इसमें किसी प्रस्तावना की जरूरत नहीं है, सीधे विषय पर बोलें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट-[XXX] यह अंश श्री अधिष्ठात के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, यहीं जब आप पीठ के बाद सदन में सदस्य के रूप में बैठते हैं तो आप भी प्रस्तावना बोलते हैं। आप मेरी सूचना को देख लें।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपना विषय रखेंगे या मैं समाप्त करूं आपका विषय ?

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

आप बालेने देंगे, तभी तो रखूंगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक तरफ जहां बरसात न होने के कारण सुल्तानपुर में धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है, वहीं सिंचाई की कोई व्यवस्था न होने की वजह से राजबहों, माइनरों में पानी न आने के कारण धान की फसल को बहुत नुकसान हो रहा है। और तीसरी तरफ जो धान की उत्पादकता को बढ़ाने के लिये यूरिया की आवश्यकता जो रासायनिक उर्वरक की जरूरत है, आज उसकी बड़े पैमाने पर कमी है। मैं जनपद सुल्तानपुर से आता हूं, इण्डोगल्फ फर्टिलाइजर लिमिटेड उसी जनपद में है, उसके बाद भी हमारा जनपद उर्वरक खाद की कमी से इस समय सबसे ज्यादा परेशान है। किसी सहकारी समिति में कोई भी उर्वरक खाद नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ब्लैक मार्केटिंग की है, साढ़े तीन सौ रुपये, चार सौ रुपये प्रति बोरी तक यूरिया खाद ब्लैक में बिक रही है और बड़े पैमाने पर धान की फसल का नुकसान हो रहा है। किसान परेशान है, आज इस समय यदि यूरिया खाद किसानों को नहीं उपलब्ध कराई जायेगी तो जो धान की फसल 50 प्रतिशत खत्म हो चुकी है वह पूरी की पूरी समाप्त हो जायेगी और किसान परेशान हो जायेगा। यह लोकमहत्व का विषय है, यह किसानों से जुड़ा मामला है, किसानों से जुड़ा मामला होने के कारण अगर यूरिया खाद इस समय सहकारी समितियों में नहीं उपलब्ध कराई गई तो पूरी तरह से किसानों की फसल चौपट हो जायेगी। मैं तो जनपद सुल्तानपुर से आता हूं जहां पर इण्डोगल्फ फर्टिलाइजर लिमिटेड है, वहां से खाद की ट्रकें नेपाल की ओर जा रही हैं और हमारा जनपद पूरी तरह से खाद की कमी की वजह से तरस रहा है। मैं सदन की समस्त कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

कृषि मंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)-

अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में खरीद की फसल में यूरिया का लक्ष्य था 24.50 लाख मीट्रिक टन, यह लक्ष्य था खरीफ की पूरी फसल का और उसके विपरीत 24.30 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराई जा चुकी है यानि कि लक्ष्य की 99 प्रतिशत यूरिया प्रदेश में उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिन जनपदों का जिक्र किया गया है, अभी माननीय सदस्य जनपद सुल्तानपुर की बात कर रहे थे, सुल्तानपुर का लक्ष्य 39,812 मीट्रिक टन था, उसके विरुद्ध 40,437 मीट्रिक टन यूरिया यानि कि लक्ष्य का 102 प्रतिशत, जो बस्ती की बात की गई है वहां पर 59,208 मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध 59,512 मीट्रिक टन यूरिया यानि कि कुल लक्ष्य का 101 प्रतिशत, सिद्धार्थनगर में 36,750 मीट्रिक टन के विपरीत 37,308 मीट्रिक टन यूरिया यानि कि 102 प्रतिशत, महाराजगंज में 28,587 मीट्रिक टन के विरुद्ध 33,331 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराई गई है। यह बात सही है कि कहीं-कहीं पर जहां समितियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, वहां कठिनाई हो रही है। हजीरा प्लान्ट

जहां से सारे यूरिया के संयंत्र चलते हैं, पानी भर जाने के कारण उत्पादन कम हुआ है। हजीरा प्लान्ट से गैस की सप्लाई बन्द हो गई थी और 06 यूरिया के बड़े प्लान्ट हजीरा पर ही आधारित थे, इस कारण उत्पादन में कठिनाई हो गई। लेकिन उसके बाद भी व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके लक्ष्य को पूरा करने का हमने काम किया है। दूसरे राज्यों से डाइवर्जन कराकर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके यूरिया को उपलब्ध कराने का काम सरकार ने किया है। जहां पर माननीय सदस्यों ने कठिनाइयां बताई हैं, उसे हम दिखवा लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों ने कहा था कि नेपाल को खाद जा रही है, आवंटन नेपाल चला गया, इस संबंध में कुछ कहेंगे।

डॉ0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, हमने नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर तक सभी लाइसेंस धारकों के लाइसेंस रद्द कर दिये। ऐसा पहले होता था कि हमारे बार्डर के जो डीलर्स हैं, उनके माध्यम से यूरिया नेपाल चली जाती थी, लेकिन लाइसेंस रद्द होने के कारण ऐसा नहीं है और इसमें दुकाने न होने से किसानों को कुछ कठिनाई भी हो रही है। फिर भी कहीं कोई जानकारी आयेगी तो अवश्य उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अम्बेडकर नगर का मैंने केवल जिक्र किया माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया। मेरा यह कहना है कि उर्वरक की उपलब्धता के बाद ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो कही न कहीं इस तरह की स्थिति है। मैंने स्पष्ट आरोप लगाया कि हमारे यहां जिला कृषि अधिकारी हैं वह उन्हीं दुकानदारों या गोदामों को खाद दिया जहां से पैसा प्राप्त किया। तो मान्यवर, मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं । अगर आप यह कहते कि उपलब्ध नहीं है तो हम मान लेते। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अम्बेडकर नगर में क्या लक्ष्य था, और कितना आपने उपलब्ध कराया और अगर लक्ष्य के अनुसार उपलब्ध कराया तो ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है ? इसकी क्या जांच कराने की कृपा करेंगें ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय सदस्य की जो शिकायत है उसको मैं दिखवा लूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा, जिन जनपदों का हम लोगों ने उल्लेख किया उन जनपदों में जितनी यूरिया की आवश्यकता थी, जितना यूरिया के लक्ष्य का निर्धारण किया गया था उसके सापेक्ष कहीं अधिक यूरिया दिया, कहीं 101 प्रतिशत, कहीं 102 प्रतिशत दिया। अधिष्ठाता महोदय, इसके बावजूद इन जनपदों में यूरिया का गम्भीर संकट है, इसको ले करके कानून-व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी सूचना में स्पष्ट है कि इस यूरिया की कमी को ले करके हजारों किसान इकट्ठा हुए, शोहरतगढ़ में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ दर्जनों किसान घायल हुए, एक किसान शैलेश अभी भी

जिन्दगी मौत से जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर में जूझ रहा है। आप नेपाल जाने वाली खाद को रोक नहीं पा रहे हैं और 10 कि0मी0 की परिधि में सारी दुकानों के लाइसेन्स निरस्त कर दिये। उन दुकानों से किसान खाद पा सकता था लेकिन अब तो उस पर 10 किलोमीटर के नेपाल लाइन में किसानों को खाद भी नहीं मिल पायेगी। बहराइच से लेकर गोण्डा, बलरामपुर, बढ़नी, महराजगंज कहीं भी खाद नहीं है। इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं कि आज कलेक्टर 6-6 घण्टे खड़े हो रहे हैं तब जाकर कहीं 250, 300, 400, 600 बोरी आ रही है और हजारों लोग खड़े हैं। डी0एम0, एस0डी0एम0, तहसीलदार इसी काम को कर रहे हैं, किसान परेशान हैं। अगर लक्ष्य के सापेक्ष इतनी आवश्यकता थी और इसके बावजूद भी आपने स्वीकार भी नहीं किया कि सिद्धार्थनगर, बस्ती में जो खाद की कमी है फिर ये खाद गया कहां ? अगर लक्ष्य की पूर्ति कर दी तो फिर वह खाद गया कहां ? या तो ब्लैक हुआ या नेपाल गया। आपने यह नहीं देखा। उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की और जो आज आवश्यकता है इन्होंने अपना लक्ष्य पूरा कर दिया लेकिन किसान की आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो उसके सम्बन्ध में खाद दिलाने की क्या व्यवस्था सरकार करेगी ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय सदस्य ने विशेषकर सिद्धार्थनगर के कुछ ब्लाकों का जिक्र किया शोहरतगढ़ में, मान्यवर, शोहरतगढ़ में 2074 मीट्रिक टन का लक्ष्य था उसके विरुद्ध 2908 मीट्रिक टन उपलब्ध कराया गया और 2900.80 मीट्रिक टन का वितरण कर दिया गया। बढ़नी में 1903 मीट्रिक टन का लक्ष्य था, उसके विरुद्ध 2304.55 मीट्रिक टन उपलब्ध कराया गया और 2302.55 मीट्रिक टन का वितरण कर दिया गया। जुगिया में 1030 मीट्रिक टन के विरुद्ध 2550.80 मीट्रिक टन उपलब्ध कराया गया और 2500 मीट्रिक टन का वितरण कर दिया गया। मान्यवर, यह मैंने तत्काल जिलाधिकारी से जो सूचना मंगायी है,यह उपलब्धता जिलाधिकारी ने बतायी है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह सरकार किसानों के लिये खाद की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, किसान परेशान हैं, कालाबाजारी रोक पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए इसके विरोध में मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री जगदम्बिका पाल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, लक्ष्य के अनुसार आपने यूरिया उपलब्ध करा दिया लेकिन उसके बावजूद भी कालाबाजारी जारी है कालाबाजारी रोकने में सरकार अक्षम है, किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है, खाद की व्यवस्था नहीं कर पा रही है इसलिये सरकार के किसान विरोधी नीति के कारण मैं अपने दल बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के मा0 सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस सूचना पर श्री जगदम्बिका पाल, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) जी, लालजी वर्मा जी तथा माननीय मंत्री जी को सुना। मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

अगली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय व श्री चन्द्र देव राम यादव की है, वे नहीं हैं, श्री विवेक बंसल, वह भी नहीं हैं। अब दसवीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की ले रहा हूं।

*श्री मुंशीलाल गौतम-

मान्यवर, नियम-56 की ग्राह्यता पर आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं यह मेरे पैत्रिक गांव का मामला है। मान्यवर, श्री राम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री सालिकराम निवासी ग्राम रसूलगढ़, थाना पाहासू, जनपद बुलन्दशहर करीब 22-23 वर्ष से अशोक आटो स्टोर, पेट्रोल पम्प दौराला जनपद मेरठ में नौकरी करते थे। यह घटना दिनांक 5-9-2006 की है। वह गायब हो जाते हैं, रात 8 बजे अपना हिसाब किताब पेट्रोल पम्प का पूरा लेखा जोखा मालिक को देकर गायब हो जाते हैं। मालिक, पेट्रोल पम्प वाला कोई सूचना उनके घर पर नहीं भेजता है। 6-9-2006 को करीब 11 बजे फोन करते हैं कि राम प्रकाश आये या नहीं आये। उनके घर से उनकी पत्नी ने कहा कि यहां नहीं आये हैं। उनके जो फूफा थे श्री डोरी लाल शर्मा उनको फोन करती हैं।

श्री अधिष्ठाता-

विषय पर बोलिये।

श्री मुंशी लाल गौतम-

डोरी लाल शर्मा पेट्रोल पम्प के मालिक के पास जाते हैं फिर उनको लेकर दौराला थाना जनपद मेरठ को जाते हैं। वहां पर जाकर वह कहते हैं कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दो। जो वह गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिये कहते हैं तो थानाध्यक्ष यह कहते हैं कि एक लाश मेरठ के मेडिकल कालेज में पड़ी है आप उसे दिखवा लें कि कहीं यह लाश राम प्रकाश की तो नहीं है। वह वहां से फोन करते हैं तो उनका रिश्तेदार कहता है कि यह लाश तो मामा की है, राम प्रकाश की है। वहां पर सब आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। उस लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे पास है। पोस्टमार्टम करवाकर उनका परिवार लाश को लेकर मेरे पैत्रिक गांव रसूलगढ़ जाता है जहां पर उनका दाहसंस्कार हजारों लोगों की मौजूदगी में होता है। इसके बाद एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने के लिये दौराला थाना के ए0एस0पी0, सी0ओ0 एस0एस0पी0 सबके यहां चक्कर वह लोग लगाते हैं लेकिन आज तक कोई (एफ0आई0आर0) प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है जबकि उन्होंने पूरा का पूरा हवाला लिखा है। इतना ही नहीं जब वह लोग उनके कपड़े देखने जाते हैं तो जो उनकी अटैची, सूटकेस था वह टूटा हुआ मिलता है और उसमें से 41 सौ रुपये निकाल लेते हैं और जो रजाई कपड़े वगैरह फाड़ देते हैं। लेकिन उनमें भी कुछ नहीं मिलता है। और यह कहते हैं कि उनके 41 सौ रुपये बचे थे इनको तुम लिये जाओ। उसकी एक बेटी है जो बी0ए0 की छात्रा है और शादी योग्य है और उनके दो-तीन बच्चे हैं। विधवा का पालन पोषण कैसे होगा ? उसके पालन पोषण के लिये 5 लाख रुपये की मैं मांग करता हूं। इस मामले में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके मुकदमा पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और इस केस का पर्दाफाश किया जाय। मृतक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पेट्रोल पम्प पर काम करता था और सभी चीजें जानता था इसलिये हो सकता है कि पेट्रोम पम्प से सम्बन्धित लोग उसकी हत्या करवा सकते हैं ऐसी सम्भावना हो सकती है। यह मामला तात्कालिक है इसलिये सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राणा)-

इसकी जांच करायी जायेगी। जांच कराकर इसमें संतोषजनक कार्यवाही होगी।

*श्री शिव तपस्या पासवान-

माननीय अधिष्ठाता जी, जनपद चंदौली विधान सभा क्षेत्र चकिया के विकास खण्ड नौगढ़ के जिला उद्योग अधिकारी द्वारा 106 दलित महिलाओं को अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण 52 दिन करवाया गया और सरकार ने इस प्रशिक्षण के लिये 9 लाख 10 हजार रुपया दिया था। महिलाओं को प्रशिक्षण अवधि का 3016 रुपया बनता था लेकिन जिला उद्योग अधिकारी द्वारा मकर संक्रांति के दिन किसी महिला को 5 सौ और किसी महिला को 7 सौ रुपये दिये गये और सारे धन का अधिकारियों द्वारा गबन कर दिया गया। मान्यवर, वह विकास खण्ड पूर्व से ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। दलित महिलाओं ने अपनी रोजी-रोटी छोड़कर इस प्रशिक्षण में भाग लिया लेकिन आज वह दलित महिलायें भुखमरी के कगार पर हैं। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि संयुक्त रूप से इसकी जांच कराई जाय और ऐसी दलित महिलाओं के साथ न्याय किया जाय। मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री जगदीश सिंह राणा-

इसकी जांच कराई जायेगी, उचित कार्यवाही होगी।

श्री अधिष्ठाता-

पांचवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर, श्रीमती विद्या देवी, श्री हीरालाल गौतम व श्री राम इकबाल सिंह की है। पहले इस सूचना को ले लें।

*श्री सुखदेव राजभर-

अधिष्ठाता जी, जनपद आजमगढ़ में सुभाग रोगटा की हत्या के सम्बन्ध में नियम 56 की सूचना मैंने लगाई है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और हृदय विदारक घटना दूसरी नहीं हो सकती। इस घटना के परिणाम स्वरूप अखबारों में या जिन माध्यमों से जिसने सुना सबकी आंखों में आंसू आ गये। उस बच्चे के लिए गांव-गांव में पूरे आजमगढ़, बलिया और मऊ में कहीं न कहीं कोई न कोई कार्यक्रम हो रहे हैं एक देवता का स्वरूप मानकर उसको पूजा जा रहा है। 31 जुलाई को ज्योति निकेतन विद्यालय में जो आजमगढ़ का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है वहां कक्षा 6 के छात्र को उसके घर का नौकर बुलाता है और बताता है कि तुम्हारी माता जी की तबियत खराब है बेटा चलो वह लड़का नौकर के विश्वास में चल देता है। नौकर उस लड़के को घर में न ले जाकर दूसरे गांव जमालपुर में एक आदमी के यहां ले जाता है और उसके बाद 11 बजे 20 लाख रुपये लड़के के घर वालों से फिरौती के रूप में मांगता है। बाद में रात 8.00 बजे फिर से फोन जाता है कि 2 लाख रुपये भेज दो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो लड़के को घर भेज दिया जायेगा। 31 तारीख को नौकर फिर नौकरी पर आता है वह जहां बच्चे को रखा हुआ है व उसके घर में बराबर चक्कर लगाता है। बच्चे के द्वारा ही उसके घर वालों से कहलवाया जाता है कि दो लाख रुपये दे दो मैं भीख मांग लूंगा लेकिन पहले मेरी जान बचा लो। उसके बाद पहली तारीख को बच्चे को मारकर लाश बन्धे पर फेंक दी जाती है। रोगटा परिवार आजमगढ़ का एक सम्पन्न परिवार है और उसकी आजमगढ़ में बहुत इज्जत है। हर सामाजिक कार्यक्रम में इस परिवार की भागीदारी रहती है। उस परिवार में केवल एक ही बच्चा हुआ था उस 10 साल के लड़के की हत्या हो जाती है। इस घटना के बाद से आजमगढ़ से जितने पेपर निकलते हैं सब उसके चित्रों से भरे रहते हैं हर अखबार में एक खबर फैली हुई है कि इसमें एक सफेदपोश नेता का हाथ है। क्योंकि इस घटना के एक दिन पहले उसने 17 लाख रुपये की अपनी प्रापर्टी बेची जिसमें कुछ पुराने मकान थे उनको बेच दिया। पूरे जनपद में चर्चा है कि इसमें कुछ बड़े नेताओं का सफेद पोशों का हाथ है। जहां लड़का रखा गया वहां के किसी न किसी सफेदपोश का हाथ है। लड़का चला गया वह वापस नहीं आयेगा लेकिन जिस तरह से चर्चाएं हो रही है हमें कहीं न कहीं भावनात्मक बनना पड़ेगा। बच्चों को हथियार बनाया जा रहा है जिनको देवता का स्वरूप माना जाता है ऐसे बच्चों की हत्या से हम जैसे लोगों का दिल दहल जाता है। कहीं पर लूट हो रही है, कहीं चोरी हो रही है कुछ बड़े लोगों के हाथ आ रहे हैं। उसी के घर के सामने 500 मीटर की दूरी पर 3 साल पहले दो भाईयों का अपहरण करके ले जाकर बिहार में हत्या कर दी गई थी। 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गयी थी। मान्यवर, आज वहां पर रूंगटा परिवार सदमे में है। मान्यवर, हम सरकार के सामने यह मांग रख रहे हैं सरकार माने या न माने। उन लोगों ने तो कहा था कि छोड़ दीजिए। हमारा बच्चा तो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन मान्यवर, हम मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से जनता में, पुलिस में मीडिया में चर्चा है कि इस हत्या के पीछे वहां के किसी सफेदपोश का हाथ है। मान्यवर, जब इस तरह की बात उभरकर सामने आई है तो माननीय मंत्री जी बैठे हैं, बड़े संवेदनशील हैं इस मांग को स्वीकार कर लेंगे और सी0 बी0 आई0 से इसकी जांच करा लेंगे। जिस मां की गोद सूनी हो गई है। इकलौता बच्चा था वह कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं सिर्फ इसकी जांच करवाना चाहते हैं ताकि और लोगों के साथ इस तरह की घटना न घटे। आज हम इस तरह की जांच कराकर उस बच्चे के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं आज जब जनता में, पुलिस प्रशासन के लोग भी यही कह रहे हैं कि इसमें किसी नेता का हाथ है, जब इस तरह की हवा घूम गई है, इतनी बड़ी बात हो गई है तो इसकी सी0 बी0 आई0 जांच होनी चाहिए। अगर जरा सी भी नैतिकता है तो वह 10 वर्ष का बच्चा जो कल बड़ा होकर भारत मां का सपूत बनता उसकी आत्मा की शांति के लिए जरूर सी0 बी0 आई0 से जांच कराई जाय।

(श्री राम इकबाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इस पर उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

-इनकी भी इसी पर सूचना है। इनकी बात भी आ जाने दीजिए।

*श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं एक अति गम्भीर विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसने पूरे आजमगढ़ कमिश्नरी को हिलाकर रख दिया है। यह आम बात हो गई है इस सरकार में। हर मां अपने बच्चे का इंतजार करती है कि पता नहीं मेरा बेटा स्कूल से वापस आयेगा कि नहीं। हर पिता अपने पुत्र का इंतजार करता है कि पता नहीं मेरा बेटा स्कूल से वापस आयेगा कि नहीं। हमारे कुछ विधायक भी बैठे हैं जिनके बच्चों का भी अपहरण इस सरकार में हुआ है। एक नई परम्परा बन गई है इस सरकार में बच्चों का अपहरण करके पैसा ऐंठने की (सत्ता पक्ष से किसी माननीय सदस्य द्वारा यह कहने पर कि आपकी सरकार में कितना हुआ था) सुन नहीं पा रहे हैं। धैर्य रखिये और सुनिये। क्या आप शामिल हैं उसमें जो बोल रहे हैं आपको कुछ मिला हुआ है इसमें। आप इतने भी मानवीय नहीं हैं। जो हुआ है, वह बता रहे हैं। सुनिये तो। सुनना नहीं चाहते हैं तो क्यों सदन बुलाते हैं ?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य बैठ जायं। उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री राम इकबाल सिंह-

जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो हम बतायेंगे। आप सुनियें सुनना नहीं चाहते हैं तो सदन क्यों बुलाते हैं ? यह कोई तरीका हैं एक दिन सदन बुलाते हैं। फिर 10 दिन बाद बैठते हैं। इस तरह की घटनायें होंगी तो उनको कहेंगे ही। मानवीय सम्वेदनाओं को नहीं सुनेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य बैठ जायं। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें। बीच में व्यवधान न उत्पन्न करें। जो कहना हो बाद में कहें।

श्री राम इकबाल सिंह-

एक तो हत्या हुई है, अपहरण हुआ है। पूरे आजमगढ़ के लोग इस घटना से हतप्रभ हैं। 8-10 वर्ष का बच्चा पढ़ने के लिये स्कूल गया और वहां से वापस नहीं आया। घर का नौकर उसको लेकर कहीं चला गया उसकी साइकिल पड़ी हुई है। 48 घंटे तक पुलिस नपुंसक बनी रही। एस0एस0पी0 डी0 एम0 सब मूक बनी रही। 48 घंटे में एस0टी0 एफ0 पहुंचती है। जब एस0टी0 एफ0 पहुंची है उसके 24 घंटे बाद लाश बरामद की है। लाश शारदा सिनेमा के पीछे बंधे में पड़ी थी। हत्या हो गई है मान्यवर, गिरफ्तारी के पहले एक दिन पहले की लाश बरामद की है। बरामदगी एक दिन बाद की दिखाई जा रही है। मान्यवर, यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जाहिर हुआ है। मान्यवर, आजमगढ़ में इतनी बड़ी श्रद्धांजलि हुई। हिन्दू, मुसलमान, पुरुष, महिला एक लाख से ऊपर लोग श्रद्धांजलि में शामिल हुए। पूरा पूर्वांचल इससे दहला है। वहां कमिश्नर रहते हैं, वहीं डी0आई0जी0 रहते हैं उनके नाक के नीचे दस बरस का बच्चा अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। उस हत्या में सरकारी पक्ष का बड़ा आदमी इन्वाल्व है इसलिए सी0बी0आई0 की जांच चाहिए। और राज्य सरकार जिसकी सच्चाई नहीं खोल सकती है उसकी सम्पत्ति को हड़पना है। फिरौती तो एक बहाना है घर का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अकेला लड़का था उसकी सम्पत्ति हड़पनी है। मकान खाली कराना है उस जमीन को कब्जा करना है इसलिये मान्यवर, हम मांग करते हैं इस सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराएं। इस घटना की राज्य से बाहर की एजेंसी से या वर्तमान हाई कोर्ट के जज से या सी0 बी0 आई0 से जांच कराने का कष्ट करें।

*सहकारिता राज्य मंत्री (श्री शारदानन्द अंचल)-

प्रकरण बहुत ही संवेदनशील है। इसमें एफ0आई0आर0 दर्ज कर लिया गया है। इसमें प्रमोद यादव, विशाल यादव संदीप सिंह नामजद अभियुक्त गिरफ्तार कर लिये गये हैं अजीत शर्मा नाम का अभियुक्त अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी उसके लिये पूरा प्रयास किया जा रहा है। चूंकि नामजद एफ0आई0आर0 है इसलिये इसमें किसी सी0बी0आई0 या दूसरी जांच की आवश्यकता नहीं है। सरकार खुद सक्रिय है प्रयत्नशील है अभियुक्तों को किसी स्तर पर बख्शा नहीं जायेगा।

श्री सुखदेव राजभर-

नामजद हो गये हैं जिनके नाम बताये हैं उनका रोल कितना है वह तो अब तफ्तीश में चले गये हैं हम उसके पीछे नहीं जाना चाहते हैं । इसके पीछे कौन है जिस बात का भाई राम इकबाल सिंह जी ने उल्लेख किया है वह तथ्य भी है मैं यह कह रहा हूं आप केवल एक नामजद एफ0आई0आर0 कर लिया, तफ्तीश हो गई। लेकिन जब पूरे जनपद में, पूरे मण्डल में चर्चा है जिसका उल्लेख किया गया हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब एक बच्चे को इस दुनिया से उठाने के लिये, प्रापर्टी को हड़पने के लिये, इतना बड़ा षड़यंत्र किसी राजनेता द्वारा, या किसी सफेदपोश द्वारा कराया गया, तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए। आपने एफ0 आई0 आर0 दर्ज कर लिया जेल में चले गये। एक अपराधी की आप तलाश कर रहे हैं। मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुआ, दर्ज हो गया। लेकिन सवाल है आप वहां के एक-एक बच्चे से पूछ लें। चले जाएं माननीय मंत्री जी आजमगढ़ चले जाएं। डाकबंगले में रुक जाएं और निष्पक्ष होकर बैठ जाएं, पूरी चर्चा है इसमें किसी सफेदपोश नेता का हाथ है जिन्होंने इस निर्दोष बच्चे की हत्या कराया है और 17-18 लाख रुपया लेने के साथ-साथ उसके मकान कई जगह हैं उसको हड़पने की साजिश है। तब हम सी0बी0आई0 की जांच कह रहे हैं वरना तो हम संतुष्ट हो ही जातें जब 302 धारा का एफ0आई0आर0 दर्ज हो गया है तीन मुल्जिम गिरफ्तार हो गये हैं। एक मुल्जिम की तलाश है आपकी पुलिस उसको नहीं पा रही है। लेकिन एक घटना के बारे में, इस सदन में पूरे कान्फिडेंस के साथ, पूरी जनभावनाओं के साथ उल्लेख कर रहा हूं कि पूरे मण्डल में चर्चा है इसकी सी0बी0आई0 की जांच, चलिए, माननीय राम इकबाल जी ने कहा माननीय उच्च न्यायालय के किसी कार्यरत जज द्वारा करा ली जाए। वहां भी स्वीकार करते हैं आप कह दीजिए करा लीं जायेगी हमारी पुलिस 302 की जो तफ्तीश करेगी वह करेगी लेकिन जब इस तरह की बात उभर करके आ रही है कि प्रदेश की जनता को न्याय देने वाली सरकार है निष्पक्ष न्याय करने वाली सरकार है, संविधान में विश्वास करने वाली सरकार है तो जब मंडल की जनता का विश्वास हैं मा0 मंत्री जी बता दूं पूरे मंडल में मुद्दा बना हुआ है वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सब साड़ी, कपड़ा, ब्लाउज सब खत्म हो जाएगा, यह मंडल में मुद्दा बना है। जगह-जगह यह उठ रहा है इसको तो आपको खुला कह देना चाहिए। नहीं तो आप रोक दें कल फैसला सुनावें। कल सदन चलता है, परसों चलता है तब फैसला सुनावें। दो-तीन दिन के लिये फैसला पेंडिंग कर दें। मुख्य मंत्री जी इसका फैसला कर दें। लेकिन हमारे मंत्री जी वरिष्ठ है सम्मानित हैं पूरे सदन में कदर है यह चाहें तो यह फैसला कर दें। मौका लेना चाहें तो स्थगित कर दें। रिजर्व कर लें बाद में फैसला सुना दें।

श्री शारदानन्द अंचल-

सरकार इस प्रकरण पर गम्भीर है।

श्री राम इकबाल सिंह-

इसमें सी0बी0आई0 की जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि 48 घंटे तक आजमगढ़ की पुलिस कुछ नहीं की है। अगर आजमगढ़ की पुलिस दो-तीन घंटे में हरकत में आई होती तो लड़का बच जाता मरा न होता।

मान्यवर, वहां के पत्रकारों ने आई0जी0 को विश्वास में लेकर एस0टी0एफ0 मंगवाई, इसका पता न तो वहां के एस0पी0 को था न डी0एम0 को था। इसलिए मान्यवर, पूरी की पूरी आजमगढ़ पुलिस संदिग्ध है और वह निश्चित रूप से किसी बड़े आदमी से मिली है। इसलिए इस केस की सी0बी0आई0 अथवा हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए।

श्री शारदानन्द अंचल-

मान्यवर, सरकार इस प्रकरण पर बहुत गम्भीर है और इस घटना से सभी दुखी हैं। इस प्रकरण में कितना ही बड़ा आदमी होगा, कितनी ही पहुंच वाला होगा, अगर उसका हाथ होगा तो वह सरकार के कानूनी शिकंजे से बाहर नहीं जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस सूचना पर श्री राम इकबाल सिंह, श्री सुखदेव राजभर और मा0 मंत्री जी को सुना, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री सुखदेव राजभर-

मैं खड़ा रहूंगा।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य वेल में आ गए)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, पूर्वांचल के इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको तो छाती पीटना चाहिए था और यह कहना चाहिए था कि हम इसकी सी0बी0आई0 जांच करायेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, पूरे आजमगढ़ की जनता आन्दोलित है, जिस प्रकार से एक बच्चे का अपहरण किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। (कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसमें पर्दे के पीछे कौन है, उस व्यक्ति का नाम सामने आना चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे। जो हमारे माननीय सदस्यों ने मांग की है, इस घटना की सी0बी0आई0 के द्वारा या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच करायी जानी चाहिए। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति इसके पीछे है, उसका चेहरा बेनकाब होना चाहिए, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 राजभर जी ने और मा0 राम इकबाल जी ने जो बातें कहीं हैं। मंत्री जी ने बताया कि दो नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गयी है और एक नामजद अभियुक्त बाकी है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जब पुनः आग्रह किया तो सरकार ने आश्वस्त किया कि जो भी सफेदपोश उसके पीछे होगा यदि उसका नाम आयेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, कितना ही बड़ा आदमी होगा, उसे बख्शा नहीं जायेगा तो जो आप चाहते हैं....

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आप आजमगढ़ की पुलिस से जांच करा रहे हैं जो 48 घण्टे तक कुछ कर नहीं पायी, किस एंगिल से पता लगायेंगे कि इसके पीछे कौन सफेदपोश है ?

श्री अधिष्ठाता-

सुन तो लीजिए।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आपके निर्देश हैं तो हम सुन लेते हैं, अन्यथा हम नहीं बैठेंगे। उस बेटे की शान्ति के लिए हम इतना करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग आसन ग्रहण करें।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर चले गए)

श्री सुखदेव राजभर-

फिर भी अगर संतोषजनक नहीं हुआ तो फिर बैठेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

विषय है, आजमगढ़ में एक बच्चे का अपहरण और उसकी हत्या का। मा0 सुखदेव राजभर और राम इकबाल जी ने विषय उठाया और कहा कि एफ0आई0आर0 में जो नामजद अभियुक्त हैं, वह सामने आए हैं लेकिन कोई दूसरा असरदार व्यक्ति उसके पीछे है और कोई सम्पत्ति का मामला है, यह आप लोगों का कहना है।

आपका मानना यह है कि आजमगढ़ पुलिस उस व्यक्ति के दबाव में है और वह ईमानदारी से निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। घटना के 48 घण्टे बाद जब एस0टी0एफ0 पहुंची तो शव बरामद हुआ है। अगर वहां की पुलिस चेतती तो पहले ही शव बरामद हो जाता। इसलिए उनकी मांग यह है कि हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से या सी0बी0आई0 से जांच करायी जाये। इस पर सरकार ने कहा है कि हम किसी व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं। उनकी शंका है कि आजमगढ़ पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, वह दबाव में है। निष्पक्ष कार्यवाही हो सके, ऐसा वह आश्वासन चाहते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

अधिष्ठाता महोदय, किसी मासूम का अपहरण हो और हत्या हो तो यह बहुत ही दुखद और गम्भीर बात है और जिस गम्भीरता से श्री सुखदेव राजभर, श्री राम इकबाल सिंह और अन्य माननीय सदस्यों ने इस बात को उठाया है और इस पर सरकार की तरफ से जो बात कही गयी है वह केवल औपचारिकता नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, सरकार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करेगी और आवश्यकता पड़ी तो जांच एजेंसी के बदलने पर विचार किया जायेगा। हम इस स्टेज पर तत्काल यह बात नहीं कह सकते हैं जैसी आशंका आपने जाहिर की है। हम विश्वास दिलाते हैं कि सरकार पूरी तरह से गम्भीरता से देखेगी और कार्रवाई करेगी। उनके प्रभाव का कोई अर्थ नहीं हैं इस सदन में यह बात आयी है और सरकार ने आश्वस्त किया है तो इस पर पूरी गम्भीरता के साथ कार्यवाही करेंगे।

* श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, 30 अगस्त, 2006 को जनपद बिजनौर के ग्राम हरगनपुर निवासी श्रीमती सुनीता ने भुखमरी और गरीबी से तंग आकर स्वयं और अपने 4 बच्चों के साथ जहर खा लिया। जिसमें सुनीता की तत्काल मौत हो गयी और दो बच्चे मर गये और दो अभी जिन्दगी और मौत से जूझ रहे हैं। मान्यवर, इस सरकार में गरीब व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार की बी0पी0एल0 योजनाएं क्या कर रही हैं। इसलिए मैं इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

* श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, आज पूरा पूर्वांचल अशान्त है। आजमगढ़, जौनपुर आदि जनपदों में अपराधी निरंकुश होकर अपना काम कर रहे हैं। लगता है कि सरकार का दबाव इन पर कहीं न कहीं कम हुआ है। मान्यवर, 8 तारीख को जनपद जौनपुर के जिला पंचायत सदस्य श्री के0 के0 मौर्या की हत्या

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर दी गयी। दो लड़के आजमगढ़ साइड से आये और हत्या करके 20 किलोमीटर की दूरी तय करके निकल गये लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और घटना के 8-10 दिन बाद भी कोई हत्याभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है। न यह पता चला कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। जनपद जौनपुर में लोगों ने मार्च किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम हत्यारों का पता चल जाये ताकि उन्हें सजा दी जा सके। चूंकि मृतक जिला पंचायत सदस्य था हो सकता है कि कुछ लोगों द्वारा उसे रास्ते से हटाने की बात रही हो। इसलिए मैं इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसमें गहनता से जांच होगी और पूरी कार्यवाही होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अभी आजमगढ़ के मासूम बच्चे के अपहरण और हत्या का मामला आया था, इसके बाद जौनपुर के जिला पंचायत सदस्य की हत्या का मामला आया तो इससे पता लगता है कि यह सरकार किस तरह से अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जब तक यह इसी तरह से हीला हवाली करती रहेगी तब तक यह दौर चलता रहेगा। आखिर कब यह लोग चेतेंगे ? कभी मासूम बच्चे का अपहरण करके मार दिया जाता है, तो कभी जिला पंचायत सदस्य की हत्या कर दी जाती है और यह सरकार सिर्फ लीपा पोती करने का काम करती है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मौर्या जी, मैंने आपका नाम पुकारा था लेकिन आप खड़े नहीं हुए लेकिन राय जी ने विषय को रखा था और सरकार का आश्वासन भी आ गया है। मैं समझता हूं कि इस विषय पर और चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह गुण्डा राज की सरकार है। यहां अपराधी हत्याएं, बलात्कार और अपहरण कर रहे हैं लेकिन सरकार किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगा पा रही है। यह अपराधियों की सरकार है। इस गुण्डा राज की सरकार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिष्कार करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन का त्याग कर चले गये)

* श्री विवेक बंसल-

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं और अलीगढ़ जनपद की ज्वलन्त समस्या की ओर अपने विचार रखना चाहता हूं। मान्यवर, पिछले 6, 7 वर्षों में अलीगढ़ में बहुमंजली इमारतों का निर्माण हुआ। यह सत्य है कि निर्माण विकास प्राधिकरण के नियमों के खिलाफ हुआ और तत्कालीन शासन प्रशासन ने आंख बन्द करके उन भवनों का निर्माण कराया। आज वहां के जिला प्रशासन ने उन अवैध भवनों के निर्माण को संज्ञान में लेते हुए वहां के भवनों को गिराना शुरू कर दिया है। जहां

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इसकी प्रशंसा करता हूं वहीं व्यावहारिक पक्ष को भी रखना चाहता हूं। वहां विकास प्राधिकरण विभिन्न योजनाएं नहीं लाया जिससे भवनों का निर्माण होता और वहां के नागरिकों की आवासीय समस्या का समाधान होता। इसके साथ-साथ अलीगढ़ संवेदनशील शहर है। वहां पर कुछ दिन पहले साम्प्रदायिक दंगा हुआ था और बड़ी मुश्किल से शान्ति व्यवस्था स्थापित हुई। मेरा सदन से अनुरोध है कि आज की इस पृष्ठभूमि को देखते हुए जितनी अनियमितितायें हैं उनको रोका जाय। लेकिन इसके साथ-साथ वहां का जिला प्रशासन की पुनः प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने जो अवैध निर्माण करने वाले थे जो अनियमितताओं से भरपूर निर्माण करते थे उनको संदेश देने की कोशिश की है कि वे इस तरह का अवैध निर्माण बरदाश्त नहीं करेंगे। मैं इसके साथ-साथ अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर स्वैच्छिक शमन योजना, जैसी गाजियाबाद में लागू हुई थी, उसको लागू किया जाय जिससे जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है और जो व्यापारी वर्ग में तनाव है वह शांत हो सके। इससे प्रदेश सरकार को भी धन आयेगा और विकास के कार्य हो सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया। मान्यवर, चार दिन से मैं इस चर्चा को लगा रहा था आज यह लग पायी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठी बसाये जा रहे हैं। यह मेरी ही चिन्ता नहीं है, यह चिन्ता केन्द्र सरकार की भी है। बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा खतरा है। बांग्लादेशी नागरिक आज केन्द्र सरकार के लिए बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। गृह मंत्रालय यह मानता है कि बांग्लादेशी भाड़े की हत्या के लिए तथा आतंकवादी गतिविधि के लिए उपयुक्त है और आई0एस0आई0 की नजर इन पर है।

बांग्लादेशी घुसपैठियों की गतिविधियों ने केन्द्र सरकार की चिन्ता बढ़ा दी है। केन्द्र सरकार ने आतंकवाद और मानव तस्करी को रोकने के लिए बांग्लादेश के साथ वार्ता भी की है। मान्यवर, लखनऊ में गोमती के किनारे और नालों के किनारे की नजूल की जमीन पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिये जबरन कब्जा करके रह रहे हैं और मान्यवर, जो सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है वह यह है कि इस समय मतदाता सूची में नाम बढ़ाये जा रहे हैं और इन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम बढ़ा लिया है। जब हम लोगों ने जिलाधिकारी के सामने जो निर्वाचन अधिकारी भी है, इस विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है और इसलिए इस विषय को, यह महत्वपूर्ण विषय है आज विधान सभा के समक्ष रखा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो नागरिक यहां पर बस गये हैं मतदाता सूची से उनके नाम हटाये जायें ये केवल आतंकवादी गतिविधियों से ही नहीं जुड़े हुए हैं यह केवल अपराधी ही नहीं है बल्कि ये हर प्रकार की नागरिक जो सुविधायें हम लोगों की हैं उनको भी छीन रहे हैं। जनता की मूलभूत आवश्यकतायें भी इनसे प्रभावित हो रही हैं, इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस संवेदनशील विषय को सदन में चर्चा के लिए रखा जाय सारा काम रोक करके इस पर चर्चा

कराई जाय क्योंकि यह जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं और इनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप इस सम्बन्ध में कुछ कहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, परीक्षण करा लेंगे।

श्री नवाब सिंह नागर-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं बहुत आभारी हूं कि बहुत मशक्कत के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे इस बात का बड़ा भय है कि सौभाग्य से कभी माननीय अध्यक्ष का पद आपने ग्रहण कर लिया तो उसके बाद हमारा क्या होगा ? इस बात का बड़ा भय हमारे मन में व्याप्त है। मान्यवर, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूं।

(इस समय 4 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष जी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बोलने के लिए नियम-56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईटेक सिटी बनाने की एक बहुत ही बड़ी योजना घोषित की थी जिसके तहत हमारे जनपद गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में भी इस हाईटेक सिटी को बनाने का निर्णय लिया गया है जिसमें दो प्राइवेट बिल्डर्स को लाइसेन्स दिया गया है। उन्होंने वहां पर गांवों में तीन सौ, साढ़े तीन सौ रुपये में प्रति गज के हिसाब से किसानों से सीधे एग्रीमेन्ट करने शुरू किये मान्यवर, इसी के साथ-साथ उन्होंने उसी जमीन पर बिना बैनामा किये हुए लगभग 12 हजार रुपये, 13 हजार रुपये तक फ्रीलैण्ड स्कीम निकाल कर वह भूखण्ड बेचने शुरू कर दिये इसके अतिरिक्त मान्यवर, जब किसानों ने जमीन देने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने षड़यंत्रपूर्वक इन तमाम गांवों को जी0डी0ए0 में सम्मिलित कराकर इस जमीन का जबरन अधिग्रहीत कराने की योजना बना ली है ऐसी साजिश रची गयी है और अब मान्यवर, इसी जमीन को अधिग्रहण करने के प्रस्ताव चल रहे हैं। इसके विरोध में किसानों ने चूंकि किसानों की जमीन वहां पर बहुत महत्वपूर्ण है गाजियाबाद के पास लगी हुई है, एक तरफ ग्रेटर नोएडा, नोएडा लगे हुए हैं इसलिए वहां की जमीन की कीमत मान्यवर, दो हजार रुपये गज से लेकर दस हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से वहां मार्केट में है इसके कारण से किसान किसी भी कीमत पर अधिग्रहण कराने के लिए तैयार नहीं है वहां पर लगातार सभायें हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, दोनों गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के डी0एम0 के कार्यालयों पर प्रदर्शन हो चुके हैं और आज भी किसान सैकड़ों की संख्या में विधान सभा के बाहर अपनी पीड़ा कष्ट रखने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं वहां पर हमारे गाजियाबाद के पूर्व विधायक माननीय बालेश्वर त्यागी जी भी उसका नेतृत्व कर रहे हैं और वह उनकी पीड़ा को आपके सामने रखना चाहते हैं और यहां पर हम इस पीड़ा को आपके सामने रखना चाहते हैं कि किसानों को उजाड़ कर केवल बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने के लिए और वह भी इतना भारी लाभ

मान्यवर, कहां तीन सौ रुपये में लेना और कहां 12 हजार और 13 हजार रुपये में बेचना इस प्रकार से अरबों रुपयों का लाभ पहुंचाने का यह षड़यंत्र है मान्यवर, इसमें किसानों का संरक्षण होना चाहिए किसानों की जमीन के जबरन अधिग्रहण की जो कार्यवाही है वह तुरन्त रुकनी चाहिए।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के अन्दर यह भावना है कि यदि वहां पर जबरन अधिग्रहण किया गया तो वह जान भी दे सकते हैं परन्तु अपनी एक इंच भी जमीन नहीं देंगे। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि अधिग्रहण की कार्यवाही तुरन्त बन्द की जाय और हाईटेक सिटी के प्रस्ताव को बन्द किया जाय। मान्यवर, अगर कोई कारखाना वहां लगता कोई हवाई अड्डा बनता तो आप अधिग्रहण कर लेते। लेकिन बिल्डर्स को मकान बनाने देने के लिए यह सब किया जायेगा। मान्यवर, यह बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने के लिए षड़यंत्र है। मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं। यह महत्वपूर्ण विषय है। किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है अन्याय हो रहा है। इस विषय पर मैं सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं। मान्यवर, उस चर्चा में प्रदेश में अन्य जगहों पर प्रस्तावित या निर्माणाधीन हाईटेक सिटी के मामलों पर चर्चा होनी चाहिए। मान्यवर, इस तरह से किसानों की जमीनों को हड़पने का षड़यंत्र है। इस तरह से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का लाइसेन्स दिया जा रहा है। मान्यवर, इस संवेदनशील विषय पर मैं अपनी बात पर बल देते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर सदन में चर्चा करायी जाय।

श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

मान्यवर, गाजियाबाद में 3 वर्ष पहले रिलांयस पॉवर का प्लान्ट लगने के लिए जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाही हुई है। नागर साहब के यहां तो 400 रु0 गज के हिसाब से जमीन ली गयी है परन्तु हमारे यहां तो 150 रु0 गज के हिसाब से रिलायंस पॉवर के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है। मान्यवर, वहां ढाई हजार एकड़ जमीन ली गयी है लेकिन वहां तीन साल से रिलांयस के किसी आदमी को नहीं देखा गया है। मान्यवर, एक घटना मैं बताना चाहता हूं कि 8 अगस्त, 2006 की रात को पुलिस ने वहां पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है और उसमें 80 आदमी बच्चों को जेल में भेज दिया गया है। वहां पर 2500 एकड़ जमीन 150 रु0 गज में ली गयी है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें उस पर चर्चा हो गयी है।

श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

मान्यवर, आप चाहें तो उन्हें जमीन का पैसा मत दो लेकिन उनके मुकदमें तो वापस ले लो।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा हो गयी है।

श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

मान्यवर, उनके मुकदमें तो वापस ले लिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

हां यह बात ठीक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय नागर साहब ने जो विषय उठाया है उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, शिशौदिया जी जो सवाल उठा रहे थे, वहां राजेन्द्र सिंह राणा जी की ससुराल है। अब आप समझ लें ससुराल वालों के साथ जो सलूक होगा तो पता चलेगा। आप तो उनके ससुराल वाले हैं। जब आपने अपना जमाई सरकार में भेज रखा है तो हम क्या करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह दहेज उत्पीड़न का मामला है अब आप पर यह केस चलेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, यह तो पता चल जाय कि इसकी कम्पलेंट कहां से आयी है।

श्री हुकुम सिंह-

आपके ही यहां से आयी है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

सदन को एक सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 15 सितम्बर, 2006 से दिनांक 21 सितम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 15 सितम्बर, 2006 से 20 सितम्बर, 2006 तक सदन के उपवेशन न हों।

2-दिनांक 21 सितम्बर, 2006 को सदन का उपवेशन हो तथा उस दिन केवल नियम 301 एवं 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ली जायं।

3-दिनांक 15 सितम्बर, 2006 से दिनांक 21 सितम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>सितम्बर, 2006</u>

15 शुक्रवार 16 शनिवार 17 रविवार 18 सोमवार 19 मंगलवार 20 बुधवार	बैठक नहीं होगी।

21 गुरुवार 1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण-

क-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006

ख-डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (आधा घण्टा)

ग-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (आधा घण्टा)।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिनकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष ने सदन में दी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें राजस्व पर आपने आधा घण्टा चर्चा को कहा है, उस पर कम से कम 4 घण्टे की चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

राजस्व संहिता पर समय निर्धारित नहीं है, वह फ्री है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, आप बता दें इसकी गम्भीरता, आपने कितनी गम्भीरता से लिया है। पहले तो इसकी बैठक एक दिन पहले से होनी है, तो माननीय सदस्य को इसकी जानकारी हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

राजस्व संहिता पर सभी, जो नेतागण हैं वह या तो स्वयं या अपना कोई दल का प्रतिनिधि भेजेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 20 तारीख को राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होगी सभी दलों के नेता उसमें शरीक होंगे। पहले उस दिन बात करेंगे फिर 21 तारीख को लेंगे। उसको पूरी गम्भीरता से लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

बैठक का समय बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 20 तारीख को 11.00 बजे बैठक होगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सुबह आपने कहा था कि आयुर्वेदिक यूनानी कालेज के लिए, उसको 20 तारीख तक लम्बित न रखें। छात्र विधान सभा के बाहर बैठे हुए हैं। इस पर बैठक यथाशीघ्र तय कर दें।

श्री अध्यक्ष-

इसको देख लेता हूं कि क्या हो सकता है ?

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 51 की सूचनाएं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 47 सूचनाएं प्राप्त हुई :-

पहली सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री रामपाल यादव, श्री अनिल वर्मा की आवश्यक वस्तु निगम, सीतापुर में गोदामों पर खाद्यान्न ढुलाई हेतु प्राप्त निविदाओं का निस्तारण न किये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के ग्राम रासेपुर धनेहरी में पशु अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) की जनपद सुल्तानपुर के जगदीशपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत फत्तेपुर संगत में सरकारी राशन की दुकान खोले जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह की जनपद लखनऊ सहित पूरे, उत्तर प्रदेश में वैध आरा मशीनों को अवैध कराकर बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवी सूचना श्री प्रमोद कुमार की लखनऊ स्थित जवाहर भवन में स्थापित पं0 जवाहर लाल नेहरू की प्रतिमा पर छतरी का निर्माण कराने एवं शास्त्री भवन के सामने स्व0 लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का उद्घाटन कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री अवधेश कुमार की जनपद शाहजहांपुर के ग्राम चित्रपुर नवदिया के श्री अजय कुमार की हत्या करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र डलमऊ में चयनित हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा स्थित एम0एन0 गेट के पास से काली बाड़ी चौराहे से होती हुई हास्पिटल रोड तक जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। नौवीं सूचना श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह की आदिल नगर, लखनऊ स्थित खसरा नं0 232 एवं 237 की पैमाइश कराकर सीमा विवाद को निस्तारित कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री आनन्द प्रकाश लोधी की श्री शरीफुल हसन एवं श्री आदिब हसन के विरुद्ध फर्जी मुकदमें की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा एजूकेशन सेण्टर के कालीचरण निगम

इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी के मानचित्र अवैध तरीके से स्वीकृत कराये जाने एवं प्राधिकरण को आर्थिक क्षति पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, बीजू पटनायक जी सरकार के खिलाफ गार्जीपुर में अनशन कर रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य अनशन पर है, लखनऊ में उपस्थित नहीं है तो उनकी सूचना यहां कैसे लग गयी।

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुयीं। पहली श्री बीजू पटनायक।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

जब यह लखनऊ में उपस्थित नहीं है तो फिर इनकी सूचना आज यहां कैसे लग गयी, इसकी तो जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसीलिये पूछ रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नियम-110 के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष-

इसे पूरा पढ़ तो लेने दीजिये। श्री बीजू पटनायक, डा0 गंगा बक्श सिंह, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री सोमारू राज सरोज, श्री मदन चौहान, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री कौशल किशोर, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री दद्दू प्रसाद, श्री शिव तपस्या पासवान, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री राम इकबाल सिंह, श्री राम करन आर्य, श्री रणवीर राणा, श्री राकेश सचान, डा0 पूर्णमासी देहाती, श्री धर्मपाल सिंह, श्री नरेन्द्र शिशौदिया, श्री सदल प्रसाद, श्री लालजी वर्मा, डा0 विनोद तिवारी, श्री बाबूलाल कुशवाहा, श्री जगदीश नारायण राय, डा0 यशवन्त सिंह, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री अब्दुल मन्नान, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, चौधरी महेन्द्र सिंह, इनकी सूचनायें अस्वीकार की गयी।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-110 को देखें। यह संवेदना और बधाई का प्रस्ताव है। झारखण्ड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन हो गया है, तो मैं इस पर संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं।

जनपद देवरिया अन्तर्गत दुग्धेश्वर नाथ मन्दिर और पोखरा पर न्यायालय के निर्णय के बाद भी अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य विधान सभा श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी थी कि जनपद देवरिया....

महिला कल्याण राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

मोहम्मद आजम खां-

[अन्तर्गत रुद्रपुर में दुग्धेश्वर नाथ मन्दिर और पोखरा पर भू-माफियाओं द्वारा न्यायालय के निर्णय के बाद भी अवैध कब्जा किया जा रहा है।

उक्त सूचना पर जिलाधिकारी, देवरिया से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि उक्त भूमि मौजा रुद्रपुर के नान जेड0 ए0 क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसमें सहन कोट की भूमि भूखण्ड सं0 60 रकबा 21.30 एकड़ तथा भूखण्ड सं0 335 का सम्पूर्ण रकबा 5.12 एकड़ पूर्व के अभिलेखों में दर्ज रही है। वर्तमान में भूखण्ड सं0 60 अठारह व्यक्तियों के नाम जमन-8 में दर्ज चला आ रहा है तथा गाटा सं0 335 में 17 खातों में विभिन्न व्यक्तियों के नाम से जमन 8 एवं जमन 10 के रूप में दर्ज है। इसके अतिरिक्त गाटा सं0 587 रकबा 9.15 पूर्व में पोखरी के खाते में दर्ज थी वर्तमान समय में यह भूखण्ड नान जेड0 ए0 एवं जेड0 ए0 में दर्ज है। जेड0 ए0 में दो खातों में रकबा 0.466 दर्ज है शेष रकबा 3.237 हे0 नान जेड0 ए0 में तीन व्यक्तियों के नाम जमन 8 के रूप में दर्ज है। यह भूखण्ड मौके पर आज भी तालाब की शक्ल में है। यह भूखण्ड राजा रवि प्रताप नारायन सिंह के पट्टी के रूप में दर्ज थी। उनके मरणोपरान्त मारतण्ड सिंह वगैरह बतौर वारिस दर्ज पाया गया लेकिन यह वारिस कब दर्ज हुआ ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चूंकि इस सम्बन्ध में पुरातत्व/पर्यटन विभाग को पूर्व में अभिलेख सहित स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा गया था, परन्तु अभी तक उपस्थित नहीं हुए जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उनका क्षेत्राधिकार कहां तक है। पुरातत्व विभाग के सक्षम अधिकारी उपस्थित होकर अपना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सीमांकन कर के बताये कि क्या उनके क्षेत्रान्तर्गत कोई अवैध प्रविष्टि या निर्माण हुआ है अथवा नहीं। यदि उनके क्षेत्रान्तर्गत कोई अवैध कार्य हुआ है तो सक्षम अधिकारी के न्यायालय में निरस्तीकरण हेतु वाद प्रस्तुत करें।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ स्थित देवस्थान आवासीय कालोनी पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खां)-

लखनऊ स्थित देवस्थान आवासीय कालोनी पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में ....

महिला कल्याण राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से जांच करायी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त जांच आख्यानुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् है :-

दिनांक 10-07-2006 को श्री अशोक पाठक पुत्र के0 के0 पाठक, नि0-5/6 विनय खण्ड, गोमती नगर हाल पता-ग्राम अनौरा, थाना-चिनहट, लखनऊ को अभियुक्तगण कुंवर जयन्त सिंह पुत्र कुंवर जितेन्द्र सिंह, नि0-2/326 विवेक खण्ड-2 थाना-गोमती नगर, लखनऊ, सुनील कुमार वर्मा उर्फ सुनील पटेल पुत्र जोरावर सिंह, नि0-9/509 इन्दिरा नगर, थाना-गाजीपुर, लखनऊ, कुंवर विवेक सिंह पुत्र कुंवर विजेन्द्र सिंह, नि0-52 पटेल इन्क्लेव देवा रोड, थाना-चिनहट, लखनऊ व हरिशंकर वर्मा उर्फ छोटू पुत्र बरसाती लाल, नि0-496/176 छोटा चांदगंज, थाना-हसनगंज, लखनऊ तथा 4-5 और व्यक्तियों द्वारा देव स्थान पर जमीन कब्जा करने एवं जान-माल की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना-चिनहट पर मु0अ0सं0-156/06 धारा-147/148/419/420/467/468/471/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना थाना-चिनहट द्वारा की जा रही है।

लखनऊ-फैजाबाद राजमार्ग पर निकट इन्दिरा नगर पुल के पास बने देव स्थान के पास ग्राम अनौरा के किसानों की जमीन है, जिसमें 76 बीघा जमीन अभियुक्त कुंवर जयन्त सिंह के पिता कुंवर जितेन्द्र सिंह ने वर्ष 1997 के पूर्व किसानों से पावर आफ एटार्नी बनवाकर कुबेर बिल्डर्स के नाम बैनामा कर दिया था। वर्ष 1998 में कुंवर जितेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गयी। उक्त कुबेर बिल्डर की जमीनों को उसके भाग जाने के बाद उनके पुत्र कुंवर जयन्त सिंह द्वारा कुछ पिता के नाम पर तथा कुछ किसानों से पावर आफ एटार्नी बनवाकर अपने ही ग्रुप पटेल कालोनाइजर्स के चेयरमैन सुनील कुमार वर्मा एवं हरिशंकर वर्मा के नाम बैनामा करके प्लाटिंग करके अन्य लोगों को बेंची जा रही थी। आवेदक वादी श्री अशोक पाठक ने जिन्होंने कुबेर बिल्डर्स को रु0-65.00 लाख निवेश किया था, इसी प्रकार इलाहाबाद के अन्य 113 लोगों द्वारा करोड़ों रुपये कुबेर फाइनेन्स में निवेश किया था। इन लोगों द्वारा कुबेर फाइनेन्स के चेयरमैन को ढूंढने का प्रयास किया तो कुबेर फाइनेन्स के चेयरमैन

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री प्रदूम्न कुमार शर्मा पुत्र दीप चन्द्र शर्मा, नि0-ई/20 कैलाशापट्ट, नई दिल्ली में मिले, जिनसे अपने रुपये की मांग की गयी। चेयरमैन द्वारा पैसा वापस करने की स्थिति में न होने के कारण कुछ लोगों के सामने वादी श्री अशोक पाठक को कहा कि मेरे नाम से जो प्रापर्टी लखनऊ में है, उसी को बेंचकर अपना व अन्य निवेशकों को वापस कर दें, इस बात पर श्री अशोक पाठक, जिन्होंने कुबेर विल्डर्स के चेयरमैन, श्री सी0 पी0 शर्मा द्वारा रजिस्टर्ड पावर आफ एटार्नी बनवाना बताते हैं, ने पावर आफ एटार्नी की फोटोकापी दौरान विवेचना प्रस्तुत किया है, कि अभिलेखीय प्रमाणिकता की जांच करवानी शेष है तथा वादी श्री अशोक पाठक द्वारा प्रतिवादी के कागजात भी प्रस्तुत किया गया है, की भी जांच कराना शेष है। इसी विवादित जमीन को प्रतिवादी श्री सुशील कुमार वर्मा आदि द्वारा बेंचा जा रहा था, उसी आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मौके पर एक कमरा बना हुआ है, जिसमें वादी श्री अशोक पाठक के कुछ सिक्योरिटी गार्ड रह रहे हैं। उसमें न तो कोई अभिलेख रखा जाना पाया गया है और न ही कोई फर्नीचर के तोड़-फोड़ होने की पुष्टि की गयी है। अभी मौके पर कोई कालोनी नहीं बनी हुई है। दोनों पक्षों के बीच जमीन के सम्बन्ध में वाद न्यायालय में विचाराधीन है।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में निर्माणाधीन तीन सेतुओं का निर्माण कार्य समय से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलमबदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत की गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रश्नगत सूचना के माध्यम से जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में निर्माणाधीन ग्राम बीनापार....

महिला कल्याण राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[के समीप कुंवर नदी सेतु दत्तात्रेय धाम के समीप कुंवर नदी पर सेतु तथा ग्राम खालिसपुर के समीप मंगई नदी पर सेतु के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु समय सीमा के निर्धारण की मांग की गयी है।

जनपद आजमगढ़ में सरायमीर बीनापार मार्ग पर कुंवर नदी पर सेतु निर्माण कार्य की स्वीकृति नाबार्ड-10 योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 18-11-04 द्वारा प्रदान की गयी। इस सेतु का निर्माण कार्य माह 5/06 में पूर्ण किया जाना था, परन्तु इस वर्ष मानसून जल्दी सक्रिय होने तथा कुंवर नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण सेतु का निर्माण कार्य प्रभावित होता रहा है। इस सेतु की भौतिक प्रगति 65 प्रतिशत है तथा सेतु का निर्माण कार्य माह अक्टूबर, 06 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दत्तात्रेय धाम के समीप कुंवर नदी पर सेतु की स्वीकृति पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 25-11-05 द्वारा प्रदान की गयी। सेतु का निर्माण कार्य माह अप्रैल, 06में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित था, परन्तु स्थल चयन में विरोधाभास होने के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका। स्थल चयन में आये गतिरोध को दूर कर स्थल चयन को अन्तिम रूप देने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया गया। मानसून जल्दी सक्रिय होने एवं नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण निर्माण कार्य बाधित रहा। वर्षा ऋतु के पश्चात् निर्माण कार्य में प्रगति लाकर सेतु का निर्माण कराकर मार्च 07 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

मंगई नदी पर सेतु निर्माण कार्य की स्वीकृति पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत शासनादेश दि0 25-11-05 द्वारा प्रदान की गयी। धनावंटन होने के पश्चात् सेतु का सर्वे एवं परिकल्पना का कार्य प्रारम्भ किया गया। मानसून जल्दी सक्रिय होने के कारण कार्य प्रभावित हुआ है, क्योंकि नदी का वेड छिछला होने के कारण पानी का फैलाव हो जाता है। वर्षा ऋतु के पश्चात् निर्माण कार्य में प्रगति लाकर सेतु का निर्माण कराकर मार्च 07 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।]

जनपद आगरा में पेयजल हेतु अनुसूचित जाति एवं सामान्य क्षेत्र में शासनादेश के अनुरूप धनराशि आवंटित कराने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह परमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-28 स्थगित है।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत प्रोजेक्ट कारपोरेशन नामक संस्था को धन आवंटित किये जाने के कारण प्रदेश के नहरों के रख-रखाव एवं मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत की गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रदेश का अधिकांश भाग सूखे की चपेट में है....

महिला कल्याण राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

[सूखे का सामना करने के लिये नहरों की अहम भूमिका है परन्तु स्थानीय अधिकारियों को रख-रखाव हेतु बजट उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण इस वर्ष मुख्य नहरों का न तो रख-रखाव हुआ और न राजवाहों की सफाई हुई और न ही मरम्मत हो सकी जिस वजह से पानी उपलब्ध होने के बावजूद कृषक सिंचन सुविधा से वंचित हैं। रख-रखाव का हजारों करोड़ रुपये का बजट, प्रोजेक्ट कारपोरेशन नाम संस्था को दे दिया गया है। उक्त कारपोरेशन का न तो कोई अधिकारी और न ही कोई कार्यालय जनपद स्तर पर है। सिंचाई विभाग की समस्त व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है एवं रख-रखाव

के बजट का भारी दुरुपयोग एवं अपव्यय हुआ है। प्रदेश भर का किसान परेशान है उसकी फसल सूखे के कारण बरबाद हो रही है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस वर्ष माह जून से 01 सितम्बर, 06 तक वर्षा ऋतु के आंकड़ों के आधार पर सामान्य वर्षा के सापेक्ष 11 जनपदों में 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत, 12 जनपदों में 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत, 17 जनपद में 40 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है। यद्यपि 31 अगस्त, 06 तक विभिन्न नदियों में कुल औसत जल उपलब्धता अगस्त, 2005 के सापेक्ष 12 प्रतिशत कम रही है तथापि इस कमी के होते हुए भी नदियों में इतना पानी रहा है कि उनसे मुख्य नहर प्रणालियां यथा ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा सहायक नहर, गण्डक नहर अगस्त, 05 के सापेक्ष अधिक क्षमता से चली हैं, मात्र शारदा नहर प्रणाली में अगस्त, 05 के सापेक्ष 2 प्रतिशत जल उपलब्धता में कमी रही है। पिछले वर्ष 31 अगस्त, 2005 तक सिंचाई विभाग के जलाशयों में उपयोगी क्षमता के सापेक्ष 53 प्रतिशत की उपलब्धि के विरुद्ध इस वर्ष 31 अगस्त, 2006 तक 48 प्रतिशत उपयोगी क्षमता तक ही जलाशय भर पाये हैं। वर्षा ऋतु 15 अक्टूबर, 06 के अन्त तक होने के परिप्रेक्ष्य में इन जलाशयों में पानी की उपलब्धता का आंकलन अक्टूबर, 06 के द्वितीय पक्ष में ही सम्भव हो सकेगा। इन जलाशयों से सामान्यतयः नहर प्रणालियों में रबी की सिंचाई की जाती है। अतः जलाशयों में जल की उपलब्धता की कमी से खरीफ की फसल प्रभावित नहीं होगी।

यह भी अवगत कराना है कि सिंचाई विभाग में वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिये विधान सभा से पारित आय-व्ययक में नहरों, राजवाहों एवं माइनरों की सफाई हेतु राजस्व लेखे के अन्तर्गत अनुदान संख्या-96 में प्रदेश की मुख्य सिंचाई के अन्तर्गत आने वाली नहर प्रणालियों के राजस्व लेखे-2700 एवं मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत आने वाली नहर प्रणालियों के लेखाशीर्षक-2701 के अन्तर्गत 4 अलग-अलग शीर्षक मदों में प्राविधान किया गया है। जिसमें 01-अनुश्रवण कार्य, 02-विशेष मरम्मत, 03-यांत्रिक कार्य, 04-सिल्ट सफाई है। उक्त शीर्षक मदों के अन्तर्गत 01-अनुरक्षण कार्य हेतु प्राविधानित समस्त धनराशियां जनपद स्तर पर सम्बन्धित खण्डों को आवंटित कर दी गयी है। इसी प्रकार 02-विशेष मरम्मत हेतु भी 50 प्रतिशत धनराशि आवंटित की जा चुकी है। 03-यांत्रिक कार्य हेतु भी यांत्रिक खण्डों को धनराशि आवंटित की जा चुकी है तथा 04-सिल्ट सफाई के मद में प्राविधानित धनराशि को भी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को आवंटित कर दी गयी है। रबी की फसल से पूर्व अक्टूबर एवं नवम्बर के माह में खण्डीय अधिकारियों से नहरों की सफाई के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा यह धन आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। सिंचाई विभाग में सामान्यतः नहरों की सिल्ट सफाई रबी की फसल से पूर्व ही करायी जाती है। अपवाद स्वरूप यदि खरीफ में किसी विशेष नहर पर सफाई की आवश्यकता है तो खण्डीय स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। नहरों की सफाई के सम्बन्ध में कोई भी प्रोजेक्ट कारपोरेशन नामक संस्था को आवंटन नहीं किया गया है अपितु इस संस्था को केवल नहरों की पुनर्स्थापना अथवा अन्य निर्माण सम्बन्धी परियोजना का कार्य ही आवंटित किया गया है। वर्तमान में खरीफ फसल में नहरें

अपनी पूर्ण क्षमता से रोस्टर के अनुसार चलायी जा रही हैं तथा इस वर्ष 7990 टेलों पर पानी पहुंचाया जा चुका है। वर्तमान में वर्षा की कमी के कारण नहरों पर पानी की मांग बढ़ जाने के कारण शेष टेलों पर पानी पहुंचाने हेतु जिला प्रशासन का सहयोग लेकर युद्धस्तर पर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में खरीफ फसल में गत वर्ष 2005-06 में 15 अगस्त, 05 तक सींच की प्रगति 1326.26 हजार हेक्टेयर के विरुद्ध 1346.00 हजार हेक्टेयर हो चुकी है। प्रदेश में दिनांक 01-04-06 को 27988 राजकीय नलकूप है। दिनांक 31-08-06 को साप्ताहिक सूचना के अनुसार 2.09 प्रतिशत यांत्रिक दोष से 4.56 प्रतिशत विद्युत दोष से कुल 6.65 प्रतिशत बन्द है। इनकी चालू कराने के लिये युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। सम्बन्धित अधिकारियों को नलकूप बन्दी न्यूनतम रखने एवं विद्युत उपलब्धता का पूर्ण उपयोग कर डाल नहरों को पूर्ण क्षमता पर चलाये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं।]

विभिन्न वक्तव्यों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण एवं जानकारी

श्री राकेश सचान-

मान्यवर, मद संख्या-26 पर एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं। जो प्रकरण मैंने उठाया था, वह पटेल देवस्थान की जमीन पर कुछ भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया। आज उसका वक्तव्य आया है। वक्तव्य में कोई सही तथ्य नहीं दिये गये हैं। यह कम से कम 500 लोगों से जुड़ा मामला है और कम से कम 200 लोग रजिस्ट्री करा चुके हैं। वहां पर कुछ भू-माफिया पूरा कब्जा जमाये हुये हैं। यह जो वक्तव्य आया है, उसमें मैंने पूछा था कि जो यह देवस्थान कालोनी कार्यालय है, इसमें लिखा है कि कोई मकान नहीं बना है, वहां पर केवल 5-6 कमरे बने हुये हैं, आलरेडी हमारे पास फोटोग्राफ मौजूद हैं। दूसरी चीज यह बताया गया कि वहां पर कुछ विकसित नहीं है। पूरी कालोनी में सीवर लाइन, पानी की टंकी आदि सब बना हुआ है। लेकिन वहां पर पटेल देवस्थान का नाम खत्म करके दूसरे लोगों ने अपना बोर्ड लगा लिया है और मान्यवर, पटेल देवस्थान पर जाकर कम से कम 200 असलहाधारी लोग वहां पर गये और पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया और फर्नीचर आदि तोड़ दिया, कागजात आदि फाड़ दिये और वहां मौजूद लोगों को भगा दिया जो प्लाट के कब्जेदार थे उनको भी भगा दिया और इसके बाद पाठक नाम का आदमी जिनके नाम रिपोर्ट दिया गया है तो उस पर माननीय मंत्री से मैं चाहता हूं कि उस पर जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष-

अब सवाल पूछ लीजिए, यह तो केवल वक्तव्य था।

श्री राकेश सचान-

मान्यवर, जो अशोक पाठक ने कब्जा कर लिया है, कुबेर टाइम्स का फर्जी पेपर दिखाया हुआ है, पॉवर ऑफ एटार्नी भी कैंसिल कराया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री राकेश सचान-

मान्यवर, क्या वह कब्जा हटवायेंगे और पटेल देवस्थान वालों के जो मालिक लोग हैं उनकी एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर जांच करवायेंगे और कब्जा दिलवा देंगे ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जो आप बता रहे हैं, वही इसमें लिखा हुआ है। मान्यवर, इसमें मामला अदालत में है और मौके पर कब्जा किसी का पाया नहीं गया है, खाली जमीन है। एक मायने में इसे विवादित कहा जा सकता है। पॉवर ऑफ एटार्नी सही है या गलत है इस बात का फैसला तो अदालत ही करेगी।

श्री अमर सिंह परमार-

मान्यवर, यह जनहित से जुड़ा मामला है।

श्री अध्यक्ष-

कहां का है ?

श्री अमर सिंह परमार-

28 नम्बर आगरा का है।

श्री अध्यक्ष-

आप यह जान लीजिए, इसमें केवल वक्तव्य लिखा है, इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते।

श्री अमर सिंह परमार-

मान्यवर, वक्तव्य आया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-28 को आज स्थगित कर दिया है, 21 तारीख को जब विधान सभा बैठेगी तब यह आयेगा उसके बाद आप प्रश्न पूछ लीजिएगा।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, मेरी एक सूचना नियम-301 में थी और वेटिंग में थी। एक माननीय सदस्य की सूचना 301 में भी ली गई और 51 में भी ली गई तो मैं चाहता हूं कि मेरी वेटिंग में है क्योंकि दोनों सूचनाएं एक साथ नहीं ली जा सकती।

श्री अध्यक्ष-

देखिये 301 के बारे में अगर सुबह कहे होते तो आपकी सूचना को ले लिया गया होता।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

नियम-51 तो अभी ली गई है। एक ही सूचना एक ही सदस्य द्वारा दोनों नियमों में एक ही दिन दी गई और दोनों में सेलेक्ट हो गई तो मान्यवर, मेरी वेटिंग में थी तो मेरी 301 में ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, दिखवा लेंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री हुकुम सिंह-

मैंने अपनी सूचना में इन तथ्यों का उल्लेख किया था कि प्रदेश में नहरों की राजबहों का अनुरक्षण नहीं हो पा रहा है, सफाई नहीं हो पा रही है और फण्ड वहां न दे करके किसी प्रोजेक्ट कारपोरेशन नामक संस्था को दे दिया गया है। अब जो उत्तर आया है नियम-51 में उसे आप देखें, इनका कहना है कि नहीं, अनुरक्षण का पैसा नहीं दिया, हमने तो पुनर्स्थापना का पैसा दिया है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि अनुरक्षण में और सिल्ट सफाई में इस मद में आपने यांत्रिक जो खण्ड हैं, उनको कितना बजट दिया है और पुनर्स्थापना का प्रोजेक्ट कारपोरेशन वाला जो है उनको कितना बजट दिया है। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार मान्यवर, खण्डों को तो कुछ लाख रुपये दिये गये हैं और इसको कम से कम एक हजार करोड़ रुपये दे दिये गये है, 6 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है मान्यवर, एक हजार करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट कारपोरेशन को दे दिये हैं। काम कहीं हो नहीं रहा है, सारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं अपेक्षा करता था कि मैंने सूचना दी है तथ्यों के आधार पर दी है कम से कम इसकी जांच करा लेते, सारे तथ्य सरकार के संज्ञान में आ जाते। मान्यवर, इतना खुल करके खेल हो रहा है तो सारे प्रदेश के किसान आखिर कहां जायेंगे, कहां पर रोना रोयेंगे, आज स्थिति यह है कि तीन-तीन मीटर लम्बी घास खड़ी हुई है, सारी मिट्टी पटी हुई है, खण्ड का अधिकारी कहता है कि हमारे पास बजट नहीं है हम करें क्या। प्रोजेक्ट कारपोरेशन का कोई अधिकारी मिलता नहीं है। मान्यवर, जो पुनर्स्थापना शब्द इस्तेमाल किया गया है, पुनर्स्थापना इससे पहले कहां चली गई थी और इसी वर्ष पुनर्स्थापना की जांच कैसे कर ली गई और इस शब्द का इस्तेमाल करके सारा बजट वहां डाईवर्ट कर दिया गया। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर प्रकाश डाल दें। यह मेरी मांग है कि जांच करा लें कि आखिर वह पैसा कहां गया है और क्या टेण्डर के हिसाब से काम हो रहा है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बड़े तफसील से जवाब दिया है, इसमें प्रश्न बनता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

एक ही प्रश्न है कि जांच करायेंगे या नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अगर हुकुम सिंह जी दो पेज के जवाब से मुतमईन नहीं है तो बताईये अब क्या किया जाये ?

श्री हुकुम सिंह-

मैं आपकी इतनी मजबूरी नहीं समझ रहा हूं, आप चाहें तो कर सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की कोई विवशता नहीं है, चाहें कर सकते हैं। यह मेरा प्रश्न नहीं है, करोड़ों किसानों का प्रश्न है, कम से कम उनका हित देखते हुए जांच करा दें। एक अधिकारी विशेष को लाया ही गया इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता और मुझे नाम लेना भी नहीं चाहिए कि किस तरह से बजट का डायवर्जन करके, इसके दुरुपयोग कर सके, उन्हीं का ईजाद किया हुआ पुनर्स्थापना शब्द है। अनुरक्षण

में हमने पैसा दे दिया, पुनर्स्थापना में इतना पैसा फलां कारपोरेशन को दे दिया। सफाई क्या हुई, सिल्ट सफाई क्या हुई, अनुरक्षण क्या हुआ, वहां पैसा दिया नहीं और पुनर्स्थापना में दे दिया। इसकी परिभाषा कर दें उनसे पूछ ले। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है 21 तारीख को सत्र है अगर इस पुनर्स्थापना शब्द की परिभाषा कराने के लिए उन अधिकारी को सदन में बुला लें एक बार तो कम से कम उनको यह इत्मीनान तो हो जायेगा कि सदन को गुमराह करने वाला कोई है नहीं। केवल यह अधिकारी सारे सदन को गुमराह करने का ठेका ले लें और यह सोचें कि हम जो लिख देंगे वह 'आयतें हदीश' हो जायेगी। इसलिए इस प्रकरण में मेरा विनम्र आग्रह है कि इसकी विस्तृत जांच करा लें 21 तारीख को दुबारा यह उत्तर आ जाए, कुछ तो भला हो जाएगा किसानों का, यह तो आपसे अपेक्षा है मान्यवर, और निर्देश आपका होना चाहिए। यह होना चाहिए कि पुनर्स्थापना में कितना बजट गया और अनुरक्षण में कितना बजट गया प्रोजेक्ट कारपोरेशन में कितना बजट गया जो जिम्मेदार खण्ड है, उनमें कितना बजट गया, यह जानकारी इस सदन को मिलनी चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जो बात आपने कही है मैं आपसे सहमत हूं, किसानों का अहित नहीं होने दिया जायेगा।

जनपद फैजाबाद के अहियावां ऊंचे गांव निवासी श्री शफीक अहमद की जमीन का फर्जी बैनामा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24-8-2006 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना जो सेवानिवृत्त सैनिक श्री शफीक अहमद वर्तमान में मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं ...

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है

श्री मोहम्मद आजम खां-

[जिनकी 10 बीघा आराजी भूमि पर इन्हें मृत दिखाकर श्री जब्बाद हुसैन पुत्र वशीर हुसैन निवासी ग्राम रसूलपुर बाकरगंज जनपद-फैजाबाद (पूर्व में जनपद-अम्बेडकर नगर) द्वारा षडयंत्रपूर्वक फर्जी वसीयतनामा दाखिल करके तथा फर्जी गवाहों के आधार पर तत्कालीन कानूनगो तथा तहसीलदार की मिली भगत से अपनी मां/बहन के नाम कराने आदि के सम्बन्ध में है।

2-उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर से प्राप्त सूचनानुसार प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी, अकबरपुर से करायी गयी। व्यापक छानबीन के आधार पर पाया गया कि राजस्व ग्राम मुबारकपुर मरैला, परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर स्थित गाटा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संख्या-499 ड़ रकबा 7-4-0(1.821 हे0) व गाटा संख्या-509ख रकबा 0-16-0 (0.202 हे0) जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 के खाता संख्या-255 पर शफीक अहमद पुत्र मो0 नजीर निवासी ग्राम ऊंचेगांव परगना अमसिन तहसील व जनपद फैजाबाद के नाम अंकित है। वर्ष 1982 में चकबन्दी समापन के बाद न्यायालय नायब तहसीलदार मालीपुर, तहसील-अकबरपुर के आदेश दिनांक 28-11-85 अन्तर्गत धारा-34 भूराजस्व अधिनियम द्वारा आदेश पारित किया गया कि शफीक अहमद पुत्र मो0 नजीर मृतक के स्थान पर श्रीमती तौफीकुलनिशा बेवा बशीर हुसैन, निवासी ग्राम रसूलपुर वाकरगंज बतौर वसीयत वरासत दर्ज हो जिसका अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में किया गया। श्री जब्बार हुसैन पुत्र बशीर हुसैन के पुनर्स्थापना प्रार्थना-पत्र पर नायब तहसीलदार सिकन्दरपुर तहसील अकबरपुर तत्कालीन जनपद फैजाबाद द्वारा दिनांक 7-12-90 को आदेश पारित किया गया कि नायब तहसीलदार, मालीपुर द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 28-11-85 को निरस्त करके उपर्युक्त भूमि श्री शफीक अहमद पुत्र मो0 नजीर निवासी ग्राम ऊंचेगांव परगना अमसिन तहसील-फैजाबाद का नाम पुनः स्थापित किया गया। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 7-12-90 का अंकन भी राजस्व अभिलेखों में किया गया है।

3-प्रकरण में पुनः उक्त के परिप्रेक्ष्य में श्री जउवार हुसैन पुत्र वशीर हुसैन द्वारा धारा-33/39 भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत परगनाधिकारी, अकबरपुर के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि उपर्युक्त भूमि के खातेदार श्री शफीक अहमद की सकूनत त्रुटिपूर्ण होने के कारण उनका नाम अंकित हो गया है। इस सम्बन्ध में संशोधित सकूनत मौजा गौसपुर मशमूले ऊंचेगांव परगना व तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद अंकित किये जाने के सम्बन्ध में धारा-33/39 भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत परगनाधिकारी, अकबरपुर के आदेश दिनांक 17-1-91 द्वारा आदेश पारित किया गया कि मौजा मुबारकपुर मरैला तहसील अकबरपुर के खाता संख्या-94 पर अंकित शफीक अहमद पुत्र नजीर के त्रुटिपूर्ण सकूनत मौजा ऊंचेगांव परगना अमसिन तहसील सदर फैजाबाद निरस्त करके संशोधित सकूनत शफीक अहमद पुत्र मो0 नजीर मौजा गौसपुर मशमूले ऊंचेगांव परगना व तहसील अकबरपुर जनपद-फैजाबाद अंकित किया गया।

4-परगनाधिकारी, अकबरपुर के आदेश दिनांक 17-1-91 के उपरान्त पुनः इसी प्रकरण में नायब तहसीलदार, सिकन्दरपुर तहसील अकबरपुर के आदेश दिनांक 31-1-91 द्वारा श्री शफीक अहमद पुत्र मो0 नजीर मौजा गौसपुर मशमूले ऊंचेगांव परगना व तहसील-अकबरपुर जनपद फैजाबाद का नाम खारिज करके श्री जउवार हुसैन पुत्र वशीर हुसैन निवासी ग्राम रसूलपुर बाकरगंज, परगना-अकबरपुर तहसील-जलालपुर जनपद-फैजाबाद का नाम अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये।

5-श्री जउवार हुसैन पुत्र वशीर द्वारा उपरोक्त भूमि अपने नाम अंकित कराने के पश्चात गाटा सं0-499ड़ में से क्रमशः 1.062 हे0 व 0.759 हे0 श्री राम आदर्श महाविद्यालय मुबारकपुर के पक्ष में तथा श्री राम पुत्र राम दौर निवासी ग्राम बिड़हरखास परगना बिड़हर तहसील-टाण्डा को तथा गाटा सं0-509ख में 0.202 हे0 रामपती रामदौर संस्कृत महाविद्यालय तथा श्री राम आदर्श विद्यालय शहजादपुर के नाम आधा-आधा विक्रय कर दिया गया। नायब तहसीलदार, सिकन्दरपुर तहसील

अकबरपुर के आदेश दिनांक 20-9-91 अन्तर्गत धारा-34 भूराजस्व अधिनियम द्वारा दाखिल खारिज उपर्युक्त क्रेतागण के पक्ष में किया गया। तदोपरान्त न्यायालय नायब तहसीलदार, सिकन्दरपुर ने अपने आदेश दिनांक 24-9-91 द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 20-9-91 को न्यायहित में निरस्त कर दिये जाने के उपरान्त पुनः उक्त भूखण्ड क्रेतागण के नाम अंकित हो गयी। बाद में श्री राम पुत्र रामदौर ने गाटा सं0-499ड़ में से 0.759 हे0 को भी श्री राम आदर्श महाविद्यालय मुबारकपुर मरैला के पक्ष में दान कर दिया और दान पत्र के आधार पर 0.759 हे0 भी श्री राम आदर्श महाविद्यालय मुबारकपुर मरैला के नाम नायब तहसीलदार, सिकन्दरपुर के आदेश दिनांक 17-3-2004 द्वारा अंकित हो चुकी है। इसी प्रकार गाटा संख्या-509 ख मि0 में से 0.101 हे0 भी रामपती रामदौर संस्कृत महाविद्यालय द्वारा श्री राम आदर्श महाविद्यालय मुबारकपुर मरैला के पक्ष में बैनामा कर दिया गया और तहसीलदार-अकबरपुर के आदेश दिनांक 4-6-04 द्वारा राजस्व अभिलेखों में नाम अंकित है। इस प्रकार गाटा संख्या-499ड़ में से 1.821 हे0 तथा गाटा सं0-509ख में से 0.101 हे0 पर श्री राम आदर्श महाविद्यालय मुबारकपुर मरैला के नाम है। विद्यालय वर्तमान में चल रहा है।

6-परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-1-91 एवं नायब तहसीलदार, सिकन्दरपुर के पारित आदेश दिनांक 31-1-91 के विरुद्ध श्री शफीक अहमद पुत्र मो0 नजीर निवासी ग्राम ऊंचेगांव परगना अमसिन जिला-फैजाबाद द्वारा पुनर्स्थापना पत्र प्रस्तुत किया गया जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। जउवार हुसैन पुत्र वशीर हुसैन, श्रीमती तौफीकुलनिशा पत्नी बशीर हुसैन, एजाज हुसैन पुत्र रफीक हुसैन निवासीगण ग्राम रसूलपुर वाकरगंज, शब्बीर हुसैन पुत्र अल्ताफ हुसैन निवासी कजपुरा, थाना-सम्मनपुर तथा फिरतूराम पुत्र झगरू निवासी ग्राम मुबारकपुर मरैला के विरुद्ध धारा-419/420 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत प्राथमिकी शफीक अहमद द्वारा दिनांक 23-3-04 को थाना कोतवाली अकबरपुर में दर्ज करायी गयी है। जिसकी विवेचना वर्तमान में थानाध्यक्ष अहिरौली जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा की जा रही है। प्रकरण में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा चुका है। शेष की तलाश की जा रही है।

अतः वर्तमान में यह प्रकरण राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के अन्तिम आदेश के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।]

जनपद झांसी स्थित स्थानीय निकाय केन्द्रीयत सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद झांसी में उ0 प्र0 स्थानीय निकाय केन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान के विषय में यह अवगत कराना है कि उ0 प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्त 25 कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, झांसी द्वारा किया जाता है। ...

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है

श्री मोहम्मद आजम खां-

[इन पेंशनरों के पेंशन भुगतान हेतु रु0 4,50,900.00 की धनराशि दिनांक 28-11-2005 को निदेशक द्वारा अवमुक्त की गयी थी। अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में बैंक से वांछित सूचना न मिल पाने के कारण इस वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के पेंशन के भुगतान हेतु कोई धनराशि अभी तक अवमुक्त नहीं की गयी थी। बैंक से वांछित सूचना प्राप्त हो जाने पर रु0 20.00 लाख की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, झांसी को उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 5-9-2006 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। भविष्य में पेंशन समय से भुगतान करने हेतु आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।]

जनपद सुल्तानपुर में सांसद निधि की छः वर्ष से अधूरी सड़क का निर्माण पूर्ण कराये जाने एवं कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद सुल्तानपुर में सांसद निधि के अन्तर्गत लोलेपुर मऊहरिया से सुल्तानपुर फैजाबाद बाईपास तक 1.50 किमी0 तक सम्पर्क मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण रु0 18.37 लाख पर जिलाधिकारी की स्वीकृति दिनांक 12-02-03 के उपरान्त कार्यदायी संस्था .....

वाह्य सहायतित परियोजना मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है

श्री मोहम्मद आजम खां-

[द्वारा कार्य पूर्ण न कराये जाने के सम्बन्ध में की गयी जांच में गम्भीर अनियमितताएं पायी जाने, निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण को पूर्ण न कराए जाने तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसार न पाये जाने के कारण काली सूची में डाल दिया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा दुरुपयोग की गयी धनराशि मु0 8.28 लाख रु0 की वसूली हेतु दिनांक 18-05-06 को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को पत्र प्रेषित किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि तत्कालीन परियोजना निदेशक श्री अमर बहादुर सिंह एवं सहायक अभियंता श्री दिनेश कुमार दुबे, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुल्तानपुर को निलम्बित किया जा चुका है तथा कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धनराशि के व्यपहरण किये जाने के लिए दिनांक 20-8-2006 को सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुल्तानपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

पुनरीक्षित आगणन के अनुसार सन्दर्भित निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु मु0 13.13 लाख रु0 की आवश्यकता होगी, जिसके प्राप्त होने के उपरान्त तीन माह के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के कारण मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य, विधान सभा, श्री रणवीर सिंह राणा द्वारा दिनांक 24-8-2006 उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी कि असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर एवं अन्य मजदूरों पर मंहगाई की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ...

महिला कल्याण राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाऐं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है

श्री मोहम्मद आजम खां-

[उनके लिए भोजन जुटाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। इस बेरोजगारी की हालत में वर्तमान न्यूनतम मजदूरी से इनका भरण पोषण करने का कार्य असम्भव हो गया है। इन मजदूरों को राहत प्रदान करने के लिए वर्तमान न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे समाज के अन्तिम मेहनतकश मजदूरों को लाभान्वित किया जा सके।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के 59 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें वर्ष 1990 से तथा अधिकतर में वर्ष 1996 के बाद से पुनरीक्षित नहीं की गयी। श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या-401/36-3-06-07 (न्यू0वे0)-04, दि0 24-2-2006 द्वारा उक्त नियोजनों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों हेतु रुपये 2600 मासिक तथा अर्धकुशल श्रमिकों हेतु रुपये 2964 मासिक और कुशल श्रमिकों हेतु रुपये 3290 मासिक मजदूरी पुनरीक्षित की गयी है। चूंकि मजदूरी की दैनिक दर मासिक दर की 1/26 से कम नहीं होगी, अतः अकुशल मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी रुपये 100, अर्धकुशल मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी रुपये 114 तथा कुशल मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी रुपये 127 पुनरीक्षित की गयी है। उक्त पुनरीक्षित मजदूरी भारत सरकार द्वारा निर्धारित फ्लोर लेबल रेट रुपये 66 प्रतिदिन से कहीं अधिक है तथा यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान पुनरीक्षित मजदूरी निकटवर्ती राज्यों से भी अधिक है। उक्त मजदूरी श्रमिकों के हित संरक्षण एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ही वर्तमान सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है। अभी हाल ही में फरवरी, 2006 में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षित किये जाने के कारण सम्प्रति न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गौतमबुद्धनगर के गांव जारचा में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री नबाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर से जांच आख्या प्राप्त की गयी। जांच आख्या में अवगत कराया गया कि ग्राम जारचा परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर की भूमि गाटा संख्या-1403 खाता संख्या-439, गाटा संख्या-362, खाता संख्या-1452, खसरा नं0 2646 ...

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है

श्री मोहम्मद आजम खां-

[खाता संख्या-1495, गाटा संख्या-2174, खाता संख्या-1505, खसरा संख्या-2752 खाता संख्या-1521, खसरा संख्या-47, खाता संख्या-1584, खसरा संख्या-899, 982,खाता संख्या-1155, खसरा संख्या-2595/2594, खाता संख्या-192, खसरा संख्या-1402 खाता संख्या-1111 से अवैध पट्टा धारकों के नाम दिनांक 4-8-2006 को निरस्त कर भूमि पुनः ग्राम सभा में दर्ज करा दी गयी थी जिसका अमलदरामद भू-अभिलेखों में दिनांक 11-08-2006 को करा दिया गया था। तत्पश्चात् सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नगत भूमि पर दखल (कब्जा) लेने हेतु ग्राम प्रधान को नोटिस जारी किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नगत भूमि अवैध पट्टा धारकों से मुक्त कराकर दखल (कब्जा) ग्राम प्रधान को दिनांक 24-8-2006 को दे दिया गया है। जिस भूमि पर अवैध रूप से दीवार बनाकर निर्माण किया जा रहा था, वह भूमि भी दीवार सहित ग्राम प्रधान के कब्जे में दे दी गयी है।]

जनपद इलाहाबाद में पूर्वांचल विकास निधि योजनान्तर्गत बाघम्बरी गद्दी अल्लापुर में सीवर का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य, विधान सभा डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) वर्ष 1999-2000 योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना बाघम्बरी गद्दी, अल्लापुर, इलाहाबाद में सीवर कार्य पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 24-8-2006 को सूचना दी गयी है ...

वास्य सहायतित परियोजना मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, माननीय सदस्य, विधान सभा के प्रस्तावानुसार माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश के अनुपालन में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2000-01 में शासनादेश संख्या-722/35-5-2001-9(36)2000-276, दिनांक 30-03-2001 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु रु0 246.59 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु0 50.00 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई है। प्रकरण में बिना शासन के संज्ञान में लाये स्वीकृत संरेखण में परिवर्तन का तथ्य प्रकाश में आने पर निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग से जांच कराकर उस पर मण्डलायुक्त, इलाहाबाद की आख्या मांगी गई, मण्डलायुक्त, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 26-12-2003 द्वारा प्रेषित जांच आख्या में अवगत कराया गया कि प्रकरण में पूर्व प्रस्तावित परियोजना में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना अल्लापुर क्षेत्र के दक्षिण की ओर स्थित अलोपीबाग क्षेत्र में की जानी थी तथा उसकी जल निकासी की व्यवस्था नैनी की ओर की जानी थी, किन्तु भारत सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेश एवं अल्लापुर क्षेत्र की सीवर व्यवस्था से सम्बन्धित कालान्तर की वृहत आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बक्शी बांध के उत्तर गंगा नदी के कक्षार में स्थापित करने का निर्णय जनप्रतिनिधियों एवं तकनीकी सुझाव के क्रम में प्रश्नगत परियोजना के संरेखण में परिवर्तन किया गया। मण्डलायुक्त, इलाहाबाद की उक्त जांच आख्या पर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का मत/परामर्श प्राप्त किया गया, उनके द्वारा प्रकरण में अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व प्रायोजना के समस्त तकनीकी परिवर्तनों/परिवर्धनों को समायोजित करते हुए संशोधित आगणन गठित कर उस पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का परामर्श दिया गया।

प्रकरण में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुपालन में मण्डलायुक्त, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 04-08-2004 द्वारा रु0 347.18 लाख का संशोधित पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराया गया, जिसका परीक्षण पी0एफ0ए0डी0 द्वारा करके लागत रु0 296.19 लाख आंकलित की गई किन्तु तत्समय अर्थात् वित्तीय वर्ष 2004-05 में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश में अत्यन्त न्यून धनराशि अवशेष रह जाने के कारण परियोजना के सम्बन्ध में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष अवशेष धनराशि को अवमुक्त किये जाने का अवसर नहीं रह गया था। वित्तीय वर्ष 2004-05 में परियोजना के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया गया पुनरीक्षित आगणन नियमानुसार व्यपगत हो चुका था, अतः प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया गया पुनरीक्षित आगणन रु0 347.18 लाख जिसका पी0एफ0ए0डी0 द्वारा परीक्षण करके लागत रु0 296.19 लाख आंकलित की गई थी, के सम्बन्ध में उक्त धनराशि रु0 296.19 लाख से परियोजना को पूर्ण कराया जा सकता है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद की आख्या मांगी गई जिसके सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 06-12-2005 के साथ संलग्न अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्र दिनांक 13-09-2005 द्वारा अवगत कराया

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया कि परियोजना के सम्बन्ध में पुनरीक्षित आगणन रु0 347.18 लाख जिसका पी0एफ0ए0डी0 ने आंकलन रु0 296.19 लाख किया है से परियोजना का सम्पूर्ण कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कराना सम्भव नहीं है इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद व मण्डलायुक्त, इलाहाबाद से प्रकरण में संशोधित पुनरीक्षित आगणन मांगा गया है। परियोजना के सम्बन्ध में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष अवशेष धनराशि को अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।]

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाकर आपने आश्वासन दिया था, इस समय संयोग से माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दो-ढाई साल से प्रकरण लम्बित है, इसमें अवशेष धनराशि अवमुक्त करना है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात आ गयी।

प्रदेश में सीनियर बेसिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शिव तपस्या पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा उक्त सूचना के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लगभग 3500 माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं, जिन्हें शासन से स्थायी मान्यता प्रदान कर दी गयी है ...

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[परन्तु वर्ष 1998 से किसी भी पूर्व माध्यमिक विद्यालय को अनुदान नहीं दिया गया है, जबकि पूर्व मा0 विद्यालयों के सभी अध्यापक प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। आर्थिक तंगी के कारण भुखमरी के कगार पर हैं। जनपद चन्दौली में भी कई ऐसे पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, जिन्हें अनुदान नहीं दिया गया है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में स्थायी मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को उनकी स्थायी मान्यता की वरिष्ठता के आधार पर अनुदानित किया जाता है। तद्क्रम में जून, 1984 के बालक विद्यालयों एवं दिसम्बर, 1988 तक के बालिका विद्यालयों को अनुदानित किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त अवशेष स्थायी मान्यता प्राप्त असंहायिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में से उनकी मान्यता तिथि की वरिष्ठता के क्रमानुसार अनुदानित किए जाने की

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रक्रिया के अन्तर्गत 1000 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया जा चुका है तथा कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।]

जनपद आगरा की प्रमुख क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख है कि आगरा जनपद की प्रमुख सड़क यमुना किनारा से कचौरा बाजार होते हुए पुराने स्ट्रेची पुल को जाने वाली पी0डब्लू0डी0 की सड़क विगत एक वर्ष से बहुत खराब हो गयी है.....

महिला कल्याण राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[जगह-जगह बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। इस मार्ग से देश-विदेश के पर्यटक ऐतिहासिक एतमाद्दौला स्मारक देखने हेतु जाते हैं। आये दिन बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण स्कूटर, रिक्शा एवं अन्य वाहनों के पलटने के कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं और काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यमुना किनारा मार्ग से पेट्रोल पम्प एवं रामबाबू पराठा भण्डार के सामने से कचौरा बाजार होते हुए पुराने स्ट्रैची पुल को जाने वाला मार्ग लोक निर्माण विभाग का मार्ग है तथा वर्तमान स्थिति ठीक है। जबकि एक अन्य मार्ग यमुना किनारा मार्ग हाथीघाट बड़े हनुमान जी के मन्दिर के सामने से कचौरा बाजार होते हुए स्ट्रैची पुल को जोड़ता है, नगर निगम के अधीन है। वर्तमान में क्षतिग्रस्त है।]

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं इलाहाबाद को स्नातकोत्तर स्तर का बनाये जाने विषयक दिनांक 30 अगस्त, 2006 की कार्य सूची के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-4 के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा डा0 नरेन्द्र कुमार गौर द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मा0 गौर साहब इस चर्चा को आज स्थगित कर देते हैं।

अब हम उठते हैं। 21 सितम्बर, 2006 को पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 39 मिनट पर गुरुवार दिनांक 21 सितम्बर, 2006 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 14 सितम्बर, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

देखिये ता0प्र0सं0-4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर

उत्तर प्रदेश कृषि नीति-2005 के तहत प्रदेश में किये जा रहे कार्यों का विवरण।

क-मृदा परीक्षण-कृषि नीति-2005 में उद्गत एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु 48 प्रयोगशालायें एवं सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा कार्य कराया जा रहा है। कानपुर देहात एवं झांसी में नई सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, 09 मण्डलों में पोषक तत्वों के परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। शेष 08 मण्डलों में प्रयोगशाला की कार्यवाही प्रगति पर है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु 11061 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये।

ख-मृदा एवं जल प्रबन्धन कृषि नीति का रणनीतिक बिन्दु है, जिससे समस्याग्रस्त भूमियों को सुधार कर कृषि में उपयोग किया जाना लक्षित है। दिनांक 31-7-2006 तक भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 113702 हेक्टेयर भूमि सुधारी जा चुकी है। कृषि विभाग के अतिरिक्त भूमि एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, ग्राम्य विकास विभाग एवं गैर सरकारी संस्थायें भूमि एवं जल प्रबन्धन का कार्य कर रही है।

ग-बौछारी सिंचाई के अन्तर्गत स्प्रिंकलर सेट वितरित किये गये। बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के लिए मक्का उत्पादन के अन्तर्गत कृषकों को सुविधाएं उपलब्ध कराकर अच्छी कृषि हेतु प्रोत्साहित किया गया।

घ-बीज-बीज प्रतिस्थापन दर वर्ष 2011-12 तक 29.22 प्रतिशत तक प्राप्त करने के लिए कार्यवाही क्रमिक है। बीज विधायन संयंत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम एवं प्राइवेट सेक्टर के संयंत्रों को संज्ञान में लेते हुए 2011-12 तक आवश्यकतानुसार प्लान तैयार किया जा चुका है। बीज बैंक की स्थापना सम्बन्धी कार्यवाही क्रमिक हैं।

ङ-कृषि रक्षा कृषि नीति-2005 के अन्तर्गत आई0पी0एम0 लैब स्थापित करने का प्रस्ताव है। सुरक्षित कृषि रक्षा रसायनों पर कार्यवाही क्रमिक है। प्रबन्धित कृषि रक्षा के स्थान पर बायो-पेस्टीसाइड के प्रयोग पर कार्यवाही क्रमिक है।

च-आइसोपाम-आइसोपाम योजना के अन्तर्गत 4 प्रतिशत के कृषि विकास दर प्राप्त करने हेतु वर्ष 2004-05 के 9.52 लाख मै0 टन उत्पादन को बढ़ाकर वर्ष 2010-11 तक 12.02 लाख मै0 टन करने का लक्ष्य एवं दलहन के 23.62 लाख मै0 टन को बढ़ाकर वर्ष 2010-11 तक 29.86 लाख मै0 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। मक्का के 11.95 लाख मै0 टन उत्पादन को बढ़ा करके 2010-11 तक 22.69 लाख मै0 टन का लक्ष्य रखा गया है।

छ-अभियंत्रण-कृषि यंत्रीकरण उपयोजना मैक्रो मैनेजमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर के अन्तर्गत संचालित है, जिसके अन्तर्गत बहुउपयोगी कृषि यंत्रों के विकास एवं प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये 25 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य है। यंत्रों का क्रय, निर्माण, वितरण, मरम्मत एवं कस्टम हायर सर्विस का कार्य उ0 प्र0 कृषि औद्योगिक निगम लि0 के विक्रय केन्द्रों पर किया जाता है।

ज-कृषि प्रसार-के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :-

1-क्षेत्र विशेष के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप कृषि पद्धतियों का विकास।

2-टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए प्रशिक्षण तकनीकी का विकास।

3-फसल सघनता में वृद्धि।

4-विज्ञान की नई तकनीकीय यथा-जैव प्रौद्योगिकी, प्री-सीजन फार्मिंग को प्रोत्साहन।

5-विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त एवं लाभप्रद कृषि पद्धतियों का विकास।

6-विशिष्ट क्षेत्रों में ही उपयुक्त फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन।

7-पारम्परिक तकनीकी ज्ञान का एकत्रीकरण एवं उपयुक्तता के आधार पर इसके उपयोग को प्रोत्साहन।

8-नान मानीटरी इनपुट्स का व्यापक प्रचार-प्रसार।

9-आत्मा माडल को क्रियान्वित कर प्रसार कार्यक्रमों को न्याय पंचायत स्तर तक ले जाने के लिए सकारात्मक सुधार।

10-समस्त कृषि प्रसार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कृषि सहायकों को एकल खिड़की के रूप में प्रोत्साहित करने पर बल।

11-प्रदर्शनों एवं प्रशिक्षणों का आयोजन।

12-प्रसार में एग्री क्लीनिक, गैर-सरकारी संस्थाओं, कृषक संगठनों, कृषक विद्यालयों, सहकारिता, निजी संस्थाओं एवं पैरा-तकनीशियनों को प्रोत्साहन।

13-प्रसार कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को विशेष बल।

14-कृषि आधारित सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा।

15-महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रसार को प्रोत्साहन।

नत्थी 'ख'

देखिये अता0 प्र0 सं0-6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर

अवैध कब्जेदारों की सूची

क्रमांक	गाटा सं0	रकबा	अवैध कब्जेदारों का नाम
1	2	3	4
01	1321 मि0	5.106	इकरार पुत्र इसरार
			प्रतिभा मिश्रा पत्नी अशोक मिश्रा
			रोशनगंज मुजम्मिल पुत्र कल्लू
			रामपाल पुत्र हुलासी
			अनुराग खन्ना पुत्र राजकिशोर
			रज्जन पुत्र उमराव
			रामस्वरूप पुत्र मथुरी
			राजाराम पुत्र भूधर
			सादिक पुत्र मख्सूद खां
			मतलूब अली पुत्र महमूद अली
			सोभरन पुत्र जावेद
02	954/1	0.149	सबूर पुत्र गफ्फूर
	955	0.319	सबूर पुत्र गफ्फूर
	956 मि0	0.172	सबूर पुत्र गफ्फूर
	956 मि0	0.790	सबूर पुत्र गफ्फूर
03	1321 मि0	0.380	अनुराग खन्ना पुत्र राजकिशोर
	1319	0.026	गंगाराम पुत्र शिवचरन
	1320	0.051	
	1314	0.018	
	1290	0.136	
	1289	0.073	
	1288	0.088	
04	47	0.028	रशीद पुत्र नत्थू
	51	0.010	लल्लन पुत्र नत्थू

क्रमांक	गाटा सं0	रकबा	अवैध कब्जेदारों का नाम
1	2	3	4
	63	0.095	
	66	0.092	
	67	0.093	
	68	0.293	
	70	0.233	
	74	0.077	
05	857	0.560	बाबू पुत्र हैदर मो0 बंगश
			राजाराम पुत्र भूधर नि0 ग्राम
			सुन्दर पुत्र बिहारी नि0 ग्राम
06	955 मि0	6.010	रियाज पुत्र रियासत
	956 मि0	0.950	बब्बू पुत्र अनवार
			मंगल पुत्र नामालूम
			अच्छन पुत्र अब्दुल्ला
			तौले पुत्र नामालूम
			नत्वी पुत्र नामालूम
			गुरविन्दर पुत्र नामालूम
07	187	1.420	अहमदुल्ला पुत्र हिदायतुल्ला
			बब्बू पुत्र अनवार
			सबूर पुत्र गफ्फूर
08	83	0.153	सबूर पुत्र गफ्फूर
	117/2	0.111	
	118	0.128	
	119	0.064	
	85/2	0.028	

पी0एस0यू0पी0-एल0 317 विधान सभा (549)-12-2-07-813 (डी0टी0पी0)।